लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[सोलहवाँ सत्र
Sixteenth Session]

[खंड 60 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LX contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 3—गुरुवार, 3 नवम्बर, 1966/12 कार्तिक, 1888 (शक)

No. 3—Thursday November 3, 1966/Kartika 12, 1888 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

तारांकित प्रश्न संख्या
S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
61. परिवहन नीति	Transport Policy	256—258
62. अवमूल्यन	Devaluation	258—261
63. तृतीय वेतन आयोग	Third Pay Commission	262—265
64. वृद्धावस्था पेंशन योजना	Old Age Pension Scheme	265—268
65. सोने की तस्करी	Smuggling of Gold	268—270
66. बैंकों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Banks . . .	271-272

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

तारांकित प्रश्न संख्या STARRED QUESTION NOS.
S. Q. Nos.

67. जीवन बीमा निगम का खण्डों (जोन) में विभाजन करना	Spliting of Life Insurance Corporation into Zones	273
68. भारत की चौथी योजना का पुनर्विलोकन करने के लिये बैल मिशन	Bell Mission to review India's Fourth Plan	273-274
69. इलेक्ट्रोनिक कमप्यूटरों के विरुद्ध जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों का आन्दोलन	Agitation by LIC, Employees against Electronic Computers	274
70. स्वर्ण नियंत्रन आदेश	Gold Control Order	274-275
71. जीवन बीमा निगम का प्रीमियम	L.I.C. Premia . .	275
72, उच्च स्तरीय सिंचाई आयोग	High Level Irrigation Commission	275
73. बम्बई में सोने की तस्करी	Gold Smuggling in Bombay . .	276

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The sign + marked above-the name of a Members indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखत उत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या

S.Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
74. स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम	Gold Contro Act	276—278
75. केन्द्रीय आवास बोर्ड	Central Housing Board . . .	278
76. मैसर्स अमीन चन्द प्यारे-लाल सार्थ संघ	M/s. Amin Chand Pyarelal Group of Firms	278–279
77. बड़ी परियोजनाओं को अपने हाथ में लेना अथवा उनके लिये वित्त की व्यवस्था करना	Taking Over or Financing of Big Projects	279
78. रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा चौथी पंच वर्षीय योजना की आलोचना	Reserve Bank Governor's criticism of Fourth Plan..	280
79. बम्बई में सोने का पकड़ा जाना	Seizure of Gold in Bombay . . .	280–281
80. केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये मंहगाई भत्ता	D.A. to Central Government Employees .	281–282
81. विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange Reserves . . .	282–283
82. औषधियों के मूल्य	Prices of Drugs	283
84. मूल्यों को बढ़ने से रोकना	Holding of Price Line	284
85. पिछड़े क्षेत्र	Backward Areas	284–285
86. विदेशों में रखा हुआ निर्यात से प्राप्त धन	Earnings from Export kept abroad .	285
87. योजना परियोजनाएं	Plan Projects	286
88. राष्ट्रीय आय में कमी	Fall in National Income . . .	286-287
89. नई दिल्ली के सरकारी मुद्रणालय में हड़ताल	Strike in Government Press, New Delhi .	287
90. राज्यों की अर्थोपाय स्थिति	Ways and Means Position of States .	287

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. Q. Nos.

264. मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी	M/s. Bird & Co.	287-288
265. भारत में सिंचाई और विद्युत् क्षमता का विकास	Development of Irrigation and Power Potential in India	288

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
266. समाचारपत्रों के सम्वाद-दाताओं के लिये मकानों की व्यवस्था	Accommodation for Press Representatives	288
267. मकान बनाने की योजनाओं के लिए निधि	Funds for Housing Schemes	289
268. सितम्बर, 1966 में सहकारी समितियों द्वारा अभिदत्त विकास ऋण	Development loans subscribed by the Co-operatives in September, 1966 . .	290
269. श्री छागन लाल गोदावट के यहां छापा	Raid on Shri Chagganlal Godavat . .	291
270. मैसर्स आर० एस० माधोराम एण्ड संज	M/s. R. S. Madhoram & Sons .	291-92
271. बुरनेर नदी घाटी परियोजना	Burner River Valley Project .	292
272. साबरीगिरि पन बिजली परियोजना (केरल)	Sabarigiri Hydro-electric Project (Kerla) . . .	293
273. मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी	M/s. Bird & Co. . . .	293-94
274. फरक्का बांध	Farakka Barrage	294
275. भारत सेवक समाज	Bharat Sewak Samaj	294
276. मछुओं के पढ़ने वाले बच्चों को सहायता	Aid to Fishermen Students . . .	294-95
278. सरकारी खर्च में मितव्ययता	Economy in Government Expenditure .	295
279. ग्लोब चिट फंड (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली	Globe Chit Fund (P) Ltd. Delhi . .	295-296
280. सिसकी गैस	Sobbing Gas	296
281. दिल्ली में अनधिकृत निर्माण	Unauthorised Constructions in Delhi .	296-97
282. सहारनपुर रोड पर एक टैक्सी से चोरी छिपे लाये जाने वाले सोने का पकड़ा जाना	Smuggled Gold seized from a Taxi on Saharanpur Road	297
283. कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के जल का प्रयोग करने में हिस्सा	Sharing of Waters of Krishna and Godavari Rivers	298

अता० प्र० संख्या
U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
284.	ओरियेंटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन	Oriental Timber Trading Corporation	298–299
285.	तिलक नगर दिल्ली में चरस और अफीम का पकड़ा जना	Seizure of Opium and Charas in Tilka Nagar, Delhi	299
286.	बम्बई में सोने के सिक्कों तथा घड़ियों का पकड़ा जाना	Seizure of Gold Coins and Watches in Bombay	299–300
287.	बरेली में स्वर्णकारों के पास से बरामद किया गया विदेशी सोना	Foreign Gold recovered from Goldsmiths in Bareilly	300
288.	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को घाटा	Losses incurred by Public Sector Undertakings	300–301
289.	राजस्व आसूचना निदेशालय	Directorate of Revenue Intelligence	301
290.	लूप के कारण बिमारी	Disease due to Loop . .	301–302
291.	कानपुर में क्षयरोग चिकित्सालय	T.B. Hospital at Kanpur .	302
292.	गांवों में बिजली लगाने के लिये प्रायोगिक सहकारी संस्थायें	Pilot Rural Electrification Cooperatives .	302–303
293.	पानी को दूषित होते से रोकने के बारे में विधेयक	Bill to Control Pollution . . .	303
294.	मध्य प्रदेश के योजना तथा विकास विभाग	Planning and Development Departments of M.P.	303–304
296.	आयकर अधिकार अधिकारियों द्वारा रखे गये दस्तावेज	Documents kept by Income-tax Officer	
297.	विकलांग बूढ़े व्यक्तियों तथा बच्चों के लिये सहायता	Assistance to Physically Handicapped Old Persons and Children	304
298.	बिड़ला रेयन फैक्टरी, कालीकट	Birla Rayon Factory, Calicut . .	305
299.	ग्वालियर रेयन पल्प फैक्टरी कालीकट	Gwalior Rayon Pulp Factory, Calicut	305
300.	कोचीन ताप बिजली संयंत्र	Cochin Thermal Power Plant.	305–306

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
301.	दिल्ली में बिजली की सप्लाई का बन्द हो जाना	Breakdown of Power Supply in Delhi	306
302.	विदेशी सहायता के लिये पश्चिमी देशों के साथ द्विपक्षीय करार	Bilateral Agreements with Countries for Foreign Aid . . .	306
303.	मुद्रा स्फीति	Inflation	307
304.	महंगाई भत्ता आयोग	D.A. Commission]	307-308
305.	दवाई की बोतल में मक्खी	Fly in a Drug Bottle] . .	308
306.	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टर	C.H.S. Doctors .	308-309
307.	भारत में परियोजनायें	Projects in India . .	309
308.	लूप लगाने का लक्ष्य	Target of Loop Insertions . . .	309-310
309.	रोहतक में परिवहन फर्मों द्वारा कर अपवंचन	Tax evasion by Transport Firms in Rohtak	310
310.	कानपुर के उद्योगपति पर बकाया आयकर	Income Tax Arrears against a Kanpur Industrialist	310-311
311.	स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान	Grant to Voluntary Organisations .	311-312
312.	देश में बिजली की खपत	Consumption of Electricity in the Country	312
313.	ग्रामीण विद्युतीकरण पर व्यय	Cost of Rural Electrification . .	312-313
314.	गैर सरकारी सम्पत्ति के बाजार किराये (मार्केट रेट) का पुनरीक्षण	Revision of Market Rent of Private Property	313
315.	केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों का स्थानान्तरण	Transfers of C.G.H.S. Doctors	314
316.	मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी	M/s. Bird and Co.]	314-315
317.	नई दिल्ली स्थित मैसर्स लूफ्थान्स एयरलाइन्स द्वारा दिया गया किराया	Rent Paid by M/s. Lufthansa Airlines in New Delhi	315-316
318.	नई दिल्ली में शाहजहां रोड पर रोशनी की व्यवस्था	Street Lighting in Shahjahan Road, New Delhi.	316-317

अता० प्र०
संख्या
U. Q. Nos.

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
319.	सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना	Sabarigiri Hydel Project	317
320.	केरल के बिजली के इंजीनियर	Power Engineers of Kerala .	317-318
321.	मैसूर में जाली नोट	Fake Currency Notes in Mysore .	318
322.	मद्रास में जाली नोट	Counterfeit Notes in Madras	318
323.	गोआ को बिजली की सप्लाई	Supply of Electric Power to Goa .	318
324.	दिल्ली में मकानों की समस्या	Housing Problem in Delhi . . .	318-319
325.	अवमूल्यन और विदेशी विनियोजन	Devaluation and Foreign Investment .	319
326.	राज्यों की योजनाओं के प्रारूप	Draft Plans of States	319-320
327.	कलकत्ता में हुगली नदी पर दूसरा पुल	Second Bridge over River Hooghly at Calcutta	320
328.	जीवन बीमा निगम के एजेन्टों की मांगें	Demands of L.I.C. Agents . . .	320
329.	जीवन बीमा निगम के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को बोनस	Bonus to L.I.C. Class I and II Officers .	321
330.	ग्रामीण महिलाओं द्वारा लूप का प्रयोग	Use of Loop by Rural Women .	321
331.	आदिम जातीय लोगों में साक्षरता	Literacy among Tribal People	322
332.	कलिंग न्यास	Kalinga Trust . .	322
333.	जापान से सहायता	Aid from Japan	323
334.	चौथी पंचवर्षीय योजना के संबंध में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल का ज्ञापन	Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry Memo. on Fourth Plan	323
335.	प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धि	Per Capita Availability of Electric Power .	324
336.	दिल्ली में उप-किरायेदार	Sub-Tenants in Delhi	324-325

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
337.	आर्थिक मामलों पर विचार करने के लिये पाकिस्तान के साथ बैठक	Meeting with Pakistan on Economic Affairs	325
338.	प्रतिरक्षा तथा विकास के लिये ग्रामीण जनशक्ति	Rural Manpower for Defence and Development . .	325
339.	हरिजनों तथा अनुसूचित जातियों का कल्याण	Welfare of Harijans and Scheduled Castes	326
340.	पश्चिम कोसी नहर	Western Kosi Canal . . .	326
341.	किराये की वसूली	Recovery of Rent . . .	326-327
342.	मल साफ करने का काम	Night Soil Work System . . .	327
343.	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा सहायता	Medical aid to Central Government Employees . .	327-328
344.	परिवार नियोजन	Family Planning . . .	328
345.	भारतीय गैर-सरकारी चिकित्सक संस्था	Private Medical Practitioners Association of India	328-329
346.	राजस्थान नहर	Rajasthan Canal	329
347.	परिवार नियोजन	Family Planning .	329
348.	रिजर्व बक, कलकत्ता	Reserve Bank, Calcutta . .	330
349.	सरकारी उपक्रमों के अतिथि गृह	Guest Houses of Public Undertakings	330-331
350.	ऋण नीति	Credit Policy . . .	331
361.	मितव्ययता अभियान	Economy Drive .	332-333
352.	चूहों से होने वाली बरबादी को रोकना	Control of Rat Menace . .	333
353.	अशोक होटल में सेवा व्यय	Service Charges in Ashoka Hotel . .	333-334
354.	गाजियाबाद में केन्द्रीयसरकार के कार्यालयों के लिये भूमि	Land for Central Government Offices in Ghaziabad	334
355.	हिन्दी में हस्ताक्षरित चैक	Cheques signed in Hindi . . .	334
356.	मंत्रालयों में वातानुकूल संयंत्र	Air Conditioners in Ministries . .	334-335

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
357.	पेरियार नदी पर जलमार्ग ऊपरि पुल	Water Passage over bridge on Perivar River	335
358.	केरल में वृद्धावस्था पेंशन के लिए याचिकायें	Petitions for Old Age Pension in Kerala	335-336
359.	नागार्जुन सागर परियोजना	Nagarjunasagar Project	336
360.	सिंचाई के लिए अधिक धन	More Funds for Irrigation	336
361.	संचारी रोग	Communicable Diseases	336-337
362.	मध्य प्रदेश के आदिम जाति क्षेत्रों में स्कूल	Schools in Tribal Areas of Madhya Pradesh	337-338
363.	मध्य प्रदेश के आदिवासी गांवों में कुंओं का खोदना	Sinking of wells in Adivasi Villages in Madhya Pradesh	338
364.	मध्य प्रदेश में सहकारी कताई मिल	Cooperative Spinning Mills in M.P.	338-339
365.	मध्य प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों का विकास	Development of Backward Areas in Madhya Pradesh	339-340
366.	तिम्बत से लगी सीमा पर के पर्वत प्रदेशों का विकास	Development of Mountaineous Region Bordering Tibet	340
367.	दिल के दौरे	Heart Attacks	340
368.	चोरी छिपे लाये गये सोने तथा घड़ियों का पकड़ा जाना	Seizure of smuggled gold and watches	341
369.	नंगल बांध से कोटला तक समानान्तर नहर	Parrallel Canal from Nangal Dam to Kotla	341
370.	अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता	Deputation Allowance to officers	341-342
371.	बैंक आफ अमरीका की शाखा खोलना	Opening of Branch of Bank of America	342
372.	केरल में लोक निर्माण विभाग के इंजिनियरों द्वारा हड़ताल	Strike by P.W.D. Engineers in Kerala	342
373.	इद्दिकी पन बिजली परियोजना केरल	Iddikki Hydro Electic Scheme Kerala	342-343
374.	केरल में अस्पताल कर्मचारी संघ	Hospital Workers' Union of Kerala	343

अता० प्र० संख्या U. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
375.	रामगंगा परियोजना के कर्मचारी	Employees of Ram Ganga Project	343
376.	दामोदर घाटी निगम	D.V.C. . .	343-344
377.	भारतीय भाषाओं में हस्ताक्षरित चैक स्वीकार करना	Acceptance of Cheques signed in Indian Languages	344
378.	आसाम के पहाड़ी जिलों का विकास	Development of Hill Districts of Assam .	344-345
380.	सरकारी कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता	Overtime Allowance to Government Employees	345
381.	राजपत्रित पदों को अराजपत्रित पदों में बदलना	Conversion of Gazetted Posts to Non-Gazetted Posts	345
382.	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टर	C.H.S. Doctors	345-346
383.	कर्मचारी निरीक्षण एकक	Staff Inspection Units	346
384.	डाक द्वारा स्वर्ण भेजने वाले तस्कर व्यापारियों की गिरफ्तारी	Arrest of Smugglers sending Gold by Post	346-347
385.	कोटा में जल व्यवस्था (वाटर लाइन)	Water Line in Kota	347
386.	इर्विन अस्पताल में बेहोशी रोगी	Unconscious Patients in Irwin Hospital	347-348
387.	नई दिल्ली में राजघाट, शान्तिवन तथा विजयघाट का विकास	Development of Rajghat, Shanti Van and Vijay Ghat in New Delhi	348
388.	विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन	Foreign Exchange Violations . .	348-349
389.	भाखड़ा तथा नंगल बांधों का प्रबन्ध	Management of Bhakra and Nangal Dams	349
391.	जम्मू और काश्मीर राज्य को दिये गये अनुदान	Grants given to J. & K. State . .	349
392.	राज्यों की गृह निर्माण योजनाओं के लिये जीवन बीमा निगम की निधि	L.I.C. Fund for State Housing Plan	350-351

अता० प्र० संख्या U. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
393.	भारतीय चिकित्सा संस्थाओं और समितियों का संघ	Federation of Medical Association and Societies of India . .	351
394.	एडवांस इंश्योरेंस कम्पनी	Advance Insurance Co. . .	352
395.	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को पेंशन ।	Pension to Central Government Employees	352
396.	पागल कुत्ते द्वारा काटना	Mad Dog Bites]	352-353
397.	बम्बई में पकड़ा गया सोना	Gold Seized at Bombay . . .	353
398.	ओखला तथा हिंडन के बांधों का बदला जाना	Replacement of Okhla and Hidan Weirs	353
399.	सरकारी आवास	Government Accommodation	354
400	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को आवास का आवंटन	Allotment of Accommodation to Central Government Employees . . .	354-355
401.	इद्दिकी बांध	Iddikki Dam	356
402.	पांग बांध क्षेत्र के बाहरी इलाके के परिवारों का पुनर्वास	Rehabilitation of Families of Outskirts of Pong Dam Area . . .	356
404.	मानसिक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों का उपचार	Treatment of People Suffering from Mental Illness	356-357
405.	इद्दिकी पन बिजली परियोजना	Iddikki Hydro Electric Project .	357
406.	दिल्ली में संक्रामक रोग का फैलना	Infectious Disease Breaking out in Delhi .	357
407.	सोने का पकड़ा जाना	Seizure of Gold	357-358
408.	पंजाब में विदेशी मुद्रा के तस्कर व्यापार में लगा हुआ गिरोह	Foreign Exchange Racket in Punjab	358
409.	किदवई नगर के लिये पानी के बिल	Water Bills for Kidwai Nagar	358
410.	बम्बई में पकड़ा गया गांजा	Ganja Seized in Bombay	359
411.	दिल्ली में अलर्क रोग (रेबीज) के मामलों में वृद्धि	Increase in Rabies Cases in Delhi .	359-360
412.	दमबारों जल विद्युत परियोजना	Dambaro Hydro-Electric Project .	360

अता० प्र०
संख्या
U. Q. Nos

	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
413.	पूंजी निर्गम	Capital Issues .	360-361
214.	अपर कृष्णा परियोजना	Upper Krishna Project .	361
415.	मैसूर में बारपोल परियोजना	Barapole Project in Mysore . .	361
417.	अमीन चन्द प्यारे लाल सार्थ-संघ द्वारा दिया गया आय-कर	Income Tax paid by Amin Chand Pyare Lal Group of Firms . .	361-362
418.	महाराष्ट्र सरकार के कर्म-चारियों का महंगाई भत्ता	D.A. to Maharashtra Government Employees	362
419.	ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय राष्ट्रजनों द्वारा धन प्रेषण	Remittances from Indian National in U.K.	363
420.	केन्द्र द्वारा प्रायोजित सिंचाई परियोजनायें	Centrally Sponsored Irrigation Projects .	364
421.	भारतीय मुद्रा का और अधिक अवमूल्यन	Further Devaluation of Indian Currency .	364
422.	भारत पाकिस्तान सीमा पर तस्कर व्यापार	Smuggling on Indo-Pak. Border	364-365
423.	परिवहन समन्वय तथा अनु-संधान सम्बन्धी समिति	Committee on Transport Coordination and Research	365
424.	फरीदाबाद में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया तथा नगर प्रतिकरात्मक भत्ता	House Rent C.A. to Central Government Employees in Faridabad .	365-366
425.	उत्तर प्रदेश में सूखा	Drught in U.P.	366
426.	केरल में मछुओं के लिए आवास सुविधायें	Housing Facilities for Fishermen in Kerala	366-367
428.	भारत के राज्य बैंक के कर्म-चारियों की मांगें	Demands of Employees of State Bank of India	367
	स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)	Re. Motion for Adjournment (Querry) .	367-368
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	368—374
	वित्त मंत्री के कनाडा तथा अमरीका के दौरे के बारे में वक्तव्य	Statement re. Finance Minister's Visit to Canada and USA . . .	375
	श्री शचीन्द्र चौधरी	Shri Sachindra Chaudhuri .	375

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	377
पचासवां प्रतिवेदन	Fiftieth Report .	377
मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव	Motion of No-Confidence in the Council of Ministers	381
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain . . .	381
श्री राम सहाय पाण्डेय	Shri R. S. Pandey .	382
श्री जी० वी० कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	3
श्री म० ल० द्विवेदी	Shri M. L. Dwivedi .	385
श्रीमती सुभद्रा जोशी	Shrimati Subhadra Joshi	385
श्री हूमायून कबिर	Shri Humayun Kabir	386
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh .	388
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	Shri Harish Chandra Mathur . .	389
श्री चि० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam	392
सदस्य की रिहाई	Release of Member . . .	396
(श्री रामेश्वरानन्द)	(Shri Rameshwaranand) .	396

लोक सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 3 नवम्बर, 1966/12 कार्तिक, 1888 (शक)

Thursday, November 3, 1966 / Kartika 12, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेन्द्र पाल सिंह ।

Shri Madhu Limaye: Sir, I rise on a point of order.

श्री मं० रं० कृष्ण : क्या यह प्रश्न काल में ही शुरू होने लगा ।

Mr. Speaker: The question has not been taken up as yet. To what does the point of order relate?

Shri Madhu Limaye: To the list of questions.

श्री कपूर सिंह : किसी न किसी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिये ।

Mr. Speaker: What point of order can there ben on this.

Shri Madhu Limaye: You will know it after hearing it. My point of order is in connection with the list of Questions.

Mr. Speaker: Has it been wrongly admitted.

Shri Madhu Limaye: It is not there in the List of Questions whereas it should have been included. Rule 41 says:

> "41. (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए लोक-महत्व के किसी ऐसे विषय पर जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रश्न पूछा जा सकेगा जो उस मंत्री के विशेष संज्ञान में हो जिसे वह सम्बोधित किया गया हो ।"

Then No. 2 says:

"(2) प्रश्न पूछने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन है अर्थात :—

I do not wish to waste time by reading it. Twenty two conditions have been mentioned in it. It is also not covered by what is mentioned in Rule 42. Now you come to Rule 43.

"43 (1) अध्यक्ष विनिश्चित करेगा कि कोई प्रश्न या उसका कोई भाग इन नियमों के अन्तर्गत ग्राह्य है या नहीं और वह कोई प्रश्न या उसका कोई भाग अस्वीकृत कर सकेगा जो उसकी राय में प्रश्न पूछने के अधिकार का दुरुपयोग हो या सभा की प्रक्रिया में बाधा डालने या उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिये आयोजित हो या इन नियमों का उल्लंघन करता है।"

I want to submit to you that. I have received letters in which the grounds shown are based neither on the 22 conditions nor Rule 42 nor Rule 43. The questions are rejected without assisting any reasons. My question . . .

Mr. Speaker: This question cannot be raised now.

Shri Madhu Limaye: Then when it should be raised?

Mr. Speaker: This question does not arise.

परिवहन नीति

*61. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री म० ला० द्विवेदी :**

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवहन नीति से संबंधित विभिन्न प्रौद्योगिकी आर्थिक समस्याओं पर विचार करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कुछ समय पहले परिवहन योजना संबंधी एक संयुक्त तकनीकी दल नियुक्त किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में इस दल की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) (क) और (ख) : परिवहन की आवश्यकताओं संबंधी तकनीकी आर्थिक अध्ययन करने के लिए योजना आयोग तथा रेलवे एवम् परिवहन मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से परिवहन सम्बन्धी संयुक्त तकनीकी दल का गठन किया गया है। इन अध्ययनों में मुख्य जिन्सों के बारे में अन्वेषण क्षेत्रीय परिवहन अध्ययन और आवागमन का घटाव-बढ़ाव इत्यादि शामिल है। ये अध्ययन प्रगति पर हैं और देश के विभिन्न भागों में परिवहन के नियोजन एवं विकास की समस्याओं का निर्धारण करने में सहायता देते हैं। अध्ययन पूरे होने पर विशिष्ट सिफारिशें की जाएंगी; फिलहाल केन्द्र तथा राज्यों में परिवहन के लिए योजनाएं तैयार करने में प्रगति पर इन अध्ययनों के परिणामों को ध्यान में रखा जाता है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या यह सच है कि इस तकनीकी ग्रुप द्वारा हाल ही में किये गये सर्वेक्षण से पता चलता है कि देश में सभी प्रकार की परिवहन व्यवस्था को औद्योगिक क्षेत्रों में ले जाया गया

है और इससे उन क्षेत्रों का काफी विकास हुआ है परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में उसी हद तक विकास नहीं हुआ है जिसके परिणामस्वरूप तीसरी योजनावधि में कृषि विकास की गति बहुत धीमी रही है। क्या चतुर्थ योजना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस असंतुलन को दूर करने के लिये कोई विशेष कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री अशोक मेहता : जो परिवहन सर्वेक्षण किये जा रहे हैं उनमें से 11 सर्वेक्षणों का सम्बन्ध देश के विभिन्न प्रदेशों में राज्य परिवहन समस्याओं से है। ये प्रदेश हैं : आसाम और इसके आसपास के क्षेत्र, बंगाल बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू तथा काश्मीर, राजस्थान आदि।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस असंतुलन को दूर करने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

श्री अशोक मेहता : अध्ययन चालू हैं और उनसे समस्याएं प्रकाश में आयेंगी और यह भी पता लगेगा कि क्या हल ढूंढने पड़ेंगे। अध्ययनों के पूरा होने पर ही उपायों को बताया जायेगा।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में क्योंकि वहां पर रेल यातायात काफी बढ़ गया था इस ग्रुप द्वारा एक सिफारिश दी गई है कि पूर्वी रेलवे की कुछ छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदला जाये और यदि हां तो क्या सरकार को वह सिफारिश स्वीकार्य है ?

श्री अशोक मेहता : वह सिफारिश मेरे सामने नहीं है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या परिवहन नीति संबंधी समिति कलकत्ता की परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों पर भी विचार करेगी ?

श्री अशोक मेहता : जी हां। महानगरीय प्राधिकार द्वारा भी उनका अध्ययन किया जा रहा है और विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं।

Shri M. L. Dwivedi: An assurance was given by the Ministry that no big village will be left without road facility in view of the fact that villagers have to pay high transport charges for transporting their goods to markets. By what time this plan will be completely implemented?

श्री अशोक मेहता : चौथी योजना में सड़कों के लिये जो धनराशि नियत की गयी थी उसका 20 प्रतिशत देहात में सड़क बनाने के लिये खर्च किया जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास की सम्भावनाओं का अध्ययन करने वाले किसी भी दल को क्या कोई निर्देश दिये गये हैं, यदि हां, तो क्या ?

श्री अशोक मेहता : जहां तक मुझे पता है ये अध्ययन सड़क और रेलवे तक ही सीमित रहे हैं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या परिवहन नीति समन्वय समिति द्वारा दी गयी सिफारिशों को अन्तिम रूप से समाप्त कर दिया गया है या उनके सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है, यदि हां, तो क्या ?

श्री अशोक मेहता : सम्बन्धित विभिन्न मंत्रालयों द्वारा दी गयी सभी सिफारिशों तथा मंत्रणाओं को एक साथ संकलित कर लिया गया है जिन पर मंत्रिमंडल की उप-समिति शीघ्र ही विचार करेगी।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : इस आधार पर कि जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधायें हैं वहां पर उनका लाभ पूर्णत: नहीं उठाया जा सका है क्योंकि आयकर क्षेत्रों में संचार सुविधायें नहीं हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस समिति से मामले पर विचार करने के लिए कहा जायेगा तथा यह भी कहा जायेगा कि आयकर क्षेत्रों में सड़क बनाने के कार्यक्रम के बारे में सुझाव दें ?

श्री अशोक मेहता : यह ग्रुप मुख्यत: रेलवे तथा रोडवेज़ के विकास से सम्बन्धित परिवहन समस्याओं से सम्बन्धित रहेगा। राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई योजना के अन्तर्गत उन सड़कों पर काम आरंभ हो गया है जिनको बनाने का हमारा विचार है।

Shri Bade: Railways of Madhya Pradesh have not been covered by this Techno-economic Study. There is big competition between railways and motor transport. Now road-tax is being increased in the state. May I know whether any instructions have been issued to Madhya Pradesh that they should not increase such tax till the study of the same kind has been carried over there.

Shri Asoka Mehta: This study is not in any way related to the tax system in Madhya Pradesh.

श्री सुबोध हंसदा : क्या सड़क परिवहन सम्बन्धी अध्ययन दल ने यह सिफारिश की है कि सड़क उद्योग सम्बन्धी सभी छोटे एककों का वित्तपोषण किया जाय और यदि-हां तो क्या सरकार ने इस सिफारिश को मान लिया है और इस सिफारिश को क्रियान्वित करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

श्री अशोक मेहता : विभिन्न राज्यों के लिये एक व्यापक सड़क सम्बन्धी कार्यक्रम है। इसका सम्बन्ध मुख्य समस्याओं से है और इसके अन्तर्गत प्रत्येक छोटी समस्या का अध्ययन नहीं किया गया है।

अवमूल्यन

+

*62. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री लोलाधर कटकी :
श्री फिरोदिया :
श्री रा० बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डय :
श्री सेझियान :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० म० मो० दास :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम हरख यादव :
डा० महादेव प्रसाद :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अवमूल्यन के पश्चात् देश की अर्थ-व्यवस्था को फिर से मजबूत बनाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं; और

(ख) भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर उनका क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) रुपये के अवमूल्यन के तुरन्त बाद, देश के विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में कई अस्थायी समस्याएं पैदा हो गयी थीं और इन्हें भारत सरकार और सम्बद्ध विदेशी सरकारों के बीच आपसी करार करके हल कर लिया गया था। 59 प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की बाहर से मंगायी जाने वाली सामग्री, फालतू कलपुर्जों और मशीनों के हिस्सों सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में उदार नीति अपनायी गयी है। निर्यात-उद्योगों की आयात-सम्बन्धी आवश्यकताएँ, विशेष प्रबन्ध करके पूरी की जा रही हैं। निर्यात की जाने वाली कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में नकद राजसहायता देने की घोषणा की गयी है। ये उपाय, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में वृद्धि करने के उद्देश्य से किये गये हैं। राजस्व और मुद्रा सम्बन्धी कड़ा अनुशासन बनाये रखने के लिए लगातार कार्रवाई करते रहने की जरूरत है।

(ख) इतनी जल्दी इस बात को आंका नहीं जा सकता कि इन उपायों का अर्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है।

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : क्या अवमूल्यन के परिणामस्वरूप देश की मंडियों में अत्यावश्यक वस्तुओं के भाव बढ़ गये हैं और, यदि हां, तो भावों को नियंत्रित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं?

श्री शचीन्द्र चौधरी : देश में वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि अवश्य हुयी है परन्तु उसका अवमूल्यन से कोई सम्बन्ध नहीं है। अवमूल्यन के पश्चात् 15 अक्तूबर तक मूल्यों में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी जबकि गत वर्ष इसी समय के दौरान 5.3 प्रतिशत की वृद्धि हुयी थी। मूल्य बढ़ने का मुख्य कारण बनस्पति-तेल, सब्जियों, फलों, मास और अंडों जैसी खाद्य वस्तुओं का अभाव है। इस वर्ष खाद्य उत्पादन कम होने के भय के कारण भी मूल्यों में कुछ वृद्धि हुयी है।

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : यह कहा जाता है कि विश्व बैंक तथा अन्य देशों की प्रेरणा और सलाह के आधार पर इस देश में अवमूल्यन किया गया है। चौथी योजना का वित्तपोषण करने के लिये उन्होंने कितनी सहायता उपर करायी है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : यह कथन निराधार है। मैं सभा को कई बार बता चुका हूं कि अवमूल्यन के लिये केवल सलाह दी गयी थी परन्तु अवमूल्यन का निर्णय देश की आन्तरिक परिस्थितियों को देखते हुए किया गया है। जो सलाह दी गयी थी और जो सहायता दी जायेगी, उनमें परस्पर कोई भी सम्बन्ध नहीं है। फिर भी सहायता के लिये वायदे किये गये हैं। इस वर्ष गैर परियोजना सहायता के रूप में 9000 लाख डालर मिलने की सम्भावना है और परियोजना सहायता के सम्बन्ध में सहायता देने वाले देशों द्वारा विचार किया जायेगा।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : सरकार की इस घोषणा के सन्दर्भ में कि अवमूल्यन के परिणामस्वरूप घाटे की अर्थव्यवस्था से बचा जा सकता है क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि अवमूल्यन के बाद घाटे की अर्थव्यवस्था का किस हद तक आश्रय लेना पड़ा है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं चालू वर्ष के समाप्त होने से पहले, जब कि घाटे का पता चलेगा, यह नहीं बता सकता कि यदि घाटे की अर्थव्यवस्था है तो कितनी है।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि बैल मिशन द्वारा दी गयी सिफारिशों में से पहली सिफारिश यह थी कि भारत को अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करना चाहिए। क्या यह भी सच है, जैसा कि कुछ अखबारों में छपा था कि बैल मिशन ने भारत को और आगे अवमूल्यन करने के लिये सलाह दी

है । क्या पहले की भांति बैल मिशन की इस सिफारिश को भी भारत सरकार कार्यरूप में लाना चाहती है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : इस सरकार ने कभी भी बैल मिशन अथवा अन्य किसी की भी सिफारिश को क्रियान्वित नहीं किया है । इस सम्बन्ध में केवल मंत्रणा दी गयी थी और निर्णय स्वतंत्र रूप से किया गया । इस मामले के सम्बन्ध में किसी ने दबाव नहीं डाला । दूसरे बैल मिशन ने अभी तक कोई भी सिफारिश नहीं दी है अत: और आगे अवमूल्यन करने का प्रश्न ही नहीं उठता । तीसरे, भी आगे और अवमूल्यन करने का प्रश्न भी निरर्थक है ।

Shri Bibhuti Mishra: May I know whether it is a fact that prices of cloth and grains are on the increase after devaluation. If so, what preventive steps are being taken in respect thereof, so that prices may not increase further and accordingly salaries of Govt. employees may not be further increased?

श्री शचीन्द्र चौधरी : जैसे मैंने अभी बताया था कि वस्तुओं के मूल्य कुछ बढ़े हैं। सरकार अनाज वसूली आदि के निर्देश देकर मूल्यों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है । जहां तक सरकारी नौकरों के वेतन का सम्बन्ध है महंगाई भत्ता बढ़ाये जाने के लिये सरकारी कर्मचरियों द्वारा एक आन्दोलन किया गया था । यह मामला एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग को सौंप दिया गया है । उक्त आयोग ने कुछ सिफारिशें की हैं और अपना प्रतिवेदन दे दिया है तथा उसकी सिफारिशों को कार्यरूप में परिणत किया जा रहा है । महंगाई भत्ते के मूल प्रश्न पर और इस बात पर कि महंगाई भत्ता किन सिद्धान्तों के आधार पर स्थिर किया जाना चाहिये अभी आयोग विचार कर रहा है ।

Shri Yashpal Singh: Is it a fact that as a result of devaluation the debt on India has increased by about Rs. 21000 crores overnight.

श्री शचीन्द्र चौधरी: मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं । मैं इस बात का पता लगाने का प्रयास करूंगा कि कर्जा कितना बढ़ा है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Have you not earlier assessed the increase in debt?

Shri K. N. Tiwary: May I know whether it is a fact that the prices of goods, for which orders were placed to foreign countries, have gone up on account of devaluation, and now that is not being imported due to lack of funds and it will adversely affect the industries and agriculture?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मूल्यों में वृद्धि भारतीय रुपये की दृष्टि से हुई है विदेशी मुद्रा की दृष्टि से नहीं । यह सच नहीं है कि आयात में कमी का कारण कीमतों में वृद्धि हो जाना या हमारे द्वारा कीमत का अदा न किया जाना है ।

श्री कपूर सिंह : क्या रुपए के सरकारी मूल्य और वास्तविक मूल्य में इतनी अधिक विषमता नहीं थी कि जिसके कारण आगे अवमूल्यन करना पड़ा । यदि हां, तो दोनों में कितना अन्तर था ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : यह एक नीति सम्बन्धी प्रश्न है । मैं पहले ही बता चुका हूं कि सरकार रुपए का और आगे अवमूल्यन करने के पक्ष में नहीं है ।

श्री दी० चं० शर्मा : यूगोस्लाविया ने भी अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया था जिसके परिणामस्वरूप वहां की अर्थ-व्यवस्था सुधर गयी थी । यूगोस्लाविया ने ऐसा करने के लिए क्या उपाय किए

थे और इस सम्बन्ध में हमने क्या उपाय नहीं किए हैं जिनके कारण हमारी अर्थ-व्यवस्था अधिकाधिक धराशायी होती जा रही है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी : मुझे मालूम नहीं है कि युगोस्लाविया में क्या किया गया था। अतः मैं इसका तुलनात्मक विवरण नहीं दे सकता, किन्तु मैं इस बात का खंडन करता हूं कि अवमूल्यन के कारण हमारी अर्थ-व्यवस्था खराब होती जा रही है। अवमूल्यन के प्रभावों को एक रात में ही नहीं देखा जा सकता। इसके लिए काफी समय की आवश्यकता है। वास्तविक अनुमान तो कुछ महीने बाद ही लगाया जा सकता है।

श्री दाजी : क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई मूल्यांकन किया है कि अवमूल्यन के पश्चात् निर्यात सहायता बन्द कर दिए जाने के कारण निर्यात में काफी कमी हुई है ? क्या यह सच नहीं है कि विदेशी मुद्रा की दृष्टि से निर्यात व्यापार अवमूल्यन से पहले जितना था उतना भी नहीं है चूंकि निर्यात व्यापार में एक खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है, इसलिये इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री शचीन्द्र चौधरी: अवमूल्यन के बाद निर्यात में कुछ कमी हुई है। यह खतरनाक है या नहीं यह अपनी-अपनी राय की बात है ? मैं इस पर अपनी राय प्रकट करना नहीं चाहता। कभी-कभी शुल्कों में कुछ राहत दे कर, निर्यात के लिए आयात कोटे दिलाने में सहायता देकर, सरकार निर्यातकों को प्रोत्साहन दे रही है कि वह निर्यात बढ़ाने का प्रयत्न करें ये कुछ महत्वपूर्ण उपाय हैं।

श्री त्यागी: ब्रिटेन के मामले में मैं समझता हूं कि उन्होंने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करने से पहले ही उपाय कर लिए हैं। हमारे मामले में, क्या सरकारी खर्च में कमी करके कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ? अवमूल्यन के बाद अबतक क्या कार्यवाही की गई है।

श्री वासुदेवन नायर : एक छोटे से राज्य में 20 सदस्यों का मंत्रिमंडल।

श्री शचीन्द्र चौधरी: जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य के पास क्या विशेष जानकारी है, परन्तु मेरे पास कोई जानकारी नहीं है. कि ब्रिटेन मुद्रा अवमूल्यन के बारे में क्या सोच रहा है। अपनी अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं ?

श्री त्यागी: उन्होंने मजूरी तथा वेतनवृद्धि बन्द कर दी है।

श्री शचीन्द्र चौधरी : उन्होंने यह कार्यवाही भी कर दी है। जहां तक इस देश का सम्बन्ध है बचत 11 करोड़ रुपए की है। परन्तु, इसके विपरीत खर्च में वृद्धि है क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की कुछ श्रेणी द्वारा अधिक धन की मांग की गई है यह मामला एक उच्च शक्ति प्राप्त आयोग को सौंपा गया था और जैसा कि मैंने बताया इसके प्रतिवेदन के आधार पर कुछ धनराशि देनी होगी।

श्री त्यागी : मैं खर्च में सामान्य बचत के बारे में कह रहा था।

श्री शचीन्द्र चौधरी : सामान्य बचत 91 करोड़ रु० की हुई है।

श्री नाथपाई : अन्धेरे में क़दम अर्थात्, अवमूल्यन के लिए सरकार की ओर से जो औचित्य दिए गए हैं उनमें एक यह था कि विदेशी मुद्रा मिलने की सब संभावनाएं अवमूल्यन पर आधारित थीं—वित्त मंत्रालय की विज्ञप्ति में ये शब्द प्रयोग किए गए हैं—और (ख) यह राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था

में असंतुलन और इसके दोषों को दूर करने के लिए है। विदेशी सहायता की संभावना में कहां तक सुधार हुआ है ? क्या अब भी यह संभावना हमेशा की तरह बहुत कम नहीं है दूसरे क्या अवमूल्यन के बाद अर्थ-व्यवस्था और बिगड़ नहीं गयी है ? एक उदाहरण तो यह है कि निर्यात को बढ़ाने के लिए किए गए प्रयत्नों के बावजूद निर्यात में कमी हुई है।

श्री शचीन्द्र चौधरी : यह एक आर्थिक सिद्धान्त है। जहां तक विदेशी सहायता पर आधारित होने का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में किसी वक्तव्य का उल्लेख किया है। वह वक्तव्य मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है।

श्री नाथ पाई : मैं शब्दश: उद्धृत कर रहा हूं—विदेशी सहायता की संभावना अवमूल्यन पर आधारित है। सरकारी विज्ञप्ति में ये शब्द प्रयोग किए गए हैं।

श्री शचीन्द्र चौधरी : यदि ऐसा है तो, मैं यही कह सकता हूं कि जहां तक हमारी अर्थ-व्यवस्था को सही हालत में लाने का सम्बन्ध है, स्वभावत: विदेशी सहायता देने वालों को इस पर विचार करना है और इसका परिणाम यह है कि दस वर्ष हमसे 9000 लाख डालर की सहायता देने का वायदा किया गया है।

श्री वासुदेवन नायर : वायदा न कि वास्तविक सहायता।

श्री शचीन्द्र चौधरी : मैं नहीं समझता हूं कि सहायता तुरन्त आ जाती है। जब भुगतान करने के लिए कहा जाता है तो सहायता आ जाती है। इसके अतिरिक्त हमारी परियोजनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। जब विचार पूरा हो जाएगा तो आशा है कि परियोजना सम्बन्धी वायदे भी कर लिये जायेंगे। प्रश्न का अगला भाग अर्थव्यवस्था के दोष के बारे में है जिसके सम्बन्ध में एक उदाहरण भी दिया गया है। अवमूल्यन के कारण कोई दोष उत्पन्न नहीं हुए हैं। इस समय जिस स्तर पर निर्यात है वह अवमूल्यन के कारण नहीं है। अन्य कारणों से निर्यात में गिरावट आई है।

तृतीय वेतन आयोग

\+

*63. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी संघों तथा फैडरेशनों ने देश में हुये व्यापक परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के, जिनमें प्रतिरक्षा संस्थानों के कर्मचारी भी शामिल हैं, वेतन-क्रम , भत्तों तथा अन्य सेवा शर्तें निर्धारित करने के हेतु एक तृतीय वेतन आयोग नियुक्त करने के लिये सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) तीसरा वेतन आयोग नियुक्त करने का इस समय कोई विचार नहीं है।

श्री दी० चं० शर्मा : सरकार द्वारा समय समय पर महंगाई भत्ते में जो तदर्थ वृद्धि तथा भत्तों में अन्तःकालीन वृद्धि की गई है उसको ध्यान में रखते हुए, क्या यह सरकार के हित में नहीं होगा कि एक तीसरा वेतन आयोग नियुक्त किया जाये ताकि इस प्रश्न पर भागों में विचार करने की बजाये इस पर सुव्यवस्थित ढंग से, निष्पक्ष रूप में और अखिल भारतीय स्तर पर विचार किया जाये ?

श्री ल० ना० मिश्र : महंगाई भत्ते में वृद्धि दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार ही दी जाती है और महंगाई भत्ते में जो भी वृद्धि की जाती है वह मूल्यों में वृद्धि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए ही की जाती है। यह वृद्धि युक्तिसंगत और सुव्यवस्थित आधार पर की जाती है। जहां तक तीसरे वेतन आयोग की नियुक्ति का सम्बन्ध है, प्रश्न केवल महंगाई भत्ते के भुगतान तक ही सीमित नहीं होगा जैसा कि हम इस समय करते रहे हैं; इसका सम्बन्ध सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन क्रमों से है और उसके लिये हम नहीं समझते हैं कि स्थिति आ गई है।

श्री दी० चं० शर्मा : मुझे खेद है कि माननीय मंत्री ने मेरे प्रश्न को नहीं पढ़ा है। मैंने अपने प्रश्न में वेतनक्रमों, भत्तों और कार्य की अन्य शर्तों का उल्लंघन किया है और वह वेतन की बात कर रहे हैं जिसका यहां उल्लेख नहीं किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रथम वेतन आयोग ने यह आवश्यक शर्त रखी थी कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद वेतन और भत्तों —महंगाई भत्ता आदि—की जांच की जानी चाहिये, 10 वर्ष के बाद इन पर विचार करना आवश्यक है और क्या सरकार के लिये यह उचित नहीं होगा कि वह 1967 में एक तीसरा वेतन आयोग नियुक्त करे जबकि दूसरा वेतन आयोग बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह वेतनक्रम दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। हमने दूसरे वेतन आयोग की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। उन सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए हमें महंगाई भत्ता कितना दिया जाये इस सम्बन्ध में सिफारिश करने के लिए आयोग नियुक्त करते रहे हैं और ऐसा करना दूसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप ही है। जहां तक मुझे पता है ऐसी कोई बात नहीं है जो माननीय सदस्य ने कही है। दूसरा वेतन आयोग केवल 10 वर्ष पहले ही था परन्तु फिर भी हम प्रस्ताव की जांच कर रहे हैं और हम महसूस करते हैं कि तृतीय वेतन आयोग नियुक्त करने के लिये अभी सही समय नहीं है।

श्री त्यागी : उन्होंने अभी बसों को जलाना आरम्भ नहीं किया है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या राज्य सरकार के कर्मचारियों की यूनियनें भी वेतन आयोगों की मांग कर रही हैं; यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा पूरे देश के लिये आयोग नियुक्त किया जायेगा ?

श्री ल० ना० मिश्र : हमारा मुख्यतः सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से है और अभी तक हमें रेल कर्मचारी संघ तथा भारतीय राष्ट्रीय प्रतीरक्षा कर्मचारी संघ से मांग प्राप्त हुई है। हमारा राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनों से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री सुबोध हंसदा : मूल्यों में वृद्धि के कारण समय समय पर महंगाई भत्ते की तदर्थ दरों को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार ने यह अनुभव किया है कि महंगाई भत्ता देने

के कारण आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तुरन्त बढ़ गई हैं; यदि हां, तो क्या सरकार उनको वस्तुओं के रूप में न कि नकदी के रूप में राहत देना चाहती है?

श्री ल० ना० मिश्र: यह बहुत ही अच्छा सुझाव है। वित्त मंत्री तथा हम सब ने कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों से भी किसी प्रकार का समझौता करने का प्रयत्न किया है, परन्तु हम किसी ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच पाये।

इसके पश्चात् ही गजेन्द्रगड़कर आयोग नियुक्त किया गया था। आयोग का अन्तरिम प्रतिवेदन सभा पटल पर पहले ही रख दिया गया है और हम इस उच्च शक्ति प्राप्त आयोग की अन्तिम सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

Shri M. L. Dwivedi: Are Government considering any proposal regarding wage freeze; it, so, what steps Government are going to take in this connection?

Shri L. N. Mishra: No such proposal is before the Government and personally I am not in favour of wage freeze unless price freeze is done. Unless the prices are arrested, how the increase in wages can be reduced.

Shri Yashpal Singh: As the Government is aware the recommendations of the second Pay Commission are defunct, because whereas in the salaries of lower employees there has been an increase only of five rupees, the price of wheat has gone up by 20 rupees—previously the wheat was also sold at Rs. 16 per maund and now it is being sold at Rs. 48 per maund, *i.e.*, the price of wheat has gone up by three times. Mahatma Gandhi had suggested that there should be separate rates for the rich and the poor. In view of this will the Government fix the rates of essential commodities for the low paid employees so that they can purchase them?

Shri L. N. Mishra: It is a fact that the prices have risen, but the hon. Member should also see that we have provided the facility of cooperative Society shops and Fair Price Shops to the low paid Government employees. The prices which the hon. Member has quoted might be prevailing in the open market, but not in fair price shops. The Government employees are given the facility to purchase articles from the fair price shops. I agree that requisite steps have not been taken in this regard. We want to take further steps.

As regards the assumption that the prices have increased, I should submit that side by side salaries have also increased. Earlier the pay of a class IV employees was Rs. 70, which was increased to Rs. 80 by the second Pay Commission and today he is being paid Rs. 117, that means his pay has increased by Rs. 47. As I said, I admit that requisite steps have not been taken, but it is not correct to say that the salaries of the employees are stationary and static.

श्री इन्द्रजीत गुप्त: माननीय मंत्री ने बताया कि केन्द्रीय सरकार का राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन से कोई सम्बन्ध नहीं है और यह कि उनका सम्बन्ध केवल अपने कर्मचारियों से है और यदि हां, तो फिर सरकार ने गजेन्द्रगड़कर आयोग के निर्देशपद में यह बात क्यों कही कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को राज्य सरकार के कर्मचारियों से अधिक वेतन मिलता रहा है। और यह कि निर्णय करते समय इसको ध्यान में रखना चाहिये।

श्री ल० ना० मिश्र : प्रश्न का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से है । मुख्यतः राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिये जिम्मेदार हैं । जहां तक निर्देशपदों में राज्य सरकार के कर्मचारियों के प्रश्न को शामिल करने का सम्बन्ध है । इसका कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में प्रत्येक वृद्धि की राज्य सरकार के कर्मचारियों पर प्रतिक्रिया होगी और इस प्रश्न पर विचार करना होगा क्योंकि राज्य सरकारें हमसे अतिरिक्त सहायता मांगती हैं । अतः इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती ।

Shri Bagri: May I know whether while effecting an increase in the salaries of class III employees, whether any parity has been maintained between the rise in prices and the increase in pay, if so, the basis thereof? The salaries of the Central Government employees have been increased. Delhi Police is under Central administration. May I know whether the Delhi Police employees, who have not taken their pay-packets today and are staging demonstrations have also been brought within its ambit, if not the reasons therefor?

Shri L. N. Mishra: So for as the question of salaries and prices is concerned the rise in price is taken into consideration at the time of recommending increase in dearness allowance. You will recall that according to the second Pay Commission recommendations a fresh increase in Dearness Allowance is effected after every 10 points rise in cost of living index. Hence there is relation between the price and the salaries. As regards Delhi Police, I do not know whether Delhi Police is covered by it or not. I require notice for this question.

Shri Daljit Singh: May I know whether the recommendations of the Pay Commission will also apply to the employees of the projects like Bhakhra Dam and Nangal Dam which have been taken over by the Centre?

Shri L. N. Mishra: All employees are covered by it but the city compensatory allowance varies with the population of the city. There is one rate of city compensatory allowance for a city with a population of 5 lakhs and another rate of city compensatory allowance for a city with a population of 3 lakhs.

वृद्धावस्था पेंशन योजना

\+

*64.	श्री विश्वनाथ पांडेय :	डा० म० मो० दास :
	श्री सुबोध हंसदा :	श्री हेमराज :
	श्री स० चं० सामन्त :	श्री शिवमूर्ति स्वामी :
	श्री प्र० चं० बरुआ :	श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
	श्री भागवत झा आजाद :	श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
	श्री म० ला० द्विवेदी :	श्रीमती सावित्री निगम :

क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री 11 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2010 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समूचे देश में वद्धावस्था पेंशन योजना कब तक लागू हो जायेगी ;

(ख) इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इस पर होने वाले व्यय का कितना भाग अराज्य सरकारें वहन करेंगी ; और

(ग) इस योजना से कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचने की संभावना है ?

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) से (ग). यह योजना अभी विचाराधीन है ।

Shri Vishwanath Pandey: On what basis the old age pension will be given?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : ऐसी सम्भावना नहीं है कि चतुर्थ योजना में किन्हीं ठोस प्रस्तावों को क्रियान्वित किया जायेगा क्योंकि हिसाब लगाया है कि पांच वर्ष में इसके लिये लगभग 160 करोड़ रु० चाहिये जिसमें से 80 करोड़ रुपये राज्य सरकारों द्वारा दिये जायेंग और 80 करोड़ रु० केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जायेंगे । संसाधनों की वर्तमान स्थिति तथा अन्य कायक्रमों, विशेष रूप से कृषि और औद्योगिक कायक्रमों की उच्च प्राथमिकता और आदिम जातीय कल्याण, अनुसूचित जातियों का कल्याण आदि जैसे समाज कल्याण कायक्रमों के महत्व को ध्यान में रखते हुए मुझे सन्देह है कि इस कार्यक्रम को चतुर्थ योजना में लिया जा सकता है । उत्तर में "विचाराधीन है" कहने का कारण यह है कि हम इसको इस समय क्रियान्वित नहीं करना चाहते ; हम इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे और यह देखेंगे कि क्या हम इसको बाद में ले सकते हैं।

Shri Vishwanath Pandey: May I know the percentage of the old people who have been given pension of so far?

श्री अशोक मेहता : जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है ऐसी कोई योजना नहीं है। कुछ राज्य सरकारों में कुछ योजनाएं हैं । राज्य सरकारें क्या कर रही हैं इस बारे में मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

श्री सुबोध हंसदा : चूंकि माननीय मंत्री ने बताया है कि योजना विचाराधीन है, क्या उन्होंने वृद्धावस्था की कोई परिभाषा की है ; क्योंकि भारतवासियों की आयु अब कम हो गई है।

श्री अशोक मेहता : अनेक वांछनीय चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं, परन्तु हमारे संसाधन सीमित हैं और हमें यह फैसला करना है कि क्या करना चाहिये। अन्य योजनाएं भी हैं। कुछ राज्य सरकारों ने इस योजना को आंशिक रूप में लागू किया है । अतः समाज कल्याण विभाग और योजना आयोग में इन समस्याओं पर विचार किया जा रहा है, इसका अर्थ यह है कि यह विचाराधीन है, परन्तु मुझे सन्देह है कि इसके लिये 160 करोड़ रु० उपलब्ध हो सकते हैं ।

श्री सुबोध हंसदा : मेरा प्रश्न यह है कि क्या उन्होंने "वृद्धावस्था" की कोई परिभाषा की है ?

श्री अशोक मेहता : विचाराधीन योजना में परिभाषा दी गयी है । वह एक निराश्रित व्यक्ति हो, जिस के पास कोई आय का साधन और २० वर्षीय या उससे अधिक आयु का कोई सम्बन्धी जसे बेटा, पिता, पति या पत्नी नहीं है । निराश्रित व्यक्तियों में निम्नलिखित श्रेणी के सभी व्यक्ति सम्मिलित हैं : ६५ वर्ष या इससे अधिक आयु वाले सभी निराश्रित लोग, ६० वर्ष या इससे अधिक आयु वाले वे निराश्रित लोग जो अन्धेपन, कोढ़, विकलांगता अथवा अन्य किसी

प्रकार की निर्बलता के कारण अपनी जीविका उपार्जन करने में असमर्थ हैं। परन्तु ये सभी अभी प्रस्ताव मात्र हैं। जिन पर विचार किया जा रहा है और यह आवश्यक नहीं है कि इन सभी को योजना में सम्मिलित किया जाय ।

Shri **M. L. Dwivedi:** I would like to know the State where this scheme is working and how much the States are individually spending on it? How much assistance are they getting from the Central Government for it. What are the difficulties in the way of bringing this scheme in operation in various stages or is Minister not prepared to allot some fund for it?

Shri Asoka Mehta: As I have already stated that it is not a Central Government's scheme and the Centre is not participating in such schemes which are partially working in some states. I am not aware of how they intend to proceed further with this scheme. Now I have got no figures in respect thereof. If this scheme is to be implemented fully, it will require a fund of Rs. 160 crores to be spent on it for 5 years and it is absolutely impossible to allocate such a huge amount for it.

Shri M. L. Dwivedi: If it is not possible to implement this scheme in all the States simultaneously. Can it not be implemented in stages?

श्री अशोक मेहता : यह तो नहीं हो सकता । राज्य सरकारें इस मामले में जो चाहें, कर सकती हैं परन्तु भारत सरकार किसी भी राज्य से कोई विशेष योजना लागू करने का आग्रह नहीं करेगी ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: May I know what time a decision will be taken on this scheme? What are the States where this scheme has been introduced and what is their experience in respect thereto?

Shri Asoka Mehta: It is a question of money and not of experience. If we have enough money we can assist more people. This scheme was, first of all, introduced in Madras State. There a few persons who were given the benefits of this scheme are still receiving the same. There has not been any further expansion or extension of this scheme. Some thing has been done in Uttar Pradesh also but I have no full information about that. As regards the time it may take for being implemented. I would like to say that it will take a pretty long time. It is under consideration. Within the limited resources available it is not possible to use them for the welfare schemes.

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : क्या सरकार ने जनगणना के आधार पर एकत्र किये गये आंकड़ों पर आश्चर्य प्रकट किया है ? यह मालूम हुआ है कि प्रत्येक राज्य में 10,000 से भी अधिक शत-वर्षीय लोग हैं। क्या केन्द्रीय और राज्य सरकारों का उत्साह इन आंकड़ों को देखकर ही भंग हो गया है ।

श्री अशोक मेहता : हमारे देश के सामने अनेक समस्यायें हैं। किन्तु अपने सीमित संसाधनों से हमें वे समस्याएं पहले हल करनी हैं जो अविलम्ब हल होनी चाहियें । कल्याण सम्बन्धी सीमित कार्यक्रम में भी अनेक बातों को सोचना पड़ता है जैसे शिशु-कल्याण प्रसूति सम्बन्धी सुविधाएं तथा पिछड़ी जातियों के उत्थान आदि की समस्याएं आज हमारे सामने हैं। मौजूदा हालत में वृद्धावस्था पेंशन को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती ।

श्री जी० भ० कृपालानी : क्या सरकार ने ससाधनों के विषय में कभी सोचा है ?

श्री अशोक मेहता : हम और किस बात पर विचार कर रहे हैं ?

श्री तिरुमल राव : क्या केन्द्रीय सरकार ने इस योजना से सम्बन्धित कुछ आदर्श नियम बनाये हैं ? क्या सरकार को मालूम है कि आन्ध्र प्रदेश राज्य में इस प्रकार की पेंशन की स्वीकृति और स्वीकृत पेंशन की धनराशि के भुगतान में एक काफी लम्बा समय बीत गया है और अधिकतर ऐसे पेंशन-प्राप्त व्यक्ति भुगतान होने से पहले ही मरते जा रहे हैं।

श्री अशोक मेहता : मैं यह स्पष्ट कर चुका हूं कि भारत सरकार ने कोई ऐसी योजना नहीं बनाई है इसलिये आदर्श नियम बनाने या राज्यों को ऐसे नियमों को अपनाने के लिये कहने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कुछ राज्यों में यह योजना काम कर रही है पर तु मुझे मालूम नहीं कि उनके क्या नियम हैं ? जहां तक आन्ध्र प्रदेश का सम्बन्ध है मैं यह समझता हूं कि सीमित संसाधनों पर अन्य क्षेत्रों से अधिक दबाव पड़ने के कारण इस योजना के क्रियान्वयन में कठिनाई आ रही होगी ?

Shri Kashi Ram Gupta: This question should be considered more on humanitarian grounds rather than on financial grounds. Will you allow the old and destitute persons to die without giving financial assistance to them?

Shri Asoka Mehta: I fully agree with your ideas. I have full sympathy towards such destitute and old persons. But we are to consider it in view of the fact that we have limited resources.

Shri Sheo Narain: I would like to make the Planning Minister known that Uttar Pradesh Government have increased the amount of pension from Rs. 15 to Rs. 20. Will you please help in further increasing it to Rs. 30?

Shri Asoka Mehta: No, Sir.

Shri Gulshan: Do the Government know the number of such destitute and old persons? How many of them belong to Scheduled Castes? May I know whether Government is considering to help them financially?

Shri Asoka Mehta: I am not in a position to tell the exact number and it will require sufficient time to make such a survey. Though I have already told you that the scheme will require Rs. 160 crores and the Centre will have to pay half of it. In the existing circumstances it is not possible to spare such a huge amount for it.

Shri Bagri: There are about one crore such persons in India whose income is valued about Rs. 5000 crores. May I know whether Government are considering to take away Rs. 200 crores from this income and will use this amount for operating this scheme? If so, by what time the Government propose to do so?

Shri Asoka Mehta: We have taken into account all resources of income as well as savings of Government. Viewing all this it is not feasible to spare Rs. 160 crores for it.

Smuggling of Gold

+

*65. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:** **Shri Kolla Venkaiah:**
Shri Bade: **Shri Yashpal Singh:**
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Police had recovered a large quantity of illegal gold by raiding various parts of the country in September, 1966;

(b) if so, the quantity of gold recovered; and

(c) the action taken against the offenders?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri B. R. Bhagat): (a) & (b). A total quantity of 18 Kilograms of gold was seized in seven cases by the Police during September, 1966 and handed over to the Central Excise and Customs Departments for action. The value of the seized gold at the prevailing international rate comes to about Rs. 1,52,000 and at the market rate the value is estimated at approximately Rs. 2,52,000.

(c) In one case the offender has been prosecuted and convicted. In two cases the gold was unclaimed and the offender could not be traced. The other cases are under investigation.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: How much of the gold seized so far is Indian and how much of it is foreign? May I know whether in the eyes of the law foreign gold and Indian gold are treated alike?

Shri B. R. Bhagat: It is difficult to answer this question. I have no information about the quantity of foreign gold and Indian gold.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: May I know the total quantity of gold seized so far after the issue of Gold Control Order, and whether the attention of Government has been drawn to a case of Mandsaur district of Madhya Pradesh. Wherein 25 maunds of Gold was seized and in which many political leaders are involved and to some extent Government also are involved.

Shri B. R. Bhagat: The gold was seized in Bombay, Madras and Delhi. I have no information about the seizure of the gold in Mandsaur.

Shri Bade: Do the figures given by you relate to gold imported from foreign countries or to the gold seized in three packages or to the illegal gold possessed by the people in the country in contravention of the Gold Control Order?

Shri B. R. Bhagat: The figures relate to the gold seized by the Police. The figures in respect of the gold seized by the Customs Authorities will be given in reply to another question.

Shri Onkar Lal Berwa: I tell you one instance of December 1965. About 51 Gold Bars were seized in Chhoti Sadri, each Bar was of about 3 kilo in weight. Congress Committee decided at that time to weigh Shri Shastri with this gold. Why has it not been deposited under Government Control? Where has it gone now?

Shri B. R. Bhagat: The Question was in respect of Gold seized in the month of September. These figures are not related to 1965.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या यह सच है कि सितम्बर के महीने में ही बम्बई में बड़ी मात्रा में सोना पकड़ा गया था जिसका मूल्य करीबन 2 करोड़ रुपये था ? क्या जिम्मेदार व्यक्तियों या तस्कर-व्यापारियों को पकड़ लिया गया है या नहीं और क्या यहां पर सोने का भाव अधिक होने के कारण विदेशों से सोने का तस्कर व्यापार बढ़ता जा रहा है ?

श्री ब० रा० भगत : इस सम्बन्ध में दूसरा प्रश्न है। यह सच है कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने 816·6 किलोग्राम सोना पकड़ा है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या तस्कर व्यापार के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों को पकड़ लिया गया है ?

श्री ब० रा० भगत : इस सम्बन्ध में कुछ व्यक्तियों को पकड़ा गया है और कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया है ।

Shri Yashpal Singh: There should be monopolistic control of Government over gold in India. The moment the business in regard to the gold will be nationalized the moment smuggling will be put to an end. In a socialistic society the gold should be controlled by the State. May I know why Government is not prepared to do so?

Shri B. R. Bhagat: It can be achieved by adopting special measures. We have imposed Gold Control Rule under which nobody can possess primary gold. Sometime after a stage will be reached when nobody can have gold in primary form.

श्री उ० मू० त्रिवेदी : श्री कछवाय के एक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । यदि आप आज्ञा दें तो मैं उस प्रश्न को पूछना चाहता हूं । शायद माननीय मंत्री उसको समझ नहीं पाये। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । मैं दूसरा प्रश्न नहीं पूछूंगा । वह प्रश्न राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में पकड़े गये उस सोने के बारे में है जिस से भतपूर्व प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री को तोलने का वायदा किया गया था ।

अध्यक्ष महोदय : उस सोने को किसने पकड़ा है ? क्या उसको पुलिस ने पकड़ा है ?

श्री उ० मू० त्रिवेदी : इस सोने के बारे में एक ओर तो यह कहा गया था कि पुलिस ने इसको पकड़ा था और दूसरी ओर यह कहा गया था कि इसे जिलाधीश के पास जमा कराया गया था। पुलिस कहती है कि इसने सोने को पकड़ा है और सरकारी खजाने में रखा है और जो व्यक्ति सोने को लाया है वह कहता है कि मैं सोने को लाया हूं और जिलाधीश ने अपने हस्ताक्षर किये हैं। एक झगड़ा पैदा हो गया और पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया और वसूल किये गये माल की सूची तैयार की कि यह सोना अमुक स्थान से पकड़ा गया था और यह सोना उस व्यापारी के घर से चोरी छिपे ले जाया गया था जिसके मकान की तलाशी ली जा रही थी ।

अध्यक्ष महोदय : यहां पर हम इन ब्यौरों में नहीं जा सकते ।

श्री उ० मू० त्रिवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई कार्यवाही की गई है ? वह प्रश्न करें तो मैं उत्तर दूंगा । जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा कि यह 1965 से सम्बन्धित है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: In the question the information was sought upto September and not for the month of September. If the language is changed what can we do?

Shri B. R. Bhagat: The language there is not "upto" but "during September".

Shri Bade: That must be a printing mistake.

Mr. Speaker: Now what can I do. You give a new question.

Shri Onkar Lal Berwa: The Chief Minister of Rajasthan has manipulated in it.

Mr. Speaker: Next Question— Shri Berua.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Next Question relates to Banks. Kindly get answer to my question.

Mr. Speaker: When you received the question you ought to have brought the printing mistake to my notice. Now you may again give notice of the question.

बैंकों का राष्ट्रीयकरण

+

*66. **श्री दाजी :**
श्री रा० बरुआ :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सेझियान :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री बासप्पा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० म० मो० दास :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार किया है ; **और**

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). देश के बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर कई बार विचार किया जा चुका है लेकिन अभी तक ऐसा कदम उठाना जरूरी नहीं समझा गया । लेकिन बैंकों के कार्यचालन पर रिजर्व बैंक के नियंत्रण को कड़ा करने के लिए लगातार उपाय किये जाते रहे हैं।

श्री दाजी : कांग्रेस प्दल के उच्च नेताओं द्वारा दिये गये परस्पर विरोधी और उलझन पैदा करने वाले वक्तव्यों को ध्यान में रखते हुए मैं जानना चाहता हूं कि क्या बैंकों के सामाजिक नियंत्रण में राष्ट्रीकरण शामिल है या नहीं ।

श्री ब० रा० भगत : सामाजिक नियंत्रण नया शब्द नहीं है और विभिन्न स्थानों पर प्रयोग पकिया गया है । असली प्रश्न यह है कि राष्ट्रीयकरण के बारे में सरकार की क्या नीति है । इस बारे में हमारा पूरी तरह से व्यावहारिक दृष्टिकोण रहा है । यदि आर्थिक स्थिति के कारण कोई कदम उठाना आवश्यक हुआ, तो हम वह कदम उठायेंगे ; हमने पहले भी ऐसा

कदम उठाया है। इस समय हम नहीं कह सकते हैं कि हम यह करने जा रहे हैं या वह करने जा रहे हैं।

श्री दाजी : मेरा सीधा प्रश्न है। सरकार के निर्वचन में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा प्रयोग किये गये 'सामाजिक नियंत्रण' शब्द में राष्ट्रीकरण शामिल है या नहीं ? आप इस को क्रियान्वित करते हैं या नहीं वह एक पृथक् प्रश्न है ।

श्री ब० रा० भगत : मैं ने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है ; हमें शब्द के डिक्शनरी में दिये गये अर्थ को नहीं लेना चाहिये अपितु उसके पीछे जो नीति है उसको लेना चाहिये। 'सामाजिक नियंत्रण' शब्द कांग्रेस के केवल अंतिम संकल्प में ही नहीं है अपितु ये शब्द पिछले संकल्पों में भी थे। जब हम ने देखा कि संस्थानों का राष्ट्रीयकरण करना देश के हित में है तो हमने उनका राष्ट्रीयकरण किया है । यदि देश के हित में ऐसा करना आवश्यक हुआ तो हम भविष्य में भी ऐसा करेंगे ।

श्री दाजी : अध्यक्ष महोदय, में आपका संरक्षण चाहता हूं । यह एक विशिष्ट प्रश्न है यदि वह अंग्रेजी नहीं समझते तो मैं हिन्दी में प्रश्न कर सकता हूं । मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि क्या सामाजिक नियंत्रण शब्द में राष्ट्रीयकरण शामिल है या नहीं । वह उत्तर दे रहे हैं कि यह कोई नया शब्द नहीं हैं। सरकार ने पहले भी राष्ट्रीयकरण किया है इत्यादि । मैं केवल स्थिति के तथ्य तो जानना चाहता हूं मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के अनुसार 'सामाजिक नियंत्रण" शब्दों में राष्ट्रीयकरण शामिल है या नहीं (व्यवधान)

श्री ब० रा० भगत : मैं नहीं जानता । जब कि हमने पहले यह बता दिया है कि हम इस । राष्ट्रीयकरण करेंगे तो निश्चय ही इसका यह अर्थ निकलता है कि यदि हमने ऐसा समझा तो हम भविष्य में भी इसका राष्ट्रीयकरण करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप अपना अगला प्रश्न कीजिये।

श्री दाजी : इस बात प्को ध्यान में रखते हुये कि सरकार की नीति बैंकों पर अधिक सामाजिक नियंत्रण और पनियंत्रण रखने की है तो यह नीति रिजर्व बैंक या अन्य बैंकों के ऋण सम्बन्धी नियंत्रण में ढील देने के हाल में निर्णय से किस तरह मेल खाती है ? बैंकों के बढ़ते हुए सामाजिक नियंत्रणप से यह नीति किस प्रकार मेल खाती है ?

श्री ब० रा० भगत : यह नियंत्रण है न कि ढील यह विवेकशील नियंत्रण है। जब वैसी स्थिति होती है, उदाहरणार्थ, निर्यात के लिये या उत्पादन के लिये विभिन्न वस्तुओं के आयात के लिये, तो छूट निश्चय ही उत्पादन के हित में है । अतः जब वह छूट की बात कहते हैं, तो यह रिजर्व बैंक के नियंत्रण का एक भाग है ।

(प्रश्न संख्या 65 के बारे में)

(Re: Q. No. 65)

Shri Bade: Sir, I am sorry, I said something wrong.

Mr. Speaker: That is all right, but you should not charge in this manner that our office made the mistake.

Shri Bade: In the notice that we have got it is written.....

Mr. Speaker: I have got the written notice with me in your own hand wherein it is written "in September". Still you charge our office.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

जीवन बीमा निगम का खण्डों (जोन) में विभाजन करना

*67. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम की कार्यकुशलता को बढ़ाने हेतु निगम को विभिन्न खण्डों (जोन) में विभाजित करने के बारे में निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) . (क) जी, नहीं ।

(ख) सवाल ही नहीं उठता ।

भारत की चौथी योजना का पुनर्विलोकन करने के लिये बैल मिशन

*68. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० म० मो० दास :
डा० पू० ना० खां :
श्री वारियर :
श्री दाजी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री वासप्पा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ह० चा० लिंग रेड्डी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री उमानाथ :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री मि० सू० मूर्ति :
श्री हेम बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री वासुदेवन नायर :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
श्री प० ह० भील :
श्री प्र० के० देव :
श्री कपूर सिंह :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) 1966 में सितम्बर और अक्तूबर के महीनों में विश्व बैंक के वरनार्ड बैल मिशन द्वारा सामान्यत: चौथी योजना के संसाधनों के कार्यक्रम और विशेषत: विदेशी मुद्रा के खर्च के बारे में की गई जांच पड़ताल के क्या परिणाम निकले ;

(ख) भारत ने विश्व बैंक से कितनी वित्तीय सहायता की आशा की थी और क्या उसकी शत प्रतिशत मांग स्वीकार किये जाने की संभावना है ; और

(ग) भारत द्वारा मांगी गयी सहायता की राशि के बारे में विश्व बैंक कब तक अपनी घोषणा कर देगा ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) से (ग) विश्व बैंक ने श्री बरनार्ड बैल के नेतृत्व में विशेषज्ञों का एक दल गठित किया है। यह दल फिलहाल, प्रारम्भिक रूपरेखा में समाविष्ट चौथी पंचवर्षीय याजना के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं की जांच के कार्य में लगा हुआ है । दल ने अभी अपना काम पूरा नहीं किया है ।

इलैक्ट्रोनिक कम्प्यूटरों के विरुद्ध जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों का आन्दोलन

*69. **श्री स० मो० बजर्नी :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दाजी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामसेवक यादव :
श्री कौल्ला वैंकैया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सारे देश में जीवन बीमा निगम के कर्मचारी इलेक्ट्रानिक कमप्यूटर लगाये जाने के विरुद्ध सीधी कार्यवाही करने का विचार कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जीवन बीमा निगम के श्रेणी III और श्रेणी IV के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली तीन संस्थाओं में से अखिल भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी संस्था नाम की एक संस्था ने जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को 25 नवम्बर, 1966 को एकदिन की हड़ताल करने के लिए कहा है ।

(ख) निगम द्वारा दिये गये इस स्पष्ट आश्वासन को देखते हुए कि इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर लगाने के कारण कर्मचारियों की कोई छंटनी नहीं होगी। सरकार को इस बात का कोई कारण नहीं दिखायी पड़ता कि कम्प्यूटर लगाने का कर्मचारियों द्वारा क्यो विरोध किया जाना चाहिए जब कि उनका लगाया जाना निगम के बढ़ते हुए कार्य को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यक है ।

स्वर्ण नियन्त्रण आदेश

*70. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री नाथ पाई :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री हरि विष्णु कामत:

क्या **वित्त** मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्ण नियंत्रण आदेश में ढील देने की अभी हाल की घोषणा के परिणामस्वरूप जमा किया हुआ सोना कितनी मात्रा में बाहर आया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस उद्देश्य से कोई निगरानी रखी है, कि उक्त आदेश में ढील देने से तस्कर व्यापार की प्रवृत्ति पर कितना प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) देश में सोने के मूल्य पर सामान्य रूप से इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत): (क) से (ग) स्वर्ण नियंत्रण में संशोधन तथा रियायतों को कार्यान्वित करने सम्बन्धी अधिसूचना 1 नवम्बर, 1966 को भारत के गजट, असाधारण में जारी की जा चुकी है । अधिसूचनाओं की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं । सोने के तस्कर-व्यापार तथा मूल्य-स्तर इत्यादि पर संशोधित योजना के परिणाम तथा प्रभाव इतनी जल्दी नहीं नजर आ सकते हैं कि उन के बारे में सूचना देना संभव हो सके ।

जीवन बीमा निगम का प्रीमियम

*71. **श्री यश पाल सिंह :**
डा० रानेन सेन :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री वारियर :
श्री वासप्पा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० म० मो० दास :
श्री महेश्वर नायक :
श्री विश्वनाथ पाँडेय :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह बात सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर ली है कि जीवन बीमा निगम द्वारा ली जाने वाली प्रीमियम की दरें कम की जानी चाहियें ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा उन्हें कब से लागू किया जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) से (ग) प्रीमियम की दरों को निर्धारित करना या उन में संशोधन करना जीवन बीमा निगम का काम है, न कि सरकार का । फिलहाल निगम, बीमा किये गये व्यक्तियों की 1961-64 की अवधि में हुई मृत्यु-संख्या की जांच-पड़ताल कर रहा है और इस जांच-पड़ताल के परिणामों के आधार पर निगम इस प्रश्न पर भी गौर कर सकता है ।

उच्चस्तरीय सिंचाई आयोग

*72. **श्री अ० व० राघवन :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ पान्डेय :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० म० मो० दास :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग की योजना परियोजना सम्बन्धी समिति ने एक उच्चस्तरीय सिंचाई आयोग की स्थापना का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) योजना में सम्मिलित परियोजनाओं से संबद्ध समिति के सिंचाई दल ने उच्च स्तरीय सिंचाई आयोग को स्थापित करने का सुझाव दिया है ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

बम्बई में सोने की तस्करी

*73. **डा० रानेन सेन :**
श्री बासप्पा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री बागड़ी :
श्री यश पाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1966 में बम्बई में सोने के तस्कर व्यापारियों के एक ऐसे बड़े गिरोह का पता लगाया गया है, जिसका जाल राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में फैला हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो इस गिरोह को समाप्त करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) लगता है कि यह प्रश्न उस मामले के विषय में है जिस में सीमा शुल्क अधिकारियों ने सितम्बर, 1966 के मध्य में, अन्य सामान के साथ साथ, कुल मिलाकर 69,960 तोला सोना, 1,69,800 रुपये की मुद्रा तथा 50,000 रुपये मूल्य का दूसरा अवैध सामान पकड़ा था ।

(ख) इस सम्बन्ध में 18 व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं। मामला काफी लम्बा चौड़ा फैला होने से उसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है ।

स्वर्ण नियन्त्रण अधियनयम

*74. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० मो० दास :
श्री कोला वैंकैया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री नाथ पाई :
श्रीहेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम में संशोधन करने से सम्बन्धित व्यौरा तैयार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) उन संशोधनों का प्रत्याशित प्रभाव क्या होगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां ।

भारत रक्षा (चतुर्थ संशोधन) नियम, 1966, जिस में संशोधन शामिल किये गये हैं, 1-11-1966 को भारत के गजट असाधारण के रूप में जारी किये जा चुके हैं।

(ख) व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित, भारत रक्षा (चतुर्थ संशोधन) नियम, 1966 की प्रतियां पहले ही सदन की मेज पर रखी जा चुकी हैं। तथापि, स्वर्ण नियंत्रण में संशोधन की विस्तृत रूपरेखा निम्नलिखित है ।

(1) 14 कैरट से अधिक की शुद्धता के गहनों के निर्माण पर सभी प्रतिबन्धों का हटाया जाना।

(2) निजी तौर पर शुद्ध सोना रखने का निषेध ।

(3) वैध रूप से रखे गये शुद्ध सोने के गहने बनाने के लिए उसका विक्रेताओं/सुनारों को बिक्री अथवा टेंडर द्वारा निपटान करने के लिए छः महीने की अवधि की व्यवस्था ।

(4) इस सोने से गहने बनाने के लिए बिक्रेताओं और सुनारों के लिए छः महीने की अतिरिक्त अवधि की व्यवस्था।

(5) स्वर्ण शोधक कारखानों पर तथा शुद्ध सोने के निर्माण पर, जो केवल निर्दिष्ट विशेष नाप-तोल की स्टेन्डर्ड स्वर्ण-छड़ों के रूप में होगा, सरकारी नियंत्रण ।

(6) खानगी व्यक्तियों द्वारा कुछ निर्धारित सीमाओं से अधिक मात्रा में रखे गये गहनों और सोने की अन्य वस्तुओं की घोषणा ।

(7) आगे से सोने की चीजों के निर्माण पर प्रतिबन्ध।

14 कैरट की शुद्धता और तत्सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटाने वाले नियम तत्काल लागू हो गये हैं। स्टैण्डर्ड स्वर्ण-छड़ों के निर्माण सम्बन्धी अथवा उस पर आधारित अन्य नियम जिस तारीख से लागू होंगे वह बाद में अधिसूचित की जायगी।

(ग) प्रत्याशित मुख्य प्रभाव ये हैं :—

(1) 14 कैरेट की पाबन्दी को हटाने से तथा वैध रूप में रखे गये शुद्ध सोने को बेचने तथा गहने बनाने की इजाज़त से स्वर्णकारों को अधिक रोजगार मिलने के अवसर।

(2) शुद्ध सोने को गुप्त रूप से रखने व रेहन रखने पर पाबन्दी लगाना तथा प्रति व्यक्ति 2000 ग्राम सोने व प्रति परिवार 4000 ग्राम सोने से अधिक के जेवर तथा वस्तुओं को घोषित करने की आवश्यकता, चोरी छिपे रूप में लाये गये सोने के सुगम परिचालन तथा उसे जेवरों के रूप में बदलने की कार्यवाही पर रोक लगाने के उद्देश्य से किये गये उपाय हैं।

(3) जो स्वर्णकार फिर से स्वर्णकारी का धंधा नहीं अपनाते उन्हें पुनर्वास सहायता देने की तथा सोने की वस्तुओं के बनाने पर रोक लगाने की कार्यवाही सोने के प्रति मोह को कम करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए की गई है ।

केन्द्रीय आवास बोर्ड

*75. **श्रीमती विमला देवी :**
श्री अ० व० राघवन :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दिगे :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री 28 जुलाई, 1966 के तारांकित **प्रश्न संख्या** 114 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आवास की समस्या को हल करने सम्बन्धी कार्यवाहियों को समन्वित करने के लिये एक केन्द्रीय आवास बोर्ड की स्थापना के प्रस्ताव पर इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख) प्रस्ताव अभी तक योजना आयोग के विचाराधीन है ।

मैसर्स अमीन चन्द प्यारेलाल सार्थ-संघ

*76. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास के सीमा-शुल्क अधिकारियों ने आयात लाइसेंसों की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् भारी मात्रा में इस्पात आयात किये जाने के बारे में पता लगाया है ;

(ख) क्या आयात करने वाले पक्ष (अमीनचन्द प्यारेलाल सार्थ-संघ) ने माल भेजने वाले देश से किसी तरह सीमा पार करने के जाली प्रमाण-पत्र (क्रौस बोर्डर सर्टिफिकेट्स) प्राप्त कर लिये थे ;

(ग) पता लगाये गये तथा पकड़े गये माल का मूल्य कितना है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार के जांच-अभिकरणों ने इस मामले की पूरी-पूरी जांच कर ली है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) बम्बई सीमाशुल्क गृह ने अमींचन्द प्यारेलाल कम्पनी समूह द्वारा, आयात लाइसेंसों की अवधि खत्म हो जाने के बाद आयात किये गये इस्पात के तीन जत्थों का पता लगाया है ।

(ख) माल छुड़ाने के समय पेश किये गये सीमापार करने के प्रमाण-पत्रों को सीमाशुल्क अधिकारियों ने अवैध ठहराया है ।

(ग) पकड़े गये माल का लागत बीमा भाड़ा मूल्य 7,73,363 रुपये है ।

(घ) न्याय-निर्णय से पहले मामलों की जांच बम्बई के सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा की गई थी ।

(ङ) माल जब्त कर लिया गया था । तथापि आयात करने वालों को यह विकल्प दिया गया था कि यदि वे चाहें तो कुल 2,58,000 रुपये जुर्माना अदा कर के देश के अन्दर खपत के लिये माल छड़ा लें । कुल 2,28,000 रुपये का एक व्यक्तिगत दण्ड भी लगाया गया था ।

बड़ी परियोजनाओं को अपने हाथ में लेना अथवा उनके लिए वित्त की व्यवस्था करना

*77. **श्री बासप्पा :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राम सेवक यादव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० म० मो० दास :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्व नाथ पाण्डेय :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** 1 सितम्बर, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 791 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच कुछ बड़ी परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने अथवा उनके लिये वित्त की व्यवस्था करने के प्रस्ताव पर कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) सरकार का किन परियोजनाओं को अपने हाथ में लेने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) मामला अभी विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

रिज़र्व बैंक के गवर्नर द्वारा चौथी पंचवर्षीय योजना की आलोचना

*78. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ब० कु० दास :
श्री सेज़ियान :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री बासप्पा :
श्री किशन पटनायक :
श्री यश पाल सिंह :
श्री बागड़ी :
श्री राम सेवक यादव :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने आवर्त्तक भुगतान-शेष के संकट के बारे में चेतावनी दी है, जो राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा अनुमोदित योजना के परिव्यय से स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है ;

(ख) क्या उन्होंने योजना का आकार छोटा करने के लिये सरकार को सलाह दी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) और (ख). रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने चौथी योजना के आकार और भुगतान-शेष पर उसके सम्भावित प्रभाव सहित चौथी योजना के कतिपय पहलुओं पर टिप्पणियां की हैं।

(ग) चौथी योजना को अंतिम रूप देते समय इन टिप्पणियों तथा अन्य साधनों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार किया जायेगा ।

बम्बई में सोने का पकड़ा जाना

*79. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री मधु लिमये :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री ओंकार लाल बैरवा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा-शुल्क अधिकारियों ने बम्बई में 14 और 18 सितम्बर, 1966 के बीच की अवधि में 1.15 करोड़ रुपये की लागत का 70,000 तोला निषिद्ध सोना पकड़ा है ;

(ख) क्या इसके लिये जिम्मेदार तस्कर व्यापारियों का पता लगाया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है; और

(ग) क्या भारत में सोने का मूल्य अधिक होने के कारण विदेशों से चोरी-छिपे सोने का लाना बढ़ रहा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) स्पष्टतः यह प्रसंग उस मामले के विषय में है जिस में सीमा-शुल्क अधिकारियों ने 14 और 17 सितम्बर, 1966 के बीच अन्य वस्तुओं के साथ-साथ कुल 69,960 तोला सोना पकड़ा । लगभग जो (अन्तर्राष्ट्रीय दर पर) 69 लाख रुपये मूल्य का का होता है और स्थानीय बाजार भाव पर 1·15 करोड़ रुपये मूल्य का ।

(ख) इस सम्बन्ध में 18 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ।

(ग) इस अभिग्रहण से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि सोने की तस्करी बढ़ रही है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता

*80. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामसेवक यादव:
श्री रा० बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० म० मो० दास :
श्री सेझियान :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री दलजीत सिंह :
श्री रमापति राव :
श्री छ० म० केदरिया :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :
श्री वसुमतारी :
श्री प्रिय गुप्त :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व न्यायाधिपति, श्री गजेन्द्र गडकर की अध्यक्षता में बनाये गये महंगाई भत्ता आयोग ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले महंगाई भत्ते के बारे में अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) इन सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने क्या निर्णय किये हैं?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां । महंगाई भत्ता आयोग ने 400 रुपये से कम वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को 1–12–65 से दिये गये महंगाई भत्ते की पर्याप्ता के प्रश्न पर तथा जुलाई, 1966 में श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीने के औसत के 175 पर पहुंच जाने के कारण कर्मचारियों को 1–8–66 से दिये जाने वाले महंगाई भत्ते की दरों के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ।

(ख) आयोग की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

(i) 1–12–1965 से, श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीने के औसत में 100 से ऊपर 65 अंकों की कुल वृद्धि के लिये कर्मचारियों को, श्री दास स्वतन्त्र आयोग द्वारा वेतन श्रेणियों के इन चार वर्गों, अर्थात् क्रमशः

70—109, 110—149, 150—209 तथा 210—399 के लिये निर्धारित निराकरण के प्रतिशत दर के अनुसार महंगाई भत्ता दिया जाना चाहिये ;

(ii) 1-12-65 से पहले की अवधि में कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की दरों की पर्याप्तता का प्रश्न दुबारा नहीं उठाया जाना चाहिये; और

(iii) श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जुलाई, 1966 में 175 के स्तर पर पहुंच जाने के कारण, 75 अंकों की कुल वृद्धि के लिये महंगाई भत्ता, श्री दास स्वतंत्र आयोग द्वारा 400 रुपये से कम की वेतन श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये निर्धारित निराकरण की प्रतिशत दर पर 1-8-1966 से दिया जाना चाहिये ।

(ग) सरकार ने उपयुक्त सिफारिशों को पूरी तौर से मान लिया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने 400 रुपये से अधिक किन्तु 1000 रुपये से कम वेतन लेने वाले कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन करने का भी निश्चय किया है । इस सम्बन्ध में 19 अक्तूबर, 1966 को आदेश जारी कर दिये गये हैं।

विदेशी मुद्रा

*81. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के पास इस समय कुल कितनी विदेशी मुद्रा जमा है ;

(ख) क्या अवमूल्यन के पश्चात् निर्यात से विदेशी मुद्रा की कमाई में कोई खास वृद्धि हुई है ;

(ग) क्या निर्यातों तथा आयातों पर अवमूल्यन के प्रभाव के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस अनुमान का क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित सब से ताजा आंकड़ों से पता चलता है कि अगस्त, 1966 के अन्त में भारत की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी प्रारक्षित निधि, जिस में सोना भी शामिल है 428.19 करोड़ रुपये की थी। इस समय प्रारक्षित निधि लगभग 405 करोड़ रुपये की है ।

(ख) से (घ). अवमूल्यन के बाद अब तक निर्यात में कोई वृद्धि नहीं हुई । इसका कुछ कारण, खेती के मौसम का प्रतिकूल होना है । इसका कुछ कारण यह भी है कि उदार नीति के अपनाये जाने के परिणामस्वरूप कच्चे माल और मशीनों के हिस्सों के देश में पहुंचने और उसके फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि शुरू होने में कुछ समय लगेगा । इसलिए पृथक् रूप से इस बात का निर्धारण करना सम्भव नहीं है कि निर्यात पर अवमूल्यन का क्या प्रभाव पड़ा है । जहां तक आयात का सम्बन्ध है, आयात के सम्बन्ध में उदार नीति अपनाये हुए अभी इतना अधिक समय नहीं हुआ कि इस बारे में किसी

निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि अवमूल्यन के परिणामस्वरूप भिन्न-भिन्न वस्तुओं के आयात में कितना फेरबदल हुआ है । लेकिन इस मामले पर बड़े ध्यानपूर्वक नजर रखी जा रही है और स्थिति का अध्ययन किया जा रहा है ।

औषधियों के मूल्य

*82. **श्री बागड़ी :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रा० बरुआ :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या हाल ही में उन्होंने यह कहा है कि औषधियों के मूल्य इतने बढ़ गये हैं कि साधारण व्यक्ति औषधियां खरीद नहीं सकता ;

(ख) क्या उन्होंने निर्माताओं से मूल्य घटाने के लिये अनुरोध किया है ताकि साधारण व्यक्ति को अधिक कष्ट न हो ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नैयर) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस देश में औषधियों के मूल्य सामान्यतया ऊंचे हैं और इसलिये उनको यथा सम्भव घटाना सरकार की नीति रही है ।

(ग) औषध मूल्य (प्रदर्शन एवं नियंत्रण) आदेश 1966 जारी कर के 1 अप्रैल, 1963 को विद्यमान मूल्यों को स्थिर करने के कदम उठाये गये हैं। इस आदेश के अनुसार खरीदारों की सुविधा के लिए निर्माताओं को औषधियों के हरेक पैकेट आदि पर उसकी अधिकतम खुदरा कीमत छापनी पड़ती है । ऐसी औषधियों के मूल्य में किसी प्रकार की वृद्धि करने से पूर्व जो पहले से ही बाजार में उपलब्ध हों अथवा ऐसी नयी औषधियों का मूल्य निश्चित करने के लिये जो उन के छपे हुए सूचीपत्रों में नहीं हों निर्माताओं को सरकार की अनुमति भी लेनी पड़ेगी। उपभोक्ताओं से अधिक मूल्य तो नहीं लिया जा रहा है इस बात का विश्वास दिलाने के लिये विक्रेताओं को अपनी दुकानों पर औषधियों की मूल्य-सूची टांगनी पड़ेगी और इस बात को महसूस करते हुए कि औषधियों के मूल्य तब तक स्थिर नहीं रखे जा सकते जब तक वे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हों, औषधियों की सन्तोषजनक ढंग से पूर्ति करने के लिये उपाय बरते गये हैं। निर्माताओं को कच्चे माल के लिये लाइसेन्स देने में उदारता बरती जा रही है । प्रतिष्ठित आयातकर्ताओं द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा चौगुनी कर दी गई है । अपने निजी इस्तेमाल के लिये कोई व्यक्ति 200 रु० तक के मूल्य की औषधि आयात कर सकता है । अस्पताल और अनुसंधान संस्थान अब एक बार में 500 रु० के मूल्य तक की ऐसी औषधियां, रासायन तथा रीएजण्ट आयात कर सकते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता हो ।

मल्यों को बढ़ने से रोकना

*84. **श्री हरिश्चन्द्र माथर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अवमूल्यन को ध्यान में रखते हुए मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की है ;

(ख) उन कार्यवाहियों का क्या परिणाम रहा है ; और

(ग) अत्यावश्यक वस्तुओं का मूल्य किस अंक और स्तर पर रोकने की आशा सरकार की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) सरकार ने अवमूल्यन के बाद मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिए जो मुख्य कदम उठाये हैं, उन में अन्न, रासायनिक खाद और पेट्रोलियम से बने पदार्थों के लिए राजसहायता देना, उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आयात सम्बन्धी प्रतिबन्धों को कम करना, आवश्यकता पड़ने पर अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों के संबंध में शीघ्रता से सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए असैनिक सम्भरण आयुक्त (सिविल सप्लाइज कमिश्नर) नियुक्त करना और बड़े शहरों में उपभोक्ता सहकारी भंडार और बहुविभागीय भंडार खोलना शामिल है ।

(ख) आयात सम्बन्धी प्रतिबन्ध कम करने और सरकार द्वारा किये गये अन्य उपायों का परिणाम कुछ समय बाद ही मालूम होगा । इस बीच देश के कुछ भागों में सूखा पड़ने तथा बा आने से फसलों को हुई हानि की खबरों का भी मूल्य संबंधी स्थिति पर प्रभाव पड़ा है । अवमूल्यन के बाद से 15 अक्तूबर तक थोक-मूल्यों में 3.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में 5.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी । श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचक अंक (1949-100), जो मई में 181 था, बढ़कर अगस्त में 190 हो गया ।

(ग) सूचक-अंक का ऐसा कोई पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है जिसे बनाये रखना है । सरकार को आशा है कि मूल्यों की अत्यधिक वृद्धि को रोका जा सकेगा ।

Backward Areas

*85. **Shri M. L. Dwivedi:**
Shri P. C. Borooah:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri S. C. Samanta:
Dr. M. M. Das:
Shri Subodh Hansda:

Will the Minister of **Planning and Social Welfare** be pleased to state:

(a) the reasons for the backward areas still remaining backward even after the completion of three Five Year Plans although provision was made in each Plan for the development of backward areas and to bring them at par with other areas;

(b) the schemes formulated by the Planning Commission for implementation in the Fourth Plan;

(c) the broad features of the survey, if conducted, of the backward areas in the country; and

(d) whether Government propose to lay a statement on the Table showing the areas in the country which have been identified by Government as backward areas?

The Minister of Planning and Social Welfare (Shri Asoka Mehta): Promotion of balanced regional development was accepted as one of the long term goals of economic and social development in the country. Backward areas, by their very definition, are areas lacking in adequate infra-structure and poorer in natural resources. Development of such areas necessarily takes time. Results of the efforts made can become identifiable over a long period.

During the Third Plan, an attempt was made to identify the backward areas through a set of indicators of development. Also some specific provision was made in a few State Plans to accelerate development of certain known backward areas particularly border and hill areas.

In the context of the Fourth Five Year Plan, the problem of accelerated development of backward areas is being dealt with by making special provision for tribal areas, hill areas, desert areas, chronically drought affected areas and accelerating development through State's Fourth Five Year Plans, in a few districts with high density of population, low income and employment opportunities. In the discussions which are taking place on the Draft Fourth Five Year Plans of States, an attempt is being made to identify the areas, their problems of development and the programmes of development. The conclusions reached after these discussions will be shown in the final version of the Fourth Five Year Plan, which will be placed before the House, when it is ready.

विदेशों में रखा हुआ निर्यात से प्राप्त धन

*86. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री इम्बीचीबाबा :
श्री उमानाथ :
श्री प० कुन्हन :
श्री नम्बियार :
डा० साराडीश राय :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 सितम्बर, 1966 को 'ब्लिट्ज' में 'रिजर्व बैंक अथवा प्राइवेट रिजर्व बैंक' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित इस समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है कि हमारे निर्यात से प्राप्त धन में से प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये छिपा कर रखे जाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच पड़ताल की गई है ; और

(ग) विदेशी मुद्रा की इस क्षति को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) उपलब्ध सूचना के आधार पर यह बताना संभव नहीं है कि छिपाये गये धन की ठीक-ठीक रकम क्या है । 'ब्लिट्ज' में प्रकाशित मामलों पर आगे कार्यवाही तथा जांच की जा रही है । जांच पूरी होने पर सरकार उन पर उचित कार्यवाही करने के बारे में विचार करेगी ।

(ग) रिजर्व बैंक को आदेश है कि विदेशी मुद्रा की कमाई को स्वदेश लाने के बारे में कड़ी निगरानी रखे ।

योजना परियोजनाएं

*87. श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री सेझियान :

क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966–67 के आयव्ययक में योजना की परियोजनाओं के लिये नियत राशि में कोई कटौती की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका, राज्यवार, व्यौरा क्या है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है । [पुस्तकालय में रखा गया, देखिए संख्या एल० टी० 7196/66] इस में प्रत्येक राज्य के लिए योजना आयोग द्वारा स्वीकृत तथा जैसा कि राज्य बजटों में समाविष्ट किया गया है 1966–67 के लिए सालाना योजना व्यय व्यवस्था को दर्शाया गया है । बजट व्यवस्थाओं के अनुपात में इन में आगे क्या काट-छांट या समंजन किया गया इस बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

राष्ट्रीय आय में कमी

*88. श्री अ० प्र० शर्मा :
श्री शिव मूर्ति स्वामी :

क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1965–66 में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में 3.7 प्रतिशत की कमी हुई है ;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जो शीघ्र अनुमान तैयार किये गये हैं उन के अनुसार, 1965–66 में प्रति व्यक्ति आय 1964–65 की अपेक्षा 5.9 प्रतिशत कम थी ।

(ख) और (ग). 5.9 प्रतिशत प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में कमी आने का कारण राष्ट्रीय आय में 3.7 प्रतिशत की कमी तथा जनसंख्या में 2.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी होना है । राष्ट्रीय आय में कमी आने का कारण (1) कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों की कुल पैदावार में उल्लेखनीय ह्रास, (2) खनिज तथा निर्मित वस्तुओं के विकास की दर में उल्लेखनीय रूप से कम होना, और (3) रेलवे को छोड़कर वाणिज्य तथा परिवहन क्षेत्रों में कुल निर्मित आय में पर्याप्त कमी होना है । कृषि में जो कमी आई है उसका मुख्य कारण अभूतपूर्व सूखे की स्थिति का विद्यमान होना तथा वस्तुओं के निर्माण में जो कमी हुई है उसका मुख्य कारण कच्चे माल एवं उपकरणों की कमी होना है । परन्तु वाणिज्य तथा परिवहन की आमदनी में कमी आने का कारण कृषि तथा उद्योग में रुकावट पैदा होना है।

इस बात के प्रयत्न किये जा रहे हैं कि (1) पहले से निर्मित क्षमता का पूरा उपयोग कर, और (2) विकास व्यय-व्यवस्था के द्वारा अतिरिक्त क्षमता का निर्माण कर राष्ट्रीय

आय बढ़ाई जाय । सभा के पटल पर प्रस्तुत चौथी योजना की प्रारम्भिक रूप रेखा में इन उपायों का ब्यौरा पहले ही दिया जा चुका है ।

Strike in Government Press, New Delhi

*89. **Shri Onkar Lal Berwa:** Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that one thousand employees of the Government of India Press, New Delhi are on strike since the 19th September 1966;

(b) if so, the nature of their demands; and

(c) the reasons for not accepting their demands?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna): (a) The number of employees in the Government of India Press, New Delhi, is about 2500. About 82 of them who are Lino and Mono operators struck work from 24th August, 1966 to 7th September, 1966.

(b) Upward revision of their pay scale.

(c) Though there was no case for the revision of the pay scale, it was felt that a selection grade in a higher scale may be provided. The proposal will require the concurrence of the Ministry of Finance.

राज्यों की अर्थोपाय स्थिति

*90. **श्री वाडीवा :**
श्री उ० मू० त्रिवेदी :
डा० चन्द्रभान सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह दर्शाया गया हो कि :

(क) सहायता कार्यों पर किये जाने वाले खर्च को पूरा करने के लिए अपनी अर्थोपाय स्थिति को सुधारने हेतु तदर्थ सहायता के लिए सम्बद्ध राज्य सरकारों से क्या-क्या प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) ऐसी प्रत्येक प्रार्थना पर भारत सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख). सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है । **[पुस्ताकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 7197/66]**

मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी

264. **श्री उटिया :**
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वित्त** मंत्री 11 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 407 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी द्वारा विदेशी मुद्रा के दुरुपयोग / उल्लंघन के मामले में न्याय निर्णय आदेश के विरुद्ध दर्ज कराई गई अपील की सुनवाई तथा निपटान में इस बीच कोई प्रगति हुई है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीचन्द्र चौधरी) : (क) अपीलों की व्यक्तिगत सुनवाई 5 सितम्बर को शुरू हुई थी और थोड़े-थोड़े समय के लिए स्थगित रहती हुई, अभी भी चल रही है। व्यक्तिगत सुनवाई समाप्त होने और ढेर सारे प्रमाणों की छानबीन होने के बाद ही अपीलों का यथासम्भव शीघ्र निपटारा किया जा सकेगा ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

भारत में सिंचाई और विद्युत् क्षमता का विकास

265. **श्री अ० क० गोपालन :**

श्री उमानाथ :

श्री नम्बियार :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री 19 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1280 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सिंचाई और विद्युत् क्षमता के विकास की भावी योजना के प्रारम्भिक कार्य में इस बीच कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) प्रारम्भिक कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) पश्चिम की ओर बहने वाली तापी के उत्तर की नदियों नामशः नर्मदा, तापी, माही और साबरमती के लिए जलीय आंकड़ों का एकत्रण तथा बृहत् योजनाओं को तैयार करना केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है। गंगा बेसिन के सम्बन्ध में इस प्रकार के अध्ययन सिंचाई व बिजली मंत्रालय में हो रहे हैं। इस कार्य के लिए आवश्यक वित्तीय प्रबन्ध का प्रस्ताव 1967-68 के लिए किया जा रहा है। राज्य सरकारों को भी यह सलाह दी गयी है कि वे दीर्घकालीन सिंचाई विकास के लिए बृहद् योजनाएं (मास्टर प्लान्स) बनायें। देश के जलीय संसाधनों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है जिससे बिजली के विकास के लिए संभावी स्थलों का पता चलता है। ऊर्जा सर्वेक्षण समिति ने देश के ऊर्जा संसाधनों का अध्ययन किया है।

(ख) क्योंकि इस कार्य में जल विज्ञान सम्बन्धी तथा अन्य आंकड़ों का एकत्रण होना है, इस पर काफ़ी समय लगेगा ।

समाचार पत्रों के सम्वाददाताओं के लिए मकानों की व्यवस्था

266. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री समाचार पत्रों के मान्यता प्राप्त सम्वाददाताओं के लिए मकानों की व्यवस्था के सम्बन्ध में 1 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3932 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 78 में से, कितने मान्यताप्राप्त प्रेस सम्वाददाता हैं और कितने मान्यताप्राप्त फोटोग्राफर हैं ; और

(ख) उन में से प्रत्येक वर्ग के कितने व्यक्तियों से बाजार भाव पर किराया लिया जा रहा है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) संख्या निम्न प्रकार है :—

मान्यताप्राप्त प्रेस सम्वाददाता	72
मान्यताप्राप्त फोटोग्राफर	3
मान्यताप्राप्त व्यंग्य चित्रकार	3
कुल	78

(ख) किसी से नहीं ।

मकान बनाने की योजनाओं के लिए निधि

267. **श्री राम हरख यादव : क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1966 की आवास तथा नगरीय विकास योजनायों के लिए विभिन्न राज्यों के लिए धन नियत किया है ;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार कितनी-कितनी निधि निर्धारित की गई है ; और

(ग) 1966 के लिए इस कार्य के हेतु विभिन्न राज्यों की मांग कितनी-कितनी राशि की थी ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). राज्य सरकारों ने अपनी वार्षिक योजना में जिन निधियों का प्रस्ताव किया है तथा 1966–67 के वर्ष में जो नियतन किया गया है वह निम्नांकित हैं :—

क्रम संख्या	राज्य सरकार का नाम	1966–67	
		राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तावित निधियां	नियत की गई निधियां
		(रुपये लाखों में)	
1.	आंध्र प्रदेश	25.55	21.00
2.	असम	20.00	12.00
3.	बिहार	30.00	30.00
4.	गुजरात	50.00	50.00
5.	जम्मू और कश्मीर	30.00	25.00
6.	केरल	20.00	20.00
7.	मध्य प्रदेश	44.75	35.00
8.	मद्रास	143.00	133.00
9.	महाराष्ट्र	322.00	274.00
10.	मैसूर	40.00	45.00
11.	उड़ीसा	20.00	20.00
12.	पंजाब	11.03	11.00
13.	राजस्थान	15.00	10.00
14.	उत्तर प्रदेश	75.00	65.00
15.	पश्चिमी बंगाल	160.038	150.00
16.	नागालैण्ड	36.00	25.00
	कुल	1042.71	926.00

सितम्बर, 1966 में सरकारी समितियों द्वारा अभिदत्त विकास ऋण

268. **श्रीमती राम दुलारी सिन्हा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1966 में, अभिदत्त कुल विकास ऋण के राज्यवार आंकड़े क्या हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य में, विकास ऋण के लिये सहकारी समितियों सहित मुख्य स्रोतों से कितना-कितना विकास ऋण प्राप्त हुआ ;

(ग) क्या सरकार तथा भारत के रक्षित बैंक ने सहकारी समितियों द्वारा विकास ऋण में योग दिये जाने के विचार का अनुमोदन किया है ; और

(घ) यदि हां, तो सहकारी समितियों की इन निधियों की कमी को कैसे पूरा किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) सितम्बर, 1966 में राज्यों द्वारा जारी किये गये विकास ऋणों के लिए दी गयी रकमें इस प्रकार थीं :—

	(करोड़ रुपयों में)
आन्ध्र प्रदेश	9.11*
असम	3.00
बिहार	4.05
गुजरात	7.71
केरल	4.28
मध्य प्रदेश	5.11
मद्रास	13.27
महाराष्ट्र	15.36
मैसूर	4.13
उड़ीसा	6.22
पंजाब	4.02
राजस्थान	5.04
उत्तर प्रदेश	11.07
पश्चिमी बंगाल	6.02
जोड़	98.39

*चूंकि ऋणों के लिए दी गयी रकमें, जारी किये गये ऋणों की रकमों से 10 प्रतिशत (7.5 करोड़ रुपये से) अधिक थीं, इसलिए रखी जाने वाली रकम लगभग 8.23 करोड़ रुपया है।

आंकड़े अनन्तिम हैं।

(ख) ऋणों के लिए रुपया देने वाले विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों द्वारा दी गयी रकमों का ब्यौरा गोपनीय समझा जाता है, इसलिए उसे प्रकट नहीं किया जा सकता।

(ग) और (घ). सहकारी संस्थाओं द्वारा राज्यों के ऋणों के लिए रुपया दिये जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन इस कार्य के लिये उनके लिए पुनर्वित्त-व्यवस्था नहीं की जाती है।

श्री छागन लाल गोदावट के यहां छापा

269. **श्री लाखन दास :**

श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग अथवा किसी अन्य केन्द्रीय जांच विभाग ने श्री छागनलाल गोदावट के यहां छापा मारा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके पास से, अन्तर्राष्ट्रीय और "उन्मुक्त बाजार" भारतीय भाव के हिसाब से कितने मूल्य का स्वर्ण/चांदी/धन पकड़ा गया ;

(ग) क्या श्री गोदावट अथवा उसके किसी सम्बन्धी द्वारा श्री गणपतलाल के विरुद्ध कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा मामला दर्ज कराया गया है, कि उसने श्री गोदावट के यहां से उसका कुछ सोना चुराया है ;

(घ) क्या चोरी किये गये स्वर्ण में से कुछ सोना अथवा कोई दूसरा सोना राजस्थान पुलिस द्वारा उक्त गणपतलाल और कुछ दूसरे व्यक्तियों के फार्म/घर/स्थान से पकड़ा गया है और उसका पंचनामा बनाया गया है ;

(ङ) क्या राजस्थान सरकार/अधिकारियों द्वारा उक्त श्री गणपतलाल को स्वर्गीय प्रधान मंत्री लाल बहादुर शास्त्री को तोलने के लिये उस के द्वारा 44 किलो सोना खजाने में जमा कराये जाने की कोई रसीद दी गई थी;

(च) क्या केन्द्रीय सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से खजाने में जमा कराये गये सोने को और पंचनामा में दर्ज सोने को अपने कब्जे में ले लिया है और उस के लिये रसीद दे दी है ; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी हां, । दिल्ली समाहर्ता कार्यालय के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा छापा मारा गया था ।

(ख) पकड़े गये सोने का मूल्य उस समय की अन्तर्राष्ट्रीय दरों के अनुसार 12.58 लाख रुपये बाजार भाव से 36.15 लाख रुपये था । पकड़ो गयी चांदी का मूल्य बाजार भाव से 10.54 लाख रुपये है । कोई रुपया पैसा नहीं पकड़ा गया है ।

(ग), (घ), (ङ), (च) और (छ) . राजस्थान पुलिस द्वारा श्री गणपतलाल और कुछ अन्य व्यक्तियों से कुछ सोना बरामद किया गया था । स्वर्ण नियंत्रण नियमावली के अधीन कार्यवाही करने के लिए, पुलिस से सोना प्राप्त करने के लिए, कार्यवाही की जा रही है । इस मामले का सम्बन्ध राज्य सरकार से है तथा इससे अधिक कोई सूचना उपलब्ध नहीं है ।

मैसर्स आर० एस० माधोराम एण्ड संज

270. **श्री लाखन दास :**

श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिकायतें किये जाने पर देहरादून में आय कर अधिकारियों ने आर० एस० माधोराम एण्ड संज, एक फर्म जिसका मुख्य कार्यालय देहरादून में है, बहीखातों तथा हिसाब-किताब की जांच की है ;

(ख) क्या उन्हें पता लगा है कि ग्राहकों को मिल से प्राप्त हुए खराब माल पर, छूट दी जाती है ।

(ग) क्या वे लोग खराब माल की प्राप्ति तथा बिक्री के पृथक-पृथक लेखे रखते हैं तथा आय कर अधिकारियों को दिखाते हैं;

(घ) क्या वे समय-समय पर आय कर अधिकारियों को स्टाक की स्थिति तथा स्टाक के रजिस्टर दिखाते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो आय कर अधिकारियों ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रत्येक लेखा वर्ष के केवल अन्त में स्टाक की जो स्थिति होती है वही आयकर अधिकारियों को दिखाई जाती है । स्टाक की दिन प्रति दिन की स्थिति दिखाने वाले स्टाक रजिस्टर नहीं रखे जाते हैं ;

(ङ) लेखा पुस्तकों में छोटे मोटे दोष पाये गये थे जिनके सम्बन्ध में आमदनी में उचित रकम बढ़ा दी गई है ।

बूरनेर नदी घाटी परियोजना

271. **श्री लाखन दास :**
श्री मधु लिमये :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मुंघेर जिले का जमुई अमुमंडल नामक स्थान अभावग्रस्त क्षेत्र है और इस वर्ष उस क्षेत्र में अत्याधिक सूखा पड़ा है;

(ख) क्या यह सच है कि बुरनेर नदी घाटी परियोजना के पूर्ण हो जाने से यह कमी बहुत कम हो जायेगी;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने तथा केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने इस परियोजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने की सिफारिश की है;

(घ) क्या उन्होंने यह सिफारिश भी की है कि इस वर्ष सहायता कार्यक्रम के रूप में इस परियोजना को तथा दक्षिण बिहार के अन्य परियोजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित अथवा आरम्भ किया जाये;

(ङ) क्या बुरनेर योजना के लिये कोई विशेष केन्द्रीय सहायता की पेशकश की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो उस राज्य में फैले दुर्भिक्ष की स्थिति को देखते हुए यह सहायता न दिये जाने के क्या कारण है ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद): : (क) यह सत्य है कि इस वर्ष दक्षिण बिहार का एक बड़ा भाग सूखे से प्रभावित हुआ है ।

(ख) से (घ) जी हां ।

(ङ) बिहार राज्य में मध्यम कोटि की नई सिंचाई स्कीमों के लिये चतुर्थ योजना में इकमुश्त धन राशि का प्रबंध कर दिया गया है ।

साबरीगिरी पन-बिजली परियोजना
(केरल)

272. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में साबरीगिरी पन बिजली परियोजना के निकट भविष्य में पूरी तरह चालू हो जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना कब से पूरी तरह कार्य करने लगेगी;

(ग) क्या मूल कार्यक्रम की पूर्णता में विलम्ब हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (श्री फखरूद्दीन अहमद) : (क) और (ख) जी, हां। जुलाई, 1967 तक।

(ग) और (घ) जी, हां। लगभग दस महीनों की देरी हुई है। इस के कारण ये हैं कि अवधारक नलों के बनाने के कारखाने में हड़ताल हो गई थी और बिजली घर को बनाते समय इसके साथ ही पहाड़ी भयंकर धूप से नीचे खिसक गई थी जिसकी वजह से स्विचयार्ड और अन्य संरक्षण कार्यों के लिये अन्य स्थान को निर्धारित करना आवश्यक हो गया।

मैसर्स बर्ड एन्ड कम्पनी

273. **श्री उटिया :** **श्री किशन पटनायक :**
श्री मधु लिमये : **डा० राममनोहर लोहिया :**

क्या **वित्त** मंत्री 18 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 517 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी पर लगाये गये एक करोड़ बीस लाख रुपये और एक करोड़ साठ लाख रुपये के दो अर्थ दण्डों से सम्बन्धित मूल न्यायनिर्णयादेश के विरुद्ध की गई अपील को इस बीच निपटा दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार ने इस अपील के शीघ्र निपटारे के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) और (ख) न्याय-निर्णय अधिकारी ने मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी और अन्य सम्बन्धित पार्टियों के मामले में दो आदेश जारी कर के कुल मिला कर 1,65,35,000 रुपये के अर्थ दण्ड लगाये थे (37 लाख रुपये का अर्थ दण्ड एक आदेश से और एक करोड़ 28 लाख, 35 हजार रुपये का दूसरे आदेश से) अपीलों की व्यक्तिगत सुनवाई 5 सितम्बर को शुरू हुई थी और, थोड़े थोड़े समय के लिए स्थगित रहते हुए अभी भी चल रही है व्यक्तिगत सुनवाई होने और ढेर सारे प्रमाणों की छानबीन किये जाने के बाद ही अपीलों का यथासंभव शीघ्र निपटारा किया जा सकेगा।

फरक्का बांध

274. **श्री सुरेंद्र पाल सिंह :**

क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरक्का बांध के सम्बन्ध में चालू वर्ष के लिये जो धन नियत किया गया है वह उसकी वास्तविक आवश्यकता से 7 करोड़ 50 लाख रुपये कम है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस कमी को पूरा करने का है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) फरक्का बराज परियोजना के लिए 1966–67 के वर्ष के लिए 12.5 करोड़ रुपये का बजट स्वीकार किया गया है। तैयार किए गए कायक्रम के लिए अरितरिक्त धन की आवश्यकता है और इसके लिए यत्न किया जा रहा है ।

भारत सेवक समाज

275. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के एक श्रम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि भारत सेवक समाज एक समाज कल्याण संगठन नही है अपितु एक उद्योग है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई कार्यवाही की गई है कि समाज श्रम सम्बन्धी कानूनों का पालन करे;

(ग) क्या समाज को एक समाज कल्याण संगठन के रूप में कोई विशेष दर्जा अथवा सहायता दी जा रही है; और

(घ) क्या समाज को पुनर्गठित करने के लिये कोई प्रयत्न किये जा रहे हैं; ताकि यह उन मूल सिद्धान्तों के अनुसार जिन के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी प्रभावशाली ढंग से एक समाज कल्याण संगठन के रूप में काम कर सके ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) दिल्ली के एक श्रम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार भारत सेवक समाज एक उद्योग है। यह निर्णय नहीं दिया गया है कि यह एक समाज कल्याण संगठन नहीं है ।

(ख) भारत सेवक समाज का विचार है कि दिल्ली के श्रम न्यायालय का प्रतिरोध दिल्ली के उच्च न्यायालय में किया जाए। भारत सेवक समाज की निर्माण सेवाएं शुद्ध रूप से औद्योगिक कार्य हैं, भारत सेवक समाज ने बताया है कि इनके बारे में वह पहले से ही श्रमिक कानूनों का पालन कर रहा है ।

(ग) अखिल भारतीय स्वैच्छिक संगठन के रूप में समाज को योजना कार्यक्रमों के लिए सरकारी अनुदान मिल रहा है ।

(घ) समाज ने बताया है कि वह उन्हीं मूल सिद्धान्तों के अनुसार काम कर रहा है जिनके लिए इसकी स्थापना की गई थी ।

मछुओं के पढ़ने वाले बच्चों को सहायता

276. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में मछुवे छात्रों को दी जाने वाली सहायता बन्द कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) तथा (ख) यह सूचना राज्य सरकार से एकत्रित की जा रही है तथा प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सरकारी खर्च में मितव्यता

278. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० म० मो० दास :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मितव्ययता के लिये सरकार के प्रयत्नों तथा इस प्रयोजन के लिए सचिवों की एक समिति के बावजूद मजूरी तथा वेतनों पर सरकारी खर्च जो 1962 से 253 करोड़ रुपये था वर्ष 1965–66 में बढ़ कर 500 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है;

(ख) इस वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थिति का औचित्य किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता है और इस मामले में क्या सबक मिले हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। असैनिक और रक्षा अनुमानों के अधीन (रेलवे, डाक तथा तार, समुद्रपारीय संचार सेवाएं आदि जैसे विभागीय वाणिज्यिक संस्थाओं को छोड़कर) मजदूरी और वेतन की कुल रकम 1961—62 में 253 करोड़ रुपये से बढ़ कर 1965–66 में 516 करोड़ रुपया हो गयी है। अधिकतर वृद्धि रक्षा के अधीन हुई है। अन्य असैनिक विभागों के अधीन हुई वृद्धि लगभग 51 करोड़ रुपये की है और इसमें विकास सम्बन्धी व्यय भी शामिल है।

सरकारी काम की गति में वृद्धि और देश की सुरक्षा तथा विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं के कारण अधिक व्यय हुआ है। इनके अतिरिक्त कर्मचारियों की सामान्य वेतन-वृद्धियों और जीवन-यापन के व्यय में वृद्धि की प्रतिपूर्ति के रूप में समय-समय पर दिये जाने वाले अतिरिक्त भत्तों (अर्थात मंहगाई भत्ता, प्रतिपूर्ति और मकान किराया भत्ता, शिक्षा भत्ता आदि) के कारण व्यय में वृद्धि हुई है।

कार्य-कुशलता बनाये रखते हुए खर्च में कमी करने की आवश्यकता पर सरकार द्वारा बराबर विचार किया जा रहा है। कार्य-प्रणाली तथा विधि में सुधार करके और काम का नाप-तोल करने के लिए किये जाने वाले अध्ययन के कार्यक्रम द्वारा कर्मचारियों की संख्या में बचत की जाती है।

Globe Chit Fund (P) Ltd., Delhi

279. **Dr. Ram Manohar Lohia:**
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that several Chit Fund Companies of Delhi have stopped making payments to their chit-holders against the chits issued prior to application of the Madras Chit Fund Act, 1961 to the Union Territory of Delhi in April, 1964 due to its extension to Delhi;

(b) whether any complaints from the share-holders have been received against the Globe Chit Fund (Private) Ltd., Delhi for non-payment and the money lying with it; and

(c) if so, the action taken for safe-guarding the interests of chit-holders registered before the date of extension of the Madras Chit Fund Act, 1961 to the Union Territory of Delhi?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) Yes.

(b) No complaint has been received from the share-holders of the company. Complaints have, however, been received from the subscribers to the chits started by the company before the enforcement of the Madras Chit Funds Act, 1961 in the Union Territory of Delhi.

(c) No action is possible under the Madras Chit Funds Act, 1961 as extended to Delhi, in respect of complaints relating to chits started before the Act was brought into force in the Union Territory of Delhi but the complaints are nevertheless being investigated by the Police authorities for suitable action under sections 406, 408, 420 or section 294A of the Indian Penal Code, wherever necessary.

सिसकी गैस

280. **श्री विश्व नाथ पाण्डेय :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 20 सितम्बर, 1966 की रात को वेस्ट पटेल नगर के सैकड़ों लोग सिसकी गैस के कारण घबराहट में अपने घरों से बाहर निकल आये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके कारणों का पता लगा लिया गया है; और

(ग) इस मामले में अपराधी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कारण का पता नहीं लगाया जा सका। प्रभाव केवल अस्थायी था और जब स्वास्थ्य अधिकारी उस स्थल पर पहुंचे तो गैस का प्रभाव समाप्त हो चुका था।

दिल्ली अनधिकृत निर्माण

281. **श्री उमानाथ :** **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने अगस्त, 1966 में विभिन्न पुलिस स्टेशनों के स्टेशन हाउस अधिकारियों को ऐसी कोई हिदायत जारी की थी कि उनके इलाकों में यदि कोई अनधिकृत निर्माण हो तो वे उसकी सूचना भेजें;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि एक महीने तक कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान मुख्य कार्यकारी पार्षद के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने कौलोनाइजरों पर यह आरोप लगाया है कि वे अनधिकृत भूमि को निःसंकोच बेच रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो कौलोनाइजरों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा नगर विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी हां। पुलिस थाने (पुलिस स्टेशन) के थानेदारों (स्टेशन हाउस आफीसर्स) को अपने अपने अधिकार क्षेत्र में अनधिकृत निर्माण किये जाने के संबंध में सूचना जिला पुलिस अधीक्षक (डिसट्रिक्ट सुपरिन्टेंडेंट आफ पुलिस) को तुरन्त देनी होती है।

(ख) जी नहीं। अनधिकृत निर्माण को बताने वाला जिलेवार एक विवरण-संग्रह प्राप्त हुआ है।

(ग) जी हां।

(घ) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 312 तथा 313 के उपबन्धों के अनुसार भूस्वामी को भवन-निर्माण के प्रयोजन के लिए अपनी जमीन को छोटे छोटे टुकड़ों में बेचने से पूर्व उसके ले आउट प्लान को स्वीकृत कराना पड़ता है। ये उपबन्ध जमीन को किसी भी प्रयोजन के लिए बेचने से नहीं रोकते। अतएव जमीन की बिक्री तभी गैर कानूनी है जब कि ले आउट प्लान वगैर स्वीकृत कराये जमीन को भवन बनाने के लिए प्लाट के रूप में बेचा गया है।

सार्वजनिक अधिसूचना आदि के अन्तर्गत जो कौलोनाइजर जमीन बेच रहे हैं उनके विरुद्ध कार्यवाई करने का प्रश्न विचाराधीन है। बहुत से मामलों में कार्यवाई करना इसलिए कठिन है क्योंकि कौलोनाइजरों ने अन्तरण विलेख (ट्रान्सफर डीड) में यह उल्लेख कर दिया है कि जमीन अधिसूचना के अधीन है। तथापि पब्लिक को यह परामर्श दे दिया गया है कि जमीन खरीदने से पूर्व वे इसे भली भांति देख लें कि प्रश्नाधीन जमीन अर्जन के लिए अधिसूचित तो नहीं की गयी है; अनधिकृत बस्ती में तो नहीं आती तथा विक्रेता ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम तथा दिल्ली विकास अधिनियम के अन्तर्गत ले आउट स्वीकार करा लिया है।

सहारनपुर रोड पर एक टैक्सी से चोरी छिपे लाये जाने वाले सोने का पकड़ा जाना

282. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 अगस्त, 1966 को केन्द्रीय सीमा-शुल्क कर्मचारियों ने सहारनपुर रोड पर एक टैक्सी से 150 तोला सोना पकड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): : (क) 19 अगस्त 1966 को केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क अधिकारियों ने देहरादून में सहारनपुर रोड पर एक टैक्सी को रोका और उसमें सफर कर रहे व्यक्तियों में से एक के पास से विदेशी मार्के का 150 तोले सोना पकड़ा।

(ख) उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। मामले का न्याय-निर्णय चल रहा है।

कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के जल का प्रयोग करने में हिस्सा

283. श्री विश्व नाथ पाण्डेय :
श्री जं० वं० सिं० बिष्ट :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री कोल्ला वैंकैया :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री बासप्पा :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री कृष्णा और गोदावरी नदियों के जल के प्रयोग में हिस्सा लेने के बारे में 11 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 395 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं और निर्णय कब तक कर लिया जायेगा; और

(ग) क्या इस विवाद को मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपने का विचार है ?

सिंचाई और बिजली मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) महाराष्ट्र, मैसूर और आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के साथ अलग अलग रूप में विचार किया गया है। सम्बद्ध राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ संयुक्त के पश्चात फैसला हो जाने की सम्भावना है। बैठक की तारीख अभी निश्चित की जानी है।

(ग) इस समय प्रश्न नहीं उठता।

Oriental Timber Trading Corporation

284. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri S. L. Verma:
Shri Rameshwaranand:
Shri Raghunath Singh:

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2046 on the 11th August, 1966 and state:

(a) whether it is a fact that Messers Oriental Timber Trading Corporation secured two contracts of nearly Rs. 36 lakhs and Rs. 71 lakhs from the Heavy Engineering Corporation, Ranchi, and Hindustan Photo Films Corporation, Ootacamund, in partnership with another company;

(b) if so, the total profit earned by the firm and the amount of income-tax recovered by Government; and

(c) the amount of contracts obtained by the firm every year during the last five years and the amount of income-tax paid to Government by them?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) Yes, Sir. Two firms, in each of which Messers Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd. is a partner with another company, have received Rs. 34 lakhs and Rs. 71 lakhs on account of the two contracts.

(b) Since the assessments are pending the quantum of profits earned is not yet determined. Income-tax of Rs. 64,419 on the basis of returned income has so far been paid.

(c) The amounts on account of contracts received by the two firms are as under:—

Assessment year	Amount of contract	Income tax paid on the basis of self assessment (regular assessments are pending)
(1) Firm dealing with Ranchi Contract		
1963-64	13 lakhs	Rs. 15,558
1964-65	15 lakhs	Rs. 6,952
1965-66	6 lakhs	Rs. Nil.
(2) Firm dealing with Ootacamund contract.		
1963-64	14 lakhs	Rs. 12,555
1964-65	29 lakhs	Rs. 29,357
1965-66	23 lakhs	Rs. Nil.

There was no business prior to assessment year 1963-64.

Seizure of Opium and Charas in Tilak Nagar, Delhi

285. Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Shri Bade:

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2081 on the 11th August, 1966 and state:

(a) whether the inquiry into the seizure of charas and opium at Tilak Nagar in Delhi has since been completed;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the time likely to be taken to complete the same?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) Yes, Sir.

(b) The question of launching prosecution is under consideration.

(c) Does not arise.

Seizure of Gold Coins and Watches in Bombay

286. Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Shri Kishen Pattnayak:
Shri Bade: Shri Madhu Limaye:
Shri Utiya:

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2060 on the 11th August, 1966 and state:

(a) whether the inquiry into the case of seizure of gold coins and watches in Bombay has since been completed;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the time likely to be taken to complete the same?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) It will take some more time to complete the investigation.

Foreign Gold Recovered from Goldsmiths in Bareilly

287. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Bade:
Shri Bagri:
Shri Yashpal Singh:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Utiya:
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Madhu Limaye:

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 479 on the 28th July, 1966 and state:

(a) whether the inquiry into the case regarding 50 tolas of gold recovered from two goldsmiths in Bareilly has since been completed;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the time likely to be taken to complete the inquiry?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) Yes, Sir.

(b) The gold has been confiscated and personal penalty of Rs. 1000 imposed on each of the two goldsmiths.

(c) Does not arise.

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को घाटा

288. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ पण्डेय :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० म० मो० दास :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उपक्रमों को वर्ष 1964–65 के अन्त तक कुल मिलाकर 111 करोड़ रुपये का घाटा होने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या इस मामले की जांच कराने के लिये किसी जांच समिति की नियुक्ति की गयी है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 1964–65 के अन्त तक की 111 करोड़ रुपये की कुल हानि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड में (77 करोड़ रुपये), पांच ऐसे उद्योगों में, जो निर्माण और विकास के विभिन्न दौरों में हैं और अभी तक पूरी तरह से चालू नहीं किये गये हैं (31 करोड़ रुपये), और 4 चालू उद्योगों में (3 करोड़ रुपये) हुई। ये रकमें मूल्य-ह्रास के लिए व्यवस्था करने, आस्थगित राजस्व व्यय का अपलेखन (राइटिंग आफ) करने आदि के बाद उनके खातों में दिखायी गयी हैं।

यह हानि मुख्यत: इन कारणों से हुई है :

(1) इन उद्योगों में बहुत अधिक पूंजी का लगा होना और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से इनका रूप जटिल होना;

(2) पूरा उत्पादन प्राप्त करने में अधिक समय लगना और उसके परिणामस्वरूप प्रारम्भिक दौरों में प्रबन्ध सम्बन्धी व्यय का अधिक होना; और

(3) इन उद्योगों की मूल उत्पादन क्षमता के विस्तार के कार्यक्रमों का उस समय हाथ में लिया जाना जब उन्होंने आंशिक उत्पादन शुरू कर दिया था।

इन उद्योगों की क्षमता का और अधिक विकास होने पर इनके काम में और सुधार होने की आशा है।

(ख) जी नहीं। स्थिति की बराबर समीक्षा की जा रही है।

Directorate of Revenue Intelligence

289. **Shri Bhagwat Jha Azad:**
Shri Subodh Hansda:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri P. C. Borooah:
Shri S. C. Samanta:
Dr. M. M. Das:
Shri B. K. Das:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether Government have set up a Directorate of Revenue Intelligence at the Centre with a view to check smuggling;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the functions of the Directorate?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) Yes, Sir. The Directorate as such has been in existence since December, 1957.

(b) The Directorate was set up for dealing exclusively with the work relating to the collection and study of information on smuggling activities and for the deployment of anti-smuggling resources on an all-India level.

(c) The main functions of the Directorate are:—

(i) Collection, collation and study of information on smuggling including tax evasion pertaining to Customs and Central Excises;

(ii) systematic and intensive deployment of all anti-smuggling resources on all-India level to combat such evasion and smuggling;

(iii) functional inspection and reorientation wherever necessary of the intelligence and preventive units;

(iv) arranging for intensive training of the Intelligence and Investigating Officers of the Collectorates of Customs and Central Excise; and

(v) association in investigation of important cases of smuggling and tax evasion.

लूप के कारण बीमारी

290. **श्री सं० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० म० मो० दास :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) वह समाचार कहां तक सच है कि कुछ मामलों में लूप के कारण कुछ न कुछ बीमारी पैदा हुई है और इन बीमरियों के कारण मौतें हुई हैं;

(ख) क्या भारत के अतिरिक्त [अन्य देशों] में जहां लूप का प्रयोग किया गया हो ऐसी कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ग) क्या देश के किसी भाग में लूप के प्रयोग के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सशीला नायर) : (क) ऐसे समाचार सही नहीं हैं। लूप से कोई बीमारी नहीं होती है।

(ख) जी नहीं। लूप का प्रयोग करने वाले दूसरे देशों से प्राप्त होने वाली किसी भी रिपोर्ट में लूप के प्रयोग से किसी प्रकार के रोग होने अथवा मृत्यु होने की कोई बात नहीं कही गई है।

(ग) लूप लगवाने के बाद खन चलने या दर्द होने जैसे कुछ मामूली असर होने की सूचना मिली है। अधिकांश मामलों में ये प्रभाव सामान्यतया क्षणिक होते हैं।

कानपुर में क्षय रोग चिकित्सालय

291. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर में केन्द्र द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता से एक क्षयरोग चिकित्सालय स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब तक स्थापित होगा और सरकार द्वारा इसे कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

गांव में बिजली लगाने के लिए प्रायोगिक सहकारी संस्थायें

292. **श्री महेश्वर नायक :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्व नाथ पाण्डेय :
श्री हु० चा० लिग रेड्डी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० म० मो० दास :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **सिचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच अमरीकी विशेषज्ञों का एक दल गांवों में बिजली लगाने के लिये प्रयोगिक सहकारी संस्थाओं की स्थापना करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये देश के चुने हुए क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर रहा है;

(ख) सर्वेक्षण में कितना समय लगने की सम्भावना है और देश के कौन कौन से क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जायेगा, और

(ग) सरकारी उपक्रमों द्वारा चलाई गई योजनाओं की तुलना में इस योजना में क्या अन्तर होगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) सितम्बर, 1966 के मध्य में चार अमरीकी विशेषज्ञों का एक दल भारत में आया । यह दल अमरीका की ग्राम बिजली सहकारी संस्थाओं के समान भारत में कुछ प्रायोगिक ग्राम बिजली सहकारी संस्थाएं स्थापित करने के उद्देश्य से संभाव्यता अध्ययन कर रहे हैं ।

(ख) इस दल ने गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मैसूर, बिहार, उत्तर प्रदेश, और पश्चिमी बंगाल में सर्वेक्षण कर लिये हैं । उनकी रिपोर्ट प्रतिक्षित है ।

(ग) ब्यौरे अभी तैयार करने हैं । परन्तु नई स्कीम के अन्तर्गत भारत बिजली नियम, 1910 के अधीन खपत कर्ताओं द्वारा अपने आप बनाई गई बिजली सम्बन्धी सहकारी संस्था को एक निर्धारित क्षेत्र में बिजली सप्लाई करने के लिये एक लाइसेन्स देने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है बिजली सप्लाई प्रणाली की वही संस्था मालिक होगी और वही इस प्रणाली को चलाएगी । बिजली थोक रूप में राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त की जाएगी । तकनीकी विशेषज्ञता और आवश्यक धन बोर्ड सरकार द्वारा प्रदान की जायेगी ।

पानी को दूषित होने से रोकने के बारे में विधेयक

293. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री 5 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1484 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश की नदियों के जल को उद्योगों की गन्दगी के गिरने से दूषित होने से बचाने से सम्बन्धित विधेयक का मसौदा अन्तिम रूप में तैयार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब संसद में पुरःस्थापित किया जायेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) विधि मंत्रालय द्वारा विधेयक तैयार किया जा रहा है ।

(ख) स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय चाहता है कि यह विधेयक वर्तमान संसद के कार्यकाल में ही पेश हो जाये किन्तु संसद में इस समय काफी संख्या में विधेयक निलम्बित होने के कारण, इसे संसद में पेश करने में कुछ विलम्ब होना अपरिहार्य लग रहा है ।

मध्य प्रदेश के योजना तथा विकास विभाग

294. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हेम बरुआ :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने योजना तथा विकास विभाग को समाप्त करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार की मंजूरी ले ली थी;

(ग) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को अनमोदित करने का क्या कारण है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) नहीं, जी ।

(ख), (ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

Documents kept by Income-tax Officers

296. **Shri Rameshwaranand:** **Shri Raghunath Singh:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the Punjab High Court gave a decision on the 2nd February, 1966 in the case of a Civil Writ Petition No. 550-D of 1965 that it is wrong on the part of the Income-tax Officials to take possession of unrelated valuable books and other documents of a particular person and that it is unlawful not to return the same immediately after they have been taken possession of forcibly;

(b) whether it is a fact that the unrelated valuable documents, share certificates, account books taken possession of during raid in Bombay, are lying with Income-tax officials for the last eight or ten months; and

(c) if so, the reasons due to which those documents have been unlawfully retained by Income-tax officials despite the said decision and the time by which they would be returned to the persons concerned?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) Yes, Sir. The Punjab High Court has observed that it is not open to authorised officers to seize all books and documents lying in the premises indiscriminately, arbitrarily and without regard for relevancy or usefulness.

(b) It is not clear to which raid the question relates. The observations of the Punjab High Court have been brought to the notice of the officers concerned.

(c) Does not arise.

बिकलांग बूढ़े व्यक्तियों तथा बच्चों के लिये सहायता

297. **श्री अ० ब० राघवन :** **श्री अ० क० गोपालन :**

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन विकलांग बूढ़े व्यक्तियों को जो काम नहीं कर सकते और ऐसी स्त्रियों तथा बच्चों को जिनके पास भरण-पोषण तथा आजीविका के साधन हैं सहायता देने की योजना को व्यापक रूप देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो चौथी योजना के दौरन इस योजना को आगे बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां ।

(ख) ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

बिड़ला रेयन फैक्टरी, कालीकट

298. श्री अ० व० राघवन :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री 28 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 462 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केरल सरकार ने चालियार नदी में पानी की शुद्धता बनाये रखने के सुझाव पर कालीकट स्थित बिड़ला रेयन फैक्टरी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है जिसका उसने सुझाव दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) दूषित जल के अब तक के प्रभावों को मालम करने के लिए सहायक निदेशक, मत्स्यपालन द्वारा इस नदी में किये गये जल-विज्ञान तथा तैराकी जीवों सम्बन्धी सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सशोला नायर) : (क), (ख) और (ग) सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ग्वालियर रेयन पल्प फैक्टरी, कालीकट

299. श्री अ० व० राघवन :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री 28 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 464 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या ग्वालियर रेयन पल्प फैक्टरी, कालीकट के प्रबन्धकों ने राज्य सरकार के आदेशानुसार गन्दगी को नदी में छोड़ने से पहले दोषरहति बनाने के बारे में कोई कदम उठाये हैं; और

(ख) राज्य सरकार ने 3 और 4 मई, 1966 को बड़े पैमाने पर मछलियों को मारने के बारे में कारखाने के प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशोला नायर) : (क) और (ख). सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कोचीन ताप बिजली सन्यन्त्र

300. श्री अ० व० राघवन : श्री वासुदेवन नायर :
श्री अ० क० गोपालन : श्री वारियर :

क्या सिंचाई और विद्युत् मन्त्री 28 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 523 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन ताप बिजली संयंत्र और उपकरणों के लिये विशिष्ट विवरण तैयार कर लिये गये हैं;

(ख) क्या इसकी क्षमता को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). आरम्भ में स्वीकृत 30 मै० वाट के तापीय उत्पादन यूनिटों की बजाए 50 मै० वाट क्षमता के ताप उत्पादन यूनिट को प्रतिष्ठापित करने का फैसला किया गया है । आवर्धित संयंत्र की विशिष्टियां तैयार की जा रही हैं ।

दिल्ली में बिजली की सप्लाई का बन्द हो जाना

301. **डा० रानेन सेन :** **श्री बागड़ी :**
श्री यशपाल सिंह : **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री शिवमूर्ति स्वामी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली क्षेत्र में बिजली की सप्लाई अब भी बार बार बन्द हो जाती है और इसके फलस्वरूप औद्योगिक उत्पादन अस्तव्यस्त हो जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी नहीं । जितनी बार बिजली पहले चली जाया करती थी अब अपेक्षतया बहुत ही कम फेल होती है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी सहायता के लिये पश्चिमी देशों के साथ द्विपक्षीय करार

302. **डा० रानेन सेन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक तथा एड इण्डिया क्लब्स के माध्यम से सहायता मांगने की वर्तमान पद्धति की बजाय विदेशी सहायता के लिये पश्चिमी देशों के साथ द्विपक्षीय करार करने के प्रश्न पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) और (ख). भारत सरकार ने विदेशी सहायता के लिए पश्चिमी देशों के साथ द्विपक्षीय करार किये हैं और वह अब भी ऐसे करार कर रही है । यह काम भारत सहायता संघ के माध्यम से सहायता प्राप्त करने की प्रणाली का विकल्प नहीं है बल्कि संघ की बैठक में दिये गये वचनों के बाद की कार्रवाई के रूप में होता है । सरकार आशा करती है कि यही प्रक्रिया जारी रहेगी । जहां तक उन दूसरे पश्चिमी देशों का सम्बन्ध है जो भारत सहायता संघ के सदस्य नहीं हैं सहायता प्राप्त करने के प्रश्न पर सामान्यता सम्बद्ध देश से सीधी बातचीत की जाती है ।

मुद्रा-स्फीति

303. **डा० रानेन सेन :** **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर : **श्री शिवमूर्ति स्वामी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ती हुई मुद्रास्फीती की प्रवृत्तियों का मुकाबला करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : हम मुद्रास्फीतिकारी प्रवृत्तियों को कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के उपायों सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में व्यय पर रोक, अनाज तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं का, जहां तक सम्भव हो उपभोक्ता सहकारी समितियों, विभागीय स्टोरों, उचित मूल्य तथा राशन की दुकानों आदि द्वारा उचित मूल्यों पर वितरण, अत्यावशक वस्तुओं के विरुद्ध वाणिज्यक बैंकों द्वारा पेशगियों पर प्रवरित ऋण नियंत्रण तथा आवश्यक हद तक व्यापार के विनियमन द्वारा दबाना चाहते हैं ।

महंगाई भत्ता आयोग

304. **डा० लक्ष्म मल्ल सिंघवी :** **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री वासुदेवन नायर : **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री वारियर : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी : **डा० म० मो० दास :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री कोल्ला वेंकैया :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संघ तथा अन्य निकायों की राष्ट्रीय परिषद् द्वारा गजेन्द्र गडकर आयोग का बहिष्कार किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो यह बहिष्कार मुख्य रूप से किन-किन बातों के बारे में है; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी हां। जिन सिद्धान्तों से मंहगाई भत्ते की मंजूरी नियंत्रित होनी चाहिये उनकी मंहगाई भत्ता आयोग द्वारा जांच किये जाने के मामले में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संयुक्त संघ ने आयोग के साथ सहयोग नहीं करने का फैसला कियाहै। लेकिन आयोग के अनुसार केन्द्रीय सरकार के लगभग 17 लाख कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संघों/संस्थाओं ने इस काम में आयोग की सहायता करने का फैसला किया है।

(ख) आपत्ति इस आधार पर की गयी है कि आयोग के निर्देश-पद कर्मचारियों के संगठनों के साथ सलाह किये बिना ही बनाये गये थे और निर्देश-पदों के बारे में आरोप है कि उनकी रचना कर्मचारियों के विरुद्ध जाती है।

(ग) मंहगाई भत्ता आयोग के निर्देश-पदों में संशोधन करने का सरकार का विचार नहीं है। मंहगाई भत्ता आयोग के अध्यक्ष जब सरकारी कर्मचारियों की संस्थाओं के विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों से 7 अगस्त 1966 को मिले तो अध्यक्ष ने उनको यह बात समझाकर कही कि यद्यपि निर्देश-पदों के

द्वारा, कंडिका 2(4) के (क) से (घ) तक के खण्डों में बताये गये 4 निश्चित विषयों पर आयोग से विशिष्ट सिफारिशें देने की अपेक्षा की गयी है लेकिन यदि निर्देश-पदों पर समग्ररूप से विचार किया जाय तो उनके अनुसार आयोग के लिए यह आवश्यक है कि वह विषयों से सम्बन्धित सभी बातों का विचार करे ।

दवाई की बोतल में मक्खी

305. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उन्होंने 8 सितम्बर, 1966 को एक संसद् सदस्य द्वारा उन्हें भेजी गई दवाई की एक बोतल में मरी हुई मक्खी के मामले की जांच-पड़ताल कर ली है;

(ख) यदि हां, तो इस जांच-पड़ताल के क्या परिणाम निकले हैं और इस फर्म तथा दवाई के नाम क्या हैं; और

(ग) इस फर्म के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गईहै ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) मक्खी होने की आशंका वाली उस बोतल का परीक्षण कराया गया तथा यह बतलाया गया कि उस औषधि में कोई बाहरी वस्तु है । पहचानने से मालूम हुआ कि वह बाहरी वस्तु एक मरी हुई पूरी मक्खी और दूसरी मरी हुई मक्खी के शरीर का कुछ अंश है । इस शीशी पर फर्म का नाम मैसर्स मर्क शार्प एण्ड डोहमे आव इण्डिया, बम्बई और औषधि का नाम पेन्स्ट्रेप 4:1 दिया हुआ था जो प्रोकेन और सोडियम पेनिसिलिन तथा स्ट्रेप्टोमाइसिन से तैयार की गई थी ।

(ग) फर्म के पास जितना माल था उसे बन्द कर दिया गया है और नमूने लेकर परीक्षण के लिये भेज दिये गये हैं । फर्म को सम्बन्धित बैंच का माल बाज़ार से वापस लेने के लिये भी कह दिया गया है । इसके अतिरिक्त बोतल में एक पूरी की पूरी मक्खी के साथ दूसरी मक्खी के शरीर का अवशेष रह जाने के कारणों की जांच की जा रही है ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टर

306. **श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० म० मो० दास :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री यशपाल सिंह :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों की संयुक्त कार्यवाही परिषद् ने एक नया अभ्यावेदन दिया है;

(ख) क्या सरकार ने केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में काम कर रहे डाक्टरों को कोई राहत दी है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों की तथाकथित संयुक्त कार्यवाही परिषद् से कोई नया अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियम, 1966 भारत सरकार के राजपत्र असाधारण में 9 सितम्बर, 1966 को प्रकाशित कर दिये गये थे। इन में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों की सेवा की शर्तों को उदार बनाने के बारे में सरकार के निर्णय समाविष्ट कर दिये गये थे जिन से उनकी सभी उचित मांगों की पूर्ति हो जाती है।

भारत में परियोजनाएं

307. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में परियोजनाओं की इंजीनियरिंग, निर्माण-कार्य और डिजायन बनाने के लिए विदेशी संगठन बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ख) दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं में विदेशी इंजीनियरी सेवाओं पर लगभग कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई है; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में इस व्यय में कितनी कमी हो जाएगी ?

योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा गठित की गई तकनीकी परामर्श सेवाओं संबंधी एक समिति इस समय परियोजनाओं के लिए तकनीकी परामर्श, डिजाइन, निर्माण और इंजीनियरी सेवाओं को देश के अन्दर ही शीघ्र विकसित करने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाए जाएं, इसका अध्ययन कर रही है। आशा है कि यह समति चौथी योजना के दौरान परामर्श सेवाओं के लिए विदेशी मुद्रा के व्यय में पर्याप्त कमी करने के बारे में भी सिफारिश करेगी।

(ग) परामर्श सेवाओं के लिए सीधे किए गए व्यय अलग दूसरी और तीसरी योजना अवधि में विदेशी इंजीनियरी सेवाओं के लिए किए गए खर्च का तखमीना उपलब्ध नहीं है, बहुधा आयात किए गए संयन्त्रों और मशीनों के मूल्य में परामर्श सेवाओं का खर्च भी शामिल रहता है।

लूप लगाने का लक्ष्य

308. **श्री जं० ब० सिं० विष्ट** :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार ने 1966-67 में 60 लाख लूप लगाने के अपने लक्ष्य को कम करके 40 लाख लूप लगाने का लक्ष्य रखने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो लक्ष्य में कमी करने के क्या कारण हैं और इसका परिवार नियोजन आन्दोलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीलानायर) : (क) पहले अस्थायी तौर पर साठ लाख लूप लगाने का लक्ष्य रखा गया था। बाद में जब विभिन्न राज्यों से प्राप्त उत्तरों पर विचार किया गया तो इस लक्ष्य को घटा कर चालीस लाख कर दिया गया।

(ख) ये लक्ष्य इसलिए कम किये गये हैं कि राज्य सरकारों को इस कार्यक्रम की प्रारम्भिक अवस्था में महिला डाक्टरों और प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी तथा परिवहन, उपकरण आदि की अपर्याप्तता के कारण कठिनाइयां अनुभव हो रही थीं। लक्ष्यों में इस संशोधन का उद्देश्य यह है कि जितने साधन उपलब्ध हैं उनके अनुरूप इस कार्यक्रम के अधिक से अधिक परिणाम प्राप्त हो सकें।

रोहतक में परिवहन फर्मों द्वारा कर अपवंचन

309. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री उमानाथ :
श्री नम्बियार :
डा० सरादीश राय :
श्री उटिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री 4 अगस्त, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1333 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच रोहतक जिले (पंजाब) की परिवहन फर्मों द्वारा कर अपवंचन के मामलों के बारे में जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो जांच पूरी करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल ही नहीं उठता।

(ग) कथित अपवंचन का विस्तार कई वर्षों तक है। अतः खातों की जांच-पड़ताल में कुछ और समय लगने की सम्भावना है।

कानपुर के उद्योगपति पर बकाया आयकर

310. **श्रीमती विमला देवी :**
श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामसेवक यादव :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बड़े :
श्री मधु लमये :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन परिस्थितयों की जांच कर ली गई है जिनके फलस्वरूप कानपुर के एक उद्योगपति के नाम की 31 लाख रुपये की बकाया आयकर की राशि बट्टे खाते डाल दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला है; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) प्राप्त सूचना से पता चलता है कि निर्धारितियों की सारी परिसम्पत्तियां प्रकट नहीं की गयी थीं ।

(ग) मामले पर विचार किया जा रहा है ।

स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान

311. **श्रीमती विमला देवी :**
श्री मधु लिमये :
श्री उटिया :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पहली, दूसरी तथा तीसरी योजना अवधियों में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिये कार्य करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को केन्द्र द्वारा कुल कितनी राशि का अनुदान दिया गया है;

(ख) उक्त अवधि में केन्द्र ने किन-किन संस्थाओं को अनुदान दिये;

(ग) क्या इन सभी संस्थाओं में सरकार के आदेशानुसार अपने लेखापरीक्षित लेखे तथा उपयोग प्रमाणपत्र पेश किये थे;

(घ) क्या लेखापरीक्षित लेखे तथा उपयोग प्रमाणपत्र न देने के कारण किन्हीं संस्थाओं की वित्तीय सहायता बन्द कर दी गई थी;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन संस्थाओं के नाम क्या हैं; और

(च) चौथी योजना में इन स्वैच्छिक संस्थाओं को कुल कितनी राशि का अनुदान देने का विचार है ?

समाज-कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :

		रुपये
(क)	प्रथम योजना	12,23,000
	द्वितीय योजना	36,60,000
	तृतीय योजना	41,56,000

(ख) 1. हरिजन सेवक संघ, दिल्ली ।

2. भारतीय दलित वर्ग लीग, नई दिल्ली ।

3. ईश्वर शरण आश्रम, इलाहाबाद ।

4. भारत दलित सेवक संघ, पूना ।

5. रामकृष्ण मिशन आश्रम, नरेन्द्रपुर, पश्चिम बंगाल ।

6. पिछड़ी जाति होस्टल, जलगांव महाराष्ट्र ।

7. जय ज्वाहर नगर कालोनी समिति, डम्पगडा, डाकखान बिमुल धेरी, आंध्र प्रदेश ।

8. बापूजी तकनीकी शिक्षा ट्रस्ट, बोलारम, आंध्र प्रदेश ।

9. रामकृष्ण मिशन, बेलुर मठ, पश्चिम बंगाल ।

10. शाम बाजार हाई स्कूल, कलकत्ता ।

11. हिन्द स्वीपर्स सेवक समाज, दिल्ली ।

12. साबरमती आश्रम, अहमदाबाद ।

13. रामकृष्ण मिशन, विद्यापीठ, देव घर (एस० पी०) बिहार ।

14. टक्कर बापा आश्रम, निमाखंडी जिला गंजम, उड़ीस ।

15. श्री रामकृष्ण आश्रम, डाकखाना निगमपीठ, 24 परगना, पश्चिम बंगाल ।

16. भारतीय दलित वर्ग मिशन सोसाइटी, बम्बई ।

17. कुमार आश्रम, मेरठ ।

(ग) हां ।

(घ) तथा (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

(च) 3 करोड़ रुपये ।

देश में बिजली की खपत

312. **डा० म० मो० दास :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बिजली के कुल उत्पादन में से हर वर्ष उद्योग, घरेलू खपत, रेलवे तथा कृषि में क्रमशः कितने प्रतिशत बिजली खपत होती है; और

(ख) सरकार को उक्त चारों में से किस से सब से अधिक तथा किस से सब से कम राजस्व प्राप्त होता है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) 1964-65 के दौरान उद्योग, घरों, रेलवे तथा कृषि में बिजली की प्रतिशत खपत क्रमशः 71.8, 9.2, 3.7 तथा 5.8 है ।

(ख) जब कि उद्योग से सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है, रेलवे से सब से कम होता है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण पर व्यय

313. **डा० म० मो० दास :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण विद्युतीकरण की लागत अधिकतम है; और

(ख) यदि हां, तो इस लागत को कम करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) शहरों में बिजली लगाने की अपेक्षा ग्रामों में बिजली लगाने पर अधिक खर्च आता है ।

(ख) ग्रामों में बिजली लगाने के कार्यों की लागत की अधिकता को कम करने के लिये केंद्रीय तथा राज्य सरकारें उपायों को ढूंढने के भरसक प्रयत्न कर रही हैं । लागत की अधिकता के कारण ये हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की मांग थोड़ी और बिखरी हुई होती है और अन्य स्कीमों की अपेक्षा लंबे-लंबे पारेषण तथा वितरण पथ लगाने पड़ते हैं । गावों में बिजली का कम उपयोग भी इसका एक कारण है । विस्तृत अध्ययन के पश्चात् ग्रामों में बिजली लगाने की लागत को कम करने के कई सुझाव दिये गए हैं जो इस प्रकार हैं :—

(एक) 11 के० वी० और 400/230 वोल्टता के वितरण पथों के लिये "रूरल लाईन स्टैंडड्स" नाम की एक निर्माण पुस्तिका निकाली गई है ताकि इन पथों को मितव्ययी रूप से लगाया जा सके ।

(दो) लागत में और कमी लाने के लिये इस प्रश्न पर विचार करने वाली विशेषज्ञ समिति द्वारा दिये गए सुझावों के अनुसार भारत बिजली नियमों के कुछ उपबंधों में शिथिलता कर दी गई है और इन शिथिलताओं के प्रभावों को दर्शाने के लिये एक पुस्तिका निकाली गई है ।

(तीन) चूंकि खंभों पर ग्राम विद्युतन की लागत का 30 प्रतिशत भाग खर्च होता है यह सुझाव दिया गया है कि लकड़ी के खंभों/जुड़े हुए लकड़ी के खंभों और जहां ये किफायती दरों पर उपलब्ध न हों निर्माण स्थल पर अथवा निकट के स्थान पर बने पूर्व-बलित कंक्रीट पुनर्बलित कंक्रीट सीमेंट के बने खम्भों का प्रयोग किया जाए । यह सुझाव दिया गया है कि विद्युत् वितरण के लिए सिंगल फेज, सिंगल वायर अर्थ रिटर्न सिस्टम का ग्रामों में बिजली लगाने के लिए प्रायोगिक आधार पर काम में लाया जाए । सीमेंट के स्थान पर कुछ हद तक "फ्लाई ऐश" को प्रयोग में लाने का भी सुझाव दिया गया है ।

गैर-सरकारी सम्पत्ति के बाजार किराये (मार्केट रेंट) का पुनरीक्षण

314. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गैर-सरकारी सम्पत्ति के बाजार किराये का समय-समय पर पुनरीक्षण करने के प्रश्न पर विचार कर लिया गया है ताकि मकानदार अपनी सम्पत्ति का उचित रूप में देखभाल कर सकें;

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी नहीं । दिल्ली रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट, 1958 (1958 की संख्या 59) की धारा 7(1) में यह व्यवस्था है कि यदि मकानदार किरायेदार के परिसर में मरम्मत के अतिरिक्त कोई सुधार, संवर्धन अथवा इमारती परिवर्तन करता है तो वह ऐसी लागत (खर्चे) के $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत तक मानक किराये में कानूनी तौर पर वृद्धि कर सकता है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों का स्थानान्तरण

315. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
डा० म० मो० दास :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपालसिंह :
श्री अजराज सिंह :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा के डाक्टर सेवा में स्थानान्तरण के विरुद्ध हैं और उन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि इस उद्देश्य के लिये डाक्टरों की स्वेच्छा पूछी जाये;

(ख) क्या उन्होंने दो स्थानों पर अपने परिवार को रखने के लिये अतिरिक्त भत्ते की मांग की है;

(ग) क्या उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि दूरस्थ क्षेत्रों के लिये अलग उपपदालियां बनाई जायें और उन क्षेत्रों के रहने वाले डाक्टरों को ही पहले वहां भेजा जाये; और

(घ) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मन्त्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (घ). केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की तथाकथित संयुक्त कार्यवाही परिषद् ने इस समय दिल्ली में कार्य कर रहे इस सेवा के सभी अधिकारियों को एक परिपत्र में यह सुझाव दिया है कि चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवा के अधिकारियों के तबादले न किये जायें और यदि ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्रों में पदों को भरने के लिये कुछ अधिकारियों का तबादला करना आवश्यक हो तो चिकित्सा अधिकारियों को ऐसे क्षेत्रों में, जो लोकप्रिय नहीं हैं, सेवा करने के लिये अपनी इच्छा से आगे आने के लिये कहा जाना चाहिये । इन अधिकारियों को दो स्थानों पर घरेलू खर्चे के प्रतिकर के रूप में 350 रुपये प्रति मास भत्ता दिया जाना चाहिये और ऐसे युवक अधिकारियों को भी, जिन्होंने अभी पारिवारिक जीवन आरम्भ नहीं किया है और जिनके दायित्व कम हैं, प्रोत्साहन के रूप में उक्त भत्ता दिया जाना चाहिये । यह भी सुझाव दिया गया था कि नेफा, मनीपुर, त्रिपुरा, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह, हिमाचल प्रदेश आदि जैसे संघ क्षेत्रों में पदों को उप-पदालियों में अलग-अलग किया जाना चाहिये और ऐसे क्षेत्रों से सम्बन्धित चिकित्सा अधिकारियों को पहले इन क्षेत्रों में भेजा जाना चाहिये । इन क्षेत्रों से सम्बन्धित अधिकारियों को वहां पर भेजने के पश्चात् यदि अधिक चिकित्सक अपेक्षित हों तो दिल्ली में सेवा कर रहे अधिकारियों को एक तबादला पद्धति के अनुसार कुछ सीमित काल के लिये बारी-बारी भेजा जाना चाहिये और उन्हें उक्त अवधि के समाप्त हो जाने पर वापस दिल्ली में लाया जाना चाहिये । इस सेवा के वे सदस्य, जो इस समय दिल्ली में कार्य कर रहे हैं, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सेवाओं में तबादले की धारणा का मूल रूप से विरोध करते हैं ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का गठन प्रतिरक्षा तथा रेलवे मन्त्रालय के अतिरिक्त सभी केन्द्रीय मन्त्रालयों तथा संघ क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये किया गया है और इस

सेवा के सभी सदस्यों का भारत में कहीं भी सेवा करने का दायित्व है। चिकित्सकों की उक्त मांग एक केन्द्रीय सेवा की धारणा के विरुद्ध है। यह इस सेवा के उन सदस्यों के लिये, जिन्होंने दूरस्थ तथा कठिन क्षेत्रों में कई वर्ष सेवा की है, भी अनुचित होगी और इससे उनकी पदोन्नति की सम्भावनाओं पर प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने पहले ही यह निर्णय कर लिया है कि उन केन्द्रों को, जिनमें इस सेवा के सदस्यों को लगाया जाना है, तीन श्रेणियों अर्थात् (एक) महानगरीय नगरों (दो) छोटे नगरों तथा उपनगरों और (तीन) ग्रामीण क्षेत्रों सहित दूरस्थ क्षत्रों में वर्गीकृत किया जाना चाहिये और सेवा के सदस्यों के बारी-बारी से आवर्तन की प्रणाली अपनाई जानी चाहिये जिससे इस के सभी सदस्यों को उनके सेवा काल में विभिन्न केन्द्रों में सेवा करने का अवसर मिल सके।

मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी

316. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वित्त** मन्त्री 1 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3979 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम बीजक बनाने के मामले में, जिससे विदेशी मुद्रा की हानि हुई थी, दिये गये न्याय-निर्णय के विरुद्ध मेसर्स बेकर ग्रे द्वारा दायर की गई अपील पर क्या निर्णय हुआ है ;

(ख) क्या 25 लाख रुपये के अन्तर के बारे में पूरी जांच कर ली गई है और क्या निदेशक/निदेशकों की जिम्मेदारी निर्धारित कर दी गई है ; और

(ग) सम्बद्ध कानून के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड के सामने अपील की सुनवाई चल रही है।

(ख) और (ग). सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन पकड़े गये खातों को जैसे ही सम्बन्धित कम्पनियों को लौटाया जायगा वैसे ही कम्पनी कार्य विभाग द्वारा उनकी जांच करके कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन का निर्धारण किया जायेगा।

नई दिल्ली स्थित मेसर्स लुफ्थान्सा एयर लाइन्स द्वारा दिया गया किराया

317. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **वित्त** मन्त्री 1 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न सख्या 3951 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लुफ्थान्सा परिसर के मालिक से उस समय के बाजार दर के हिसाब से जबकि वे परिसर किराये पर दिये गये थे अथवा वर्तमान बाजार दर के आधार पर आय-कर वसूल करने में कोई कानूनी कठिनाइयां पैदा हो गई हैं ;

(ख) क्या प्रवर्तन निदेशालय ने वास्तविक रसीदों में दिखाये गये किराये और पश्चिम जर्मनी के वैस्ट डी-मार्क में इस परिसर के स्वामी अथवा उसके अभिकर्त्ता को वास्तविक बाजार दर पर दिये जा रहे किराये के सम्भाव्य अन्तर को ध्यान में रखा है ;

(ग) क्या इस परिसर के स्वामी अथवा उसके किरायेदार से इस सम्बन्ध में पूछताछ करने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 19क/19ख अथवा उसकी किसी अन्य धारा के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) आयकर का आरोप इमारत के वार्षिक मूल्य के सम्बन्ध में किया जाता है। वार्षिक मूल्य वह रकम मानी जाती है जिस पर इमारत को साल-ब-साल उचित किराये पर उठाया जा सके। इमारत का बाजार भाव सम्पत्ति के वार्षिक मूल्य के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है; बाजार मूल्य पर आयकर वसूल करने में कानूनी कठिनाइयां केवल तब उठती हैं जब इमारत का बाजार मूल्य सही तौर से वार्षिक मूल्य के समान नहीं होता।

(ख) जी, हां। फिर भी, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन को सिद्ध करने वाला कोई साक्ष्य नहीं था, इसलिये कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(ग) और (घ). मामले के तथ्यों से विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1947 की धारा 19ए अथवा 19बी के अन्तर्गत कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता उपस्थित नहीं होती। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उपर्युक्त अधिनियम की धारा 19(2) के अधीन मकान मालिक तथा किरायेदार दोनों के विरुद्ध जांच-पड़ताल की गई थी। ऐसा करते समय मकान मालिक की रोकड़ बही तथा दूसरे कागजात और किरायेदार के बैंक के खाते आदि की जांच की गई थी।

नई दिल्ली में शाहजहां रोड पर रोशनी की व्यवस्था

318. **श्री लहरी सिंह :**
श्री काजरोल्कर :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में शाहजहां रोड क्षेत्र के संसद् सदस्यों, संगठनों तथा व्यक्तियों से उस बस्ती में सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करने के बारे में हाल ही में कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) और (ख). शाहजहां रोड कालोनी में सड़क की रोशनी की व्यवस्था के बारे में कुछ संसद सदस्यों, व्यक्ति विशेषों तथा निवासियों की एसोसियेशन से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) जैसा कि 5 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4881 के उत्तर में सूचित किया गया था कि सड़क की बत्तियों की व्यवस्था तथा अनुरक्षण करने का उत्तरदायित्व स्थानीय निकाय का है। शाहजहां रोड क्षेत्र में सरकार ने सड़क की बत्तियों की व्यवस्था की है किन्तु नई दिल्ली नगर पालिका ने इस आधार पर कि पंजाब म्युनिपिसल ऐक्ट के अर्थ में सड़कें "सार्वजनिक सड़कें" नहीं हैं, इन बत्तियों

की व्यवस्था को अपने अधिकार में नहीं लिया है तथा उनमें रोशनी नहीं दी है। अनेक चर्चाओं के बाद भी नई दिल्ली नगर पालिका को इन सड़क की बत्तियों को अपने अधिकार में लेने के लिए तैयार नहीं किया जा सका। इस मामले को दिल्ली के उप-राज्यपाल के पास ले जाया गया है तथा यह आशा की जाती है कि शीघ्र ही कोई सन्तोषजनक हल निकलेगा।

सबरीगिरि जल विद्युत् परियोजना

319. श्री वासुदेवन नायर : **श्री यशपाल सिंह :**
श्री वारियर : **डा० रानेन सेन :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल स्थित अमरीकी सहायता प्राप्त सबरीगिरि जलविद्युत् परियोजना के चौथे, पांचवें और छठे जनित्रों (जेनेरेटरों) के लिये अमरीका से आयातित इस्पात के उन ठप्पों को, जिन्हें बाद में जंग लगा हुआ पाया गया, बदलने के लिये नये ठप्पे मंगा लिये गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) पहले आयात किये गये इस्पाती ठप्पों के खराब हो जाने से परियोजना के कार्य को कितनी क्षति हुई; और

(घ) परियोजना के कब तक पूरी होने की सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) तथा (ख) चौथे, पांचवें और छठे बिजली उत्पादन यूनिटों के ढकनों को सितम्बर, 1966 में बदलने के लिये अमरीका से इस्पात के ढकनों को जहाज द्वारा भेज दिया गया है। कोचीन में उनके पहुंचने की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) पहले आयात किये गये पंचिग्स की खराबी से चौथे, पांचवें और छठे जनित्रों पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है।

(घ) परियोजना 1967–68 के दौरान पूरी हो जायेगी, ऐसी सम्भावना है।

केरल के बिजली के इंजीनियर

320. श्री वारियर : **श्री मुहम्मद कोया :**
श्री वासुदेवन नायर : **श्री मणियंगाडन :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के बिजली इंजीनियरों ने अपने वेतन उपलब्धियों आदि के बारे में राज्य बिजली बोर्ड को एक ज्ञापन-पत्र प्रस्तुत किया था ;

(ख) क्या बोर्ड ने ज्ञापन-पत्र में उठाये गये प्रश्नों पर कोई कार्यवाही करने से इंकार कर दिया था; और

(ग) केरल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा नियुक्त किये गये बिजली के इंजीनियरों को सन्तुष्ट करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अहमद): (क) जी, हां। केरल राज्य बिजली बोर्ड अभियन्ता संघ ने 8 अगस्त, 1966 को अपने वेतन, उपलब्धियों आदि के सम्बन्ध में राज्य बिजली बोर्ड को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था।

(ख) और (ग) 13 अक्तूबर, 1966 को बोर्ड और संघ दोनों ने यह मान लिया कि इस झगड़े को निपटाने के लिए केरल उच्च न्यायालय के एक निवृत्त न्यायाधीश को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाये। इस सम्बन्ध में अगली कार्यवाही बोर्ड द्वारा की जा रही है।

मैसूर में जाली नोट

321. **श्री बासप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य की खुफिया पुलिस ने सितम्बर, 1966 में कुछ व्यक्तियों पर जाली नोट बनाने तथा बेचने के आपराधिक षड्यंत्र में सम्मिलित होने का आरोप लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) राज्य के खुफिया पुलिस विभाग ने मामले की जांच की है और कुछ व्यक्तियों पर आरोप लगाये हैं। यह मामला अब न्यायालय के विचाराधीन है।

मद्रास में जाली नोट

322. **श्री बासप्पा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य के जिलों में हाल में जाली नोट पकड़े गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कितने तथा क्या इस सम्बन्ध में किन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया गया है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य के पुलिस अधिकारियों ने 6,314 रुपये के 2,898 जाली नोट पकड़े थे और इस सम्बन्ध में 40 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं।

गोआ को बिजली की सप्लाई

323. **श्री बासप्पा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले दो वर्षों में गोआ को मैसूर से कितनी बिजली दी जायेगी; और

(ख) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इसमें वृद्धि कर दी जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) पहले से मिल रही 500 के० वी० ए० बिजली के अतिरिक्त अगले दो वर्षों में गोआ को मैसूर से 10,000 के० बी० ए० बिजली की मात्रा मिलने की सम्भावना है।

(ख) जी हां। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक गोआ को मैसूर से बिजली की सप्लाई बढ़ कर 50 मै० वाट हो जाने की सम्भावना है।

दिल्ली में मकानों की समस्या

324. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में मकानों की समस्या को हल करने के लिए दिल्ली नागरिक परिषद् ने कुछ समय पहले सरकार के पास एक 16 सूत्री योजना भेजी थी ;

(ख) क्या सरकार ने उस योजना पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) आवास समस्या को हल करने के लिए दिल्ली की सिटीज़न काउन्सिल से अप्रैल, 1966 में एक 12 मुद्दों की योजना प्राप्त हुई थी ।

(ख) और (ग). प्रत्येक मुद्दे की स्थिति संलग्न विवरण में बताई गयी है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 7198/66]**

अवमूल्यन और विदेशी विनियोजन

325. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगाने के लिये कि रुपए का अवमूल्यन विदेशी उपक्रमियों को देश में अपना विनियोजन बढ़ाने में प्रेरित करने में कहां तक सहायक रहा है, कोई मूल्यांकन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मूल्यांकन से क्या निष्कर्ष निकाले गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) और (ख). जी नहीं । कोई उपयोगी निष्कर्ष निकालने के लिये विषय पर कोई दृष्टिकोण बनाने का अभी समय नहीं है ।

राज्यों की योजनाओं के प्रारूप

326. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :
श्री बासप्पा :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामंत :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री हेम राज :
श्री श्यामलाल सर्राफ :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों से योजनाओं के पुनरीक्षित प्रारूप प्राप्त हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग द्वारा बताये गये तरीकों के आधार पर प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी कटौती की गई है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख). चौथी पंचवर्षीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने के बारे में योजना आयोग के दिनांक 5 सितम्बर, 1966 के उत्तर में 11 राज्य सरकारों ने चौथी योजना प्रस्तावों की रूपरेखा भेज दी है । आशा है कि अन्य राज्य भी शीघ्र ही भेज देंगे । राज्य सरकारों ने गत वर्ष अपने योजना ज्ञापन में जो व्यय-व्यवस्था दिखाई थी उसके अनुपात में लगभग सभी राज्य सरकारों ने अपनी योजनाओं की कुछ व्यवस्था में कटौती कर दी

है। क्रमिक योजनाओं में जिन योजनाओं तथा कार्यक्रमों को रखा गया है उनके ब्यौरे की जांच करे बिना व्यय व्यवस्था के तुलनात्मक आंकड़े देना कठिन है। राज्य सरकारों से जो अद्यतन योजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उन पर योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य ब्यौरेवार विचार किया जा रहा है। राज्य-योजनाओं की अन्तिम व्यय-व्यवस्था की ठीक-ठीक जानकारी इन सब बिचार-विमर्शों के पूरा होने के बाद हो सकेगी और आशा है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा में जो सामान्य सिद्धान्त तथा मार्गदर्शक सिद्धान्त दिये गये हैं ये उनके अनुरूप होंगे।

कलकता में हुगली नदी पर दूसरा पुल

327. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** **श्री ब० कु० दास :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : **डा० रानेन सेन :**

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता में हुगली पर दूसरा पुल बनाने की परियोजना को चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में शामिल न करने के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या दूसरा पुल न होने के कारण कलकत्ता की परिवहन समस्या पर पड़ने वाले गम्भीर प्रभाव को ध्यान में रख कर इस मामले पर फिर से विचार किये जाने की सम्भावना है ?

योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख). परिवहन, विमानन, जहाजरानी और पर्यटन मंत्री द्वारा 1 नवम्बर, 1966 को दिए गए तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

जीवन बीमा निगम के एजेण्टों की मांगें

328. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** **श्री वारियर :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के एजेण्टों ने सारे देश में बहुत समय से चली आ रही उनकी मांगों को पूरा न किये जाने के विरोध में 14 अक्तूबर, 1966 को सांकेतिक हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) एजेन्सी कमीशन का निपटारा करने में विलम्ब होने के बारे में एजेन्टों की शिकायत को दूर करने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) कुछ एजेन्टों ने निगम के केन्द्रीय तथा कुछ अन्य कार्यालयों के सामने 14 अक्तूबर, 1966 को सांकेतिक भूख-हड़ताल की थी।

(ख) सरकार का इस मामले में हस्तक्षेप करने का विचार नहीं है क्योंकि निगम इस मामले को निबटाने में पूरी तरह समर्थ है।

(ग) निगम ने एजेण्टों को यह आश्वासन दिया है कि मशीनें खराब हो जाने, भारी संख्या में अनुपस्थिति होने जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों को छोड़ कर, उनके कमीशन की रकमों की अदायगी करने में कोई देरी नहीं होगी।

जीवन बीमा निगम के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को बोनस

329. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम का विचार निगम के प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को बोनस देने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकारियों ने बोनस के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ;

(ग) यदि नहीं, तो उनकी आपत्तियां क्या हैं ; और

(घ) उनको लाभ का कितने प्रतिशत अंश बोनस के रूप में देने का प्रस्ताव किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) जी, हां। (ख) और (ग) श्रेणी I के अफसरों ने तो बोनस दिये जाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है परन्तु श्रेणी II के अफसरों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के बीमा क्षेत्रीय कर्मचारी संघ ने अभी तक इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है और वह अधिक ऊंची दर पर बोनस की मांग कर रहा है।

(घ) यह सवाल ही नहीं उठता क्योंकि भारत के जीवन बीमा निगम के तथा उसके श्रेणी 1 और 2 के अफसरों के बीच जिस मामले के बारे में बातचीत चल रही है वह लाभ में हिस्सा बंटाने वाला बोनस नहीं है।

ग्रामीण महिलाओं द्वारा लूप का प्रयोग

330. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
डा० म० मो० दास :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या परिवार नियोजन के लिये ग्रामीण महिलाओं में लूप का प्रयोग लोकप्रिय हो गया है;

(ख) क्या यह पता लगाने के लिये, कि जो नारियां कुछ समय के लिये लूप का प्रयोग करती हैं, वे बाद में लूप को उतार तो नहीं देतीं, कोई सर्वेक्षण किया गया है और लूप उतारे जाने के यदि कोई कारण हैं तो वे क्या हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) यद्यपि कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं किया गया है फिर भी पूरा रिकार्ड रखा जाता है और इस सम्बन्ध में सूचनाएं बराबर मिलती रहती हैं जिनकी जांच होती रहती है। उन थोड़े से मामलों में जहां लूप उतरवा लिया जाता है खून चलना, दर्द होना आदि ही उसके आम कारण हैं।

आदिम जातीय लोगों में साक्षरता

331. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
डा० म० मो० दास :

क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अथवा किसी अन्य अभिकरण द्वारा आदिम जातीय लोगों में साक्षरता तथा उनके विकास की प्रतिशतता के बारे में सर्वेक्षण किया गया है, यदि हां, तो कब;

(ख) कौनसी जातियों ने बहुत अधिक प्रगति की है ; और

(ग) कम उन्नत जातियों को अधिक उन्नत जातियों के बराबर लाने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

समाज कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) जहां तक समाज कल्याण विभाग को पता है, इन बातों की जांच पड़ताल करने के लिये कोई सर्वेक्षण अथवा अध्ययन नहीं किये गये हैं ।

(ग) पिछड़ी हुई अनुसूचित आदिम जातियों में शिक्षा का प्रसार करने के लिये विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं और इस प्रयोजन के लिये अनेक शैक्षिक संस्थायें विशेषतया आवासीय स्कूल खोले गये हैं और निधि की उपलब्धता को देखते हुये जहां कहीं आवश्यक है, नई संस्थायें खोली जा रही हैं ।

कलिंग न्यास

332. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग ने श्री बिजू पटनायक द्वारा आरम्भ किये गये कलिंग न्यास के कार्यों की जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री शंकर घोष) : (क) और (ख) कलिंग फाउंडेशन न्यास के बारे में आयकर विभाग द्वारा की गई जांच पूरी हो चुकी है, और विभाग द्वारा इकट्ठे किये गये साक्ष्य निर्धारिती के सामने रखे गये हैं । निर्धारिती द्वारा जो उत्तर और साक्ष्य प्रस्तुत किये जायेंगे, उन पर विचार करने के बाद ही आयकर अधिकारी अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे ।

(ग) सवाल पैदा नहीं होता ।

जापान से सहायता

333. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान सरकार चालू वर्ष के लिये भारत को दी जाने वाली अपनी सहायता बढ़ाने के लिये सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी; और किन शर्तों पर ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) और (ख). इस समय जापान से सहायता के लिए बातचीत चल रही है। बातचीत पूरी होने के बाद सहायता के परिमाण और उसकी शर्तों के बारे में जानकारी मिल जायेगी।

चौथी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल का ज्ञापन

334. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री महेश्वर नायक :

क्या योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल की ओर से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें चौथी योजना के परिव्यय में 6,000 करोड़ रुपये की कमी करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो मण्डल ने अपनी मांग के समर्थन में क्या कारण बताये हैं ; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) मण्डल ने अपनी मांग के समर्थन में निम्नलिखित कारण दिए हैं :

(1) परिकल्पित निवेश सरकार की विकास स्तर को सम्भालने की प्रशासनिक क्षमता से बाहर नहीं होना चाहिए।

(2) अंगीकार किया गया कुल निवेश संभाव्य साधनों से अधिक नहीं होना चाहिए और उससे मूल्यों में वृद्धि नहीं होनी चाहिए।

(3) योजना से इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए कि निम्न दर से कराधान द्वारा अधिक राजस्व प्राप्त हो सके। दूसरी ओर, इससे इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए कि अधांधुंध घाटे की अर्थव्यवस्था अपनानी पड़े।

(ग) योजना को अन्तिम रूप देते समय अन्य दृष्टिकोणों के साथ मण्डल के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखा जाएगा।

प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धि

335. श्री प्र० चं० बरुआ : श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद : श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त में आसाम तथा अन्य राज्यों/संघक्षेत्रों तथा अखिल भारतीय आधार पर बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धि क्या थी;

(ख) प्रत्येक राज्य की बिजली तैयार करने की क्या क्षमता थी; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य में प्रति व्यक्ति खपत तथा प्रत्येक राज्य की बिजली तैयार करने की क्षमता में किस प्रकार वृद्धि की जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क), (ख) और (ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त में प्रत्येक राज्य में और अखिल भारतीय आकार पर बिजली की कुल उत्पादन क्षमता और क्षमता के प्रति व्यक्ति उत्पादन तथा खपत के दो विवरण संलग्न हैं [पुस्तकालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 719./66] चौथी योजना के लिये दिए गए आंकड़े अस्थायी हैं और इनको अन्तिम रूप देना है।

दिल्ली में उप-किरायेदार

336. श्री श्रीनारायण दास :

क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली में उप-किरायेदारों को कोई कब्ज़ा संरक्षण देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) जी नहीं। दिल्ली रेन्ट कण्ट्रोल एक्ट, 1958 (1958 की संख्या 59) की वर्तमान व्यवस्था के अधीन यह आवश्यक है कि किरायेदार इससे पूर्व कि मकान को उपकिरायेदारी के लिए दो, मकान मालिक की इसके लिए लिखित में स्वीकृति ले ले। उपर्युक्त एक्ट की धारा 16(3) निम्न प्रकार से है :—

धारा 16(3)

इस अधिनियम (एक्ट) के प्रारम्भ होने के बाद से, भू-स्वामी (लैण्ड लार्ड) की लिखित में पूर्व सम्मति के बग़ैर कोई भी किरायेदार—

(क) किरायेदार के रूप में उसके अधिकार के परिसर को सम्पूर्ण रूप में अथवा किसी अंश में उपकिरायेदारी अथवा

(ख) अपने किरायेदारी के अधिकारों का हस्तान्तरण अथवा समनुदेशन नहीं कर सकता।

किरायेदार के द्वारा इन उपबन्धों का उल्लंघन किये जाने पर अधिनियम की धारा 48 में दण्ड की व्यवस्था है जो कि अधिरोपित किये जा सकते हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आर्थिक मामलों पर विचार करने के लिए पाकिस्तान के साथ बैठक

337. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उप-महाद्वीप के आर्थिक मामलों पर विचार करने के लिए विश्व बैंक के तत्वावधान में भारत और पाकिस्तान की बैठक हुई थी ;

(ख यदि हां, तो उसमें किन-किन विषयों पर विचार किया गया ;

(ग) इसमें क्या-क्या निर्णय किये गये; और

(घ) विश्व बैंक ने इस बैठक का सुझाव किन परिस्थितियों में दिया था ?

वित्त मन्त्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) ऐसी कोई बैठक आयोजित करने का सरकार का विचार नहीं रहा है और ऐसी कोई बैठक नहीं हुई है।

(ख), (ग) और (घ) : ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

प्रतिरक्षा तथा विकास के लिए ग्रामीण जनशक्ति

338. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री मसाइकामी :

क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रयुक्त विशाल ग्रामीण जनशक्ति का प्रतिरक्षा एवं विकास के लिए उपयोग करने संबंधी प्रस्तावों की कार्यान्विति में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या 750,000 ग्रामीण युवकों का एक शक्तिशाली दल बनाने की दिशा में कोई निश्चित कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

योजना तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री अशोक मेहता) : (क) तीसरी योजना के दौरान आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण जनशक्ति के उपयोग के उद्देश्य से कुल मिला कर 19 करोड़ रुपये के व्यय का ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम अंगीकार किया गया था। अल्पारम्भ के साथ 1965–66 के दौरान इससे लगभग 4,00,000 व्यक्तियों को एक वर्ष में 100 दिनों का काम मिला और इससे विभिन्न क्षेत्रों में सामुदायिक परिसंपत्ति के निर्माण में सहायता मिली। चौथी योजना में ग्रामीण निर्माण कार्यक्रमों के लिए 90 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। निर्माण कार्यों पर व्यय के अतिरिक्त 15 से 25 वर्ष तक के आयुवर्ग के ग्रामीण युवकों को शिल्पों का प्रशिक्षण देने के लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ख) नहीं, जी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हरिजनों तथा अनुसूचित जातियों का कल्याण

339. श्री श्रीनारायण दास : क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिजनों तथा अनुसूचित जातियों के कल्याण तथा उत्थान के लिये अखिल-भारतीय आधार पर एक न्यास बनाने की दिशा में कोई प्रगति हुई है और यदि हां, तो क्या प्रगति हुई है ;

(ख) विचाराधीन प्रस्ताव सह-सही क्या है ; और

(ग) इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा।

समाज कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पश्चिम कोसी नहर

340. श्री विभूति मिश्र :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री यशपाल सिंह :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री बसुमतारी :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या पश्चिम कोसी नहर के बारे में नेपाल सरकार के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) समझौते के मसौदे के बारे में नेपाल सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्रतीक्षित है।

Recovery of Rent

341. **Shri Bagri:**
Shri Ram Sewak Yadav:

Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) the number of houses for which Government has not been able to recover rent this year;

(b) the number of houses in regard to which Government had to move the Courts to recover the rent;

(c) whether it is a fact that cetrain distinguished persons were exempted from payment of rent or their cases were withdrawn from the Courts; and

(d) if so, the number of such persons and the reasons for which their cases were not proceeded at all or were withdrawn?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna): (a) Rent from the Government employees and the Members of Parliament is recovered at source from their paybills. Among the other allottees of the general pool residences, recovery of rent could not be made in 59 cases during this year.

(b) Nil.

(c) and (d). Do not arise.

मल साफ करने का काम

342. श्री उटिया : **श्री यशपाल सिंह :**
श्री बागड़ी : **श्री राम सेवक यादव :**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या शहरी क्षेत्रों में मजदूरों द्वारा मल साफ किये जाने की पद्धति को समाप्त करने तथा उसके स्थान पर यांत्रिक व्यवस्था प्रयोग में लाने के संबंध में योजना आयोग ने अपनी टिप्पणी दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख). चौथी योजना में सम्मिलित की जाने वाली स्थानीय स्वायत्त शासन योजनाओं के बारे में विचार करने तथा सुझाव देने के लिये जिस स्थानीय स्वायत्त शासन कार्यकारी वर्ग की स्थापना की गई थी उसने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित व्यवस्था सुझाई है :—

1. कूड़ा, मैला और खाद के हटाने के लिये परिवहन की व्यवस्था ।

(क) ट्रक और ट्रेलरों की प्राप्ति	10.00 करोड़
(ख) खाद बनाने के संयंत्र	10.00 करोड़
2. खुश्क शौचालयों को फ्लश शौचालयों में बदलना	10.00 करोड़

योजना आयोग ने अब यह विचार प्रकट किया है कि शहरी क्षेत्र में खुश्क शौचालयों को फ्लश में बदलने का व्यय राष्ट्रीय जल पूर्ति एवं सफाई कार्यक्रम के अन्तर्गत की गई व्यवस्था में से पूरा किया जा सकता है । उन्होंने कूड़ा हटाने की गाड़ियों की व्यवस्था के लिये भी अस्थायी रूप से 4.00 करोड़ रुपये नियत किये हैं । प्रस्ताव का ब्यौरा अभी तैयार किया जाना है ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा-सहायता

343. श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सेवक यादव :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की चिकित्सा उनके वेतन के आधार पर की जाती है ;

हरिजनों तथा अनुसूचित जातियों का कल्याण

339. श्री श्रीनारायण दास : क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिजनों तथा अनुसूचित जातियों के कल्याण तथा उत्थान के लिये अखिल-भारतीय आधार पर एक न्यास बनाने की दिशा में कोई प्रगति हुई है और यदि हां, तो क्या प्रगति हुई है ;

(ख) विचाराधीन प्रस्ताव सह-सही क्या है ; और

(ग) इस प्रस्ताव को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा।

समाज कल्याण विभाग में उपमन्त्री (श्रीमती चन्द्रशेखर): (क) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पश्चिम कोसी नहर

340. श्री विभूति मिश्र :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री यशपाल सिंह :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री बसुमतारी :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या पश्चिम कोसी नहर के बारे में नेपाल सरकार के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) समझौते के मसौदे के बारे में नेपाल सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्रतीक्षित है।

Recovery of Rent

341. **Shri Bagri:**
Shri Ram Sewak Yadav:

Will the Minister of **Works, Housing and Urban Development** be pleased to state:

(a) the number of houses for which Government has not been able to recover rent this year;

(b) the number of houses in regard to which Government had to move the Courts to recover the rent;

(ख) यदि नहीं, तो इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख). यह विषय अभी विचाराधीन है। इस पर कब तक अन्तिम निर्णय किया जायेगा यह बतलाना इस समय सम्भव नहीं है।

राजस्थान नहर

346. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर सम्बंधी 1963 की बृहद् योजना (मास्टर प्लान) को संक्षिप्त करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद): (क) और (ख). राजस्थान नहर की योजना में सिंचाई के घनत्व का पुनरावलोकन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

परिवार नियोजन

347. **श्री कर्णीसिंहजी** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में बन्ध्यकरण आपरेशनों और लूप तथा अन्य गर्भनिरोधक वस्तुओं के वितरण तथा वास्तविक प्रयोग के मामले में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) क्या परिवार नियोजन कार्यक्रम की प्रगति का गौर से निरीक्षण करने के लिए कोई आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) राज्यों द्वारा अब तक दिये गये 1964-65 के तुलनात्मक आंकड़े और कुल आंकड़े अगले पृष्ठ पर दिये गये हैं :—

	1964-65	1965-66	प्रारम्भ से अब तक का योग
बन्ध्यीकरण आपरेशन	4 लाख	5 लाख	17 लाख
गर्भाशयी गर्भरोधक	—	8 लाख	11 लाख
अन्य गर्भरोधक			
(क) कण्डोम	1 करोड़ 70 लाख	3 करोड़ 90 लाख	आंकड़े उपलब्ध नहीं
(ख) झागवाली टिकिया	90 लाख	60 लाख	तदैव
(ग) जैली (ट्यूब)	3 लाख	4 लाख	तदैव
(घ) डायाफ्राम	1 लाख	2 लाख	तदैव

(ग) जी, हां।

रिजर्व बैंक, कलकत्ता

348. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, १९६६ में भारत के रिजर्व बैंक के सामान्य कार्यकरण में अव्यवस्था के कारण कलकत्ता में बैंक-कार्य में अव्यवस्था हो गई थी ।

(ख) क्या समाशोधनघर (क्लियरिंग हाउस) के बन्द घोषित कर दिये जाने के कारण २० करोड़ रुपये का दैनिक समाशोधन नहीं किया गया था ;

(ग) इस अव्यवस्था के क्या कारण थे और स्थिति सुधारने के लिये क्या उपाय किये गये और

(घ) क्या रिजर्व बक के कर्मचारी टेक्नीकल अर्थों में सामूहिक प्रतिनियुक्ति पर थे ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) कलकत्ता में समाशोधनघर ९ से १६ और फिर २२ और २३ सितम्बर को बन्द रहा जिसके परिणामस्वरूप इस अवधि में, औसत तौर पर १९ करोड़ के मूल्य के प्रति दिन के कागजात का समाशोधन नहीं हुआ था ।

(ग) पहले अवसर पर कर्मचारियों ने, बैंक के कर्मचारियों संबंधी विनियमों के उल्लंघन के लिये पर्यवेक्षी कर्मचारियों के दो सदस्यों को जारी की गई कारण बताओ सूचना के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिये एक आन्दोलन का प्रदर्शन किया । दूसरे अवसर पर समाशोधनघर को बंगाल बंद के कारण बन्द करना पड़ा था । चूंकि मामला औद्योगिक संबंधों का है इसलिये इस पर स्थिति पर आधारित गुणदोषों के आधार पर विचार किया जायेगा ।

(घ) चूंकि प्रबन्धकों और कर्मचारियों में समझौता हो गया था, इसलिये यह सुनिश्चित करने का प्रश्न नहीं उठता कि कर्मचारी सामूहिक प्रतिनियुक्ति पर थे या स्टे इन स्ट्रायक पर थे ।

सरकारी उपक्रमों के अतिथि-गृह

349. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री हु० च० लिंग रेड्डी :
श्री दाजी :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री यशपाल सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
डा० म० मो० दास :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, तथा बम्बई में कितने अतिथि-गृह हैं और उन पर कितनी लागत आई है ;

(ख) क्या सरकार ने इन उपक्रमों को खर्च में मितव्ययता करने, किराये पर लिए हुए अतिथि-गृहों को छोड़ने तथा अपने अतिथि अधिकारियों के लिए केन्द्रीय सरकार के आवास प्राप्त करने के सुझाव दिये हैं ; और

(ग) क्या इन अतिथि-गृहों का एक पुंज (पूल) बना कर उन्हें केन्द्रीय सरकार के होस्टलों के रूप में चलाने का कोई प्रस्ताव है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सेहरचन्द खन्ना) (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

ऋण नीति

350. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ब० कु० दास :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी व्यस्त मौसम के लिये ऋण नीति में परिवर्तन किया गया है ताकि उदारता-पूर्वक आयात लाइसेंस देने की नवीन नीति के कारण उद्योगों की बढ़ी हुई मांग को पूरा किया जा सके ;

(ख) क्या रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इस संबंध में प्रमुख बैंकिंग कम्पनियों के प्रतिनिधियों से बातचीत की है ;

(ग) बैंकों ने कहां तक ऐसी व्यवस्था की है कि अत्यावश्यक तथा प्राथमिकता वाले उद्योगों को रुपया मिल सके ; और

(घ) क्या रिजर्व बैंक ने शरद ऋतु के व्यस्त महीनों के लिये धन बचाने की आशा से मन्दे मौसम में कम ऋण देने की नीति अपनाई थी ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) पिछले मन्दे के मौसम के आरम्भ में रिजर्व बैंक ने बैंकों को, उनकी स्थिति में सुधार के लिये तथा सरकारी प्रतिभूतियों में ऋणों और निवेशों से होने वाली आमदनी के विनियोजन के लिये सलाह दी थी । बैंकों ने इस सलाह पर काफी हद तक अमल किया था और चालू व्यस्त मौसम की आवश्यकता को पूरा करने के लिये काफी निधियां जमा की थी ।

बैंकों के संसाधनों को रिजर्व बैंक से उदारता से सहायता दी जायेगी ताकि वे उद्योगों की आवश्यकता को पूरा कर सकें । रिजर्व बैंक ने सभी विदेशी बैंकों और सभी अनुसूचित बैंकों को, जिनका मांग और समय संबंधी कुल दायित्व ५० करोड़ रुपये या उससे अधिक है यह निदेश दिया था कि वे चालू व्यस्त मौसम में अपने ऋणों में वृद्धि का कम से कम ८० प्रतिशत उद्योगों में लगायें और/या आयात और निर्यात बिलों के भुगतान में लगायें ।

मितव्ययता-अभियान

351. श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भगवत झा आजाद :
डा० स० मो० दास :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री वारियर :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बासप्पा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हेमराज :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री वे० श० पुरी :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प० हु० भील :
श्री कपूर सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान कठिन स्थिति का सामना करने के लिये सरकार द्वारा चलाये गये मितव्ययता अभियान की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) १९६६ ६७ में केन्द्रीय स्तर पर तथा प्रत्येक राज्य में कितनी मितव्ययता की आशा है और इन उपायों का चौथी योजना के शेष वर्षों में क्या स्वरूप होगा ; और

(ग) क्या प्रत्येक मुख्य शीर्षक के अन्तर्गत मितव्ययता के स्वरूप तथा वास्तविक स्थिति बताने वाला एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) (i) मंत्रालयों को आम तौर पर निदेश दिये गये थे कि वे अपने कार्यों की फिर से जांच करें और उनमें कटौती करके अथवा उनके कार्यक्रम का पुनर्निर्धारण करके १९६६ ६७ के स्वीकृत बजट के राजस्व व्यय में तीन प्रतिशत की और पूंजी सम्बन्धी व्यय में पांच प्रतिशत की कटौती करें। इसी प्रकार राज्य सरकारों से भी आग्रह किया गया था कि वे अपने व्यय में बचत करने के उपाय करें।

(ii) सचिवों की समिति ने केन्द्रीय मन्त्रालयों के बजटों की, सम्बन्धित सचिव की सलाह से, समीक्षा की, जिससे ९१ करोड़ रुपये तक की बचत निश्चित की जा सकी। लेकिन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त मंहगाई भत्ता देने और अवमूल्यन तथा बजट के बाद के अन्य निर्णयों के कारण होने वाले अधिक व्यय के लिए अलग से अतिरिक्त धन की व्यवस्था करनी होगी।

(iii) उपर्युक्त बातों के अलावा आदेश जारी किये गये हैं कि सरकारी कार्यालयों में यात्रा, प्रतिनियुक्ति, वेतन-मान जैसे प्रशासनिक और विविध व्यय में बचत की जाय।

(ख) केन्द्रीय बजट में हो सकने वाली बचत की मात्रा भाग (क) के उत्तर में दिखायी गयी है। जहां तक राज्य सरकारों का सम्बन्ध है अब तक केवल नौ राज्यों से उत्तर प्राप्त हुए हैं। राज्यों द्वारा सम्भावित बचत की रकमें संलग्न विवरण-पत्र (अनुबन्ध-I) में दिखायी गई हैं।

इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि चौथी आयोजना के बाकी वर्षों में बचत के इन उपायों की क्या रूपरेखा होगी।

(ग) १९६६-६७ में केन्द्रीय बजट में मंत्रालय वार जितनी बचत करने का विचार है उसकी रकमें संलग्न विवरण-पत्र (अनबन्ध-II) में दिखायी गई हैं [पुस्तकालय में रख दिया गया, देखिये संख्या एल० टी० 7200/66] कई मामलों में मितव्ययता का विवरण अधिकतर मन्त्रालयों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है इसलिए बचत के इन उपायों का रूप इसी समय बताना सम्भव नहीं है। इन बचत- उपायों के कारण प्रत्येक मुख्य शीर्षक के अन्तर्गत स्थिति का पता संशोधित अनुमानों से चलेगा जो यथा समय संसद को पेश किये जायेंगे।

Control of Rat Menace

352. **Shri M. L. Dwivedi:**
Shri P. C. Borooah:
Shri Subodh Hansda:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri S. C. Samanta:
Dr. M. M. Das:

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether her attention has been drawn to the statement made by an entomologist of U.P. Government, as published in 'Nav Bharat Times' of the 22nd September, 1966 wherein he has claimed that the country could get rid of rats within one year in case Government provide 25 crores of rupees and that it would result in a saving of crores of maunds of food-grains; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): (a) and (b). The Press report published in 'Nav Bharat Times' related to a statement said to have been made by Shri A. S. Srivastava of the Department of Agriculture of the Government of Uttar Pradesh. Government of India hae received no more information and have received no proposal or scheme as mentioned in the question.

अशोक होटल में सेवा-व्यय

353. **श्री काजरोलकर** : क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अशोक होटल में ठहरने वाले लोगों से सेवा-व्यय के रूप में एक निश्चित प्रतिशत रकम ली जाती है;

(ख) यदि हां, तो इस राशि का उपयोग किस प्रकार किया जाता है;

(ग) क्या हाल में सरकार को इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि यह राशि कर्मचारियों में बांटी जानी चाहिए; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना): (क) जी हां। अशोक होटल में रहने वालों से 12½ प्रतिशत सेवा-व्यय लिया जाता है।

(ख) कर्मचारियों द्वारा क्राकरी, कटलरी, लीनन जैसी चीजों की टूटफूट से हुई अनुचित हानि होने पर जिसके लिए किसी व्यक्ति विशेष को उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता, उसकी तबदीली के खर्चे को पूरा करके शेष राशि 300–10–400 दक्षता रोक–12½– 25 रुपये के वेतन मान तथा इससे नीचे के वेतन मान के होटल कर्मचारियों में बांट दी जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

गाजियाबाद में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिये भूमि

354. **श्री काजरोलकर :** क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री 17 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2342 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों तथा मकानों के लिए गाजियाबाद में भूमि अर्जित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इन कार्यालयों के निर्माण के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) किन-किन कार्यालयों को वहां ले जाने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) गाजियाबाद की भूमि अर्जित कर ली गयी है किन्तु निधियां उपलब्ध न होने के कारण कार्यालयों के निर्माण कार्य में कोई प्रगति न हो सकी। यदि निधियां उपलब्ध हो गईं तो अगले वित्तीय वर्ष में कार्य आरम्भ कर दिया जायेगा।

(ग) अभी प्रश्न ही नहीं उठता।

हिन्दी में हस्ताक्षरित चैक

355. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री ए० ना० तिवारी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का स्टेट बैंक (पार्लियामेंट स्ट्रीट शाखा, नई दिल्ली) चैक स्वीकार नहीं करता है यदि प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर हिन्दी में प्रमाणीकृत किये गये हों; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

मंत्रालयों में वातानुकूलन संयंत्र

356. **श्री उमानाथ :**
श्री दामोदर भट्टाचार्य :

क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक मंत्रालय इस समय कुल कितने वातानुकूलन संयंत्रों का प्रयोग कर रहा है;

(ख) इन वातानुकूलन संयंत्रों के खरीदने पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) वर्ष 1966-67 में सरकार का विचार कुल कितने वातानुकूलन संयंत्र खरीदने का है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पेरियार नदी पर जलमार्ग ऊपरि पुल

357. श्री अ० क० गोपालन :
श्री इम्बीचिबाबा :
श्री प० कुन्हन :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेरियार ग्राम योजना के अनुसार अल्वाये में पेरियार नदी पर जलमार्ग ऊपरि पुल बनाने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब पूरा हो जायेगा;

(ग) क्या सरकार को कोई ऐसा अभ्यावेदन मिला है कि यह एक सड़क एवं जलमार्ग पुल के रूप में बनाये जायें; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां । केरल सरकार ने अल्वे मार्किट लैंडिंग के निकट पेरियार नदी की बाईं शाखा पर एक पुलिया का निर्माण कार्य हाथ में लिया है ।

(ख) लगभग दो वर्षों में ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में वृद्धावस्था पेंशन के लिये याचिकाएं

358. श्री अ० क० गोपालन :
श्री इम्बीचिबाबा :
श्री प० कुन्हन :

क्या रोजगार तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965–66 में केरल में प्राधिकारियों द्वारा वृद्धावस्था पेंशन सम्बन्धी कितनी याचिकाएं निपटाई गई हैं;

(ख) उनमें से कितनी याचिकाओं को तकनीकी कारणों से अस्वीकार किया गया;

(ग) क्या सरकार ऐसे याचिकादाताओं को मानवीय कारणों से अपनी याचिकाएं पुनः पेश करने की अनुमति देती है;

(घ) क्या सरकार को केरल राज्य कांग्रेस से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : यह सूचना केरल सरकार से मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

नागार्जुन सागर परियोजना

359. श्री यशपाल सिंह :
डा० म० मो० दास :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री 7 सितम्बर, 1966 के अल्प सूचना प्रश्न संख्या 34 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागार्जुनसागर परियोजना के लिये अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर सरकार ने विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) 8·5 करोड़ रुपये के मूल प्रबन्ध के अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 4 करोड़ रुपये की और वित्तीय सहायता को स्वीकार कर लिया गया है और इस बारे में स्थिति का पुनरविलोकन शीघ्र ही किया जायेगा ।

सिंचाई के लिये अधिक धन

360. श्री यशपाल सिंह :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सिंचाई के लिये चौथी योजना में प्रारूपित परिव्यय के अतिरिक्त 275 करोड़ रुपये की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग की इसके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

संचारी रोग

361. श्री यशपाल सिंह :
श्री बागड़ी :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण पूर्व एशिया सम्बन्धी विश्व स्वास्थ्य संगठन के वार्षिक प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि संचारी रोगों के कारण अब भी दक्षिण-पूर्व एशिया में बहुत से

निवार्य रोग फैलते हैं तथा बहुत मौतें होती हैं और व्यक्तियों की बड़ी संख्या में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के कारण अब उन क्षेत्रों के लिए खतरा पैदा हो गया है जो स्वास्थ्य की दृष्टि से उनकी अपेक्षा अच्छे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां ।

(ख) संचारी रोगों के नियंत्रण तथा उन्मूलन संबंधी कार्यक्रमों को देश की पंचवर्षीय योजनाओं में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है । चौथी योजना में निम्नलिखित कार्यक्रम सम्मिलित हैं :—

1. मलेरिया उन्मूलन
2. चेचक उन्मूलन
3. क्षय रोग नियंत्रण
4. कुष्ठ नियंत्रण
5. रोहे नियंत्रण
6. रतिरोग नियंत्रण
7. हैजा नियंत्रण
8. फाइलेरिया नियंत्रण
9. आलर्क नियंत्रण

2. आमाशयिकांत्र संक्रमण को रोकने के लिये सभी पंचवर्षीय योजनाओं में जलपूर्ति एवं सफाई कार्यक्रमों की व्यवस्था की जा रही है ।

3. स्वास्थ्य सेवाओं के भावी विकास में स्वास्थ्य संगठन को विशेषतया आधारभूत स्वास्थ्य सेवाओं, महामारी सम्बन्धी सेवाओं, स्वास्थ्य प्रयोगशाला एवं सांख्यिकी सेवाओं को प्राथमिकता दी गई है ।

4. संगरोधीय रोगों विशेषतया पीतज्वर फैलने के खतरे से बचने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संगरोध उपाय सख्ती से बरते जा रहे हैं ।

मध्यप्रदेश क आदिम जाति क्षेत्रों में स्कूल

362. श्री वाडोवा : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गत तीन वर्षों से मध्यप्रदेश सरकार आदिम जाति क्षेत्रों में, जहां कि पहले ही साक्षरता कम हो गई है, प्राथमिक/माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्कूल खोल नहीं सकी है;

(ख) क्या भूतपूर्व वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश के आदिम जाति क्षेत्रों में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस बारे में विशेष विचार के लिये राज्य सरकार से प्रस्ताव मांगे थे;

(ग) यदि हां, तो उनके सम्बन्ध में सरकार का अन्तिम निर्णय क्या था;

(घ) क्या मध्यप्रदेश सरकार ने आदिम जाति विकास खण्ड के बजट में निर्धारित की गई राशि से स्कूल खोलने की व्यवस्था करने के लिये इस बीच नये प्रस्ताव भेजे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या इस प्रार्थना के बारे में सरकार को सहमति भेज दी गई है ?

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) राज्य सरकार से इस प्रकार के कोई प्रस्ताव नहीं मांगे गये थे । तो भी, भूतपूर्व वित्त मंत्री तथा मध्यप्रदेश के संसद सदस्यों में बातचीत हुई थी, जिसमें यह संकेत किया गया था कि आदिवासीय क्षेत्रों में शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों के लिये विशेष केस बनाया जा सकता है । मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री ने अक्तूबर, 1965 में उस प्रदेश के आदिम जातीय क्षेत्रों में प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूल खोलने के लिये एक प्रस्ताव भेजा था । इस मामले का योजना आयोग की सलाह से विस्तृत परीक्षण किया गया तथा यह अनुभव किया गया कि केन्द्र में बजट की स्थिति खराब होने तथा उपलब्ध साधन सीमित होने के कारण योजना से बाहर राज्य सरकार को बड़े पैमाने पर सहायता देने की अधिक गुंजाइश नहीं है ।

(घ) जी हां ।

(ङ) यह मामला विचाराधीन है ।

मध्यप्रदेश के आदिवासी गांवों में कुओं का खोदना

363. **श्री वाडीवा :**
श्री उ० मू० त्रिवेदी :
डा० चन्द्रभान सिंह :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यप्रदेश के संसद सदस्यों को ऐसा कोई आश्वासन दिया गया था कि मध्य-प्रदेश के कठिनाई वाले आदिवासी गांवों में पांच वर्ष की अवधि में 2500 कुएं खोदने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को सरकार मान लेगी और इस कार्य के लिए राज्य-योजना में निश्चित की गई राशि के अलावा धन उपलब्ध किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में राज्य सरकार को आदेश भेज दिये गये हैं ?

समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) (क) तथा (ख). जी हां । राज्य सरकार को हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अधीन भारत सरकार ने आदिम जातीय विकास खण्डों के लिये जो व्यवस्था की है, उसमें से 2,500 कुएं खोदने के लिये 1·80 करोड़ रुपये तक खर्च किया जाये ।

मध्यप्रदेश में सहकारी कताई मिल

364. **श्री वाडीवा :**
डा० चन्द्रभान सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्यप्रदेश में चार सहकारी कताई मिलों की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंस देने के बारे में भारत सरकार के सम्बन्धित विभाग तथा योजना आयोग द्वारा अपनाई

जा रही परस्पर विरोधी नीति की ओर ध्यान दिलाते हुए मध्य प्रदेश के संसद् सदस्यों ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष को एक अभ्यावेदन भेजा था;

(ख) यदि हां, तो वह कब मिला था; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में संसद् सदस्यों को कोई अन्तिम उत्तर भेज दिया गया है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (ग). मध्य प्रदेश के संसद् सदस्यों की समिति से अप्रैल, 1966 में एक पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें सहकारी क्षेत्र में कताई मिल की स्थापना के बारे में राज्य सरकार के प्रस्ताव पर योजना आयोग की स्वीकृति प्रदान करने के लिए निवेदन किया गया था। इस सम्बन्ध में प्रश्न संख्या 618 के उत्तर में 28 जुलाई, 1966 को लोक सभा में पहले ही स्थिति का स्पष्टीकरण किया जा चुका है। वाणिज्य-मंत्रालय से परामर्श कर यह निश्चय किया गया है कि राज्य सरकार के प्रस्तावों को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है।

मध्य प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों का विकास

365. श्री वाडीवा :
डा० चन्द्रभान सिंह :

क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री 28 जुलाई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 619 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों के अभिनिर्धारण और इन क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्रों के उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार द्वारा की गई विशिष्ट कार्यवाही तथा इन क्षेत्रों में तीसरी योजना के दौरान अधिमान्य आधार पर औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने हेतु जारी किये गये लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन उपायों की रूप रेखा क्या है जो सरकार पिछड़े क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने के लिए चौथी योजना के दौरान करना चाहती है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश के सदस्यों ने प्रधान मंत्री को कोई ऐसा सुझाव दिया है कि सरकारी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करके तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देकर, अभिनिर्धारित पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए प्रत्येक राज्य में विशेष क्षेत्र विकास आयोग का गठन किया जाये; और

(घ) यदि हां, तो उक्त सुझावों के बारे में क्या अन्तिम निर्णय किया गया है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) पिछड़े क्षेत्रों के निर्धारण के लिए कतिपय सूचकों का विकास किया गया है और इनके आधार पर तथा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर मध्य प्रदेश में पिछड़े क्षेत्रों के निर्धारण के लिए कदम उठाये जा रहे हैं। तीसरी योजना के दौरान कितने लाइसेंस जारी किये गये उनके ब्यौरे के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और एकत्रित होने पर सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

(ख) चौथी योजना की प्रारम्भिक रूपरेखा में निम्न पर्यवेक्षण किया गया है;

> "तकनीकी तथा आर्थिक विचारों को ध्यान में रखते हुए पिछड़े क्षेत्रों के विकास और उद्योगों के छितराव के उद्देश्य को भी चौथी योजना के औद्योगिक कार्यक्रम में ध्यान में रखना होगा।"

जैसा कि यहां पर बताया गया है, इन विशिष्ट उपायों का निरूपण किया जा रहा है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि औद्योगिक विकास निगम पहले ही गठित किये जा चुके हैं, यह आवश्यक नहीं समझा जाता कि विशेष क्षेत्र विकास आयोग की स्थापना की जाय ।

तिब्बत से लगी सीमा पर के पर्वत प्रदेशों का विकास

366. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **योजना तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिब्बत से लगी हुई सीमा पर के पर्वत प्रदेशों का विकास करने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) और (ख). योजना आयोग ने सम्बन्धित राज्य सरकारों तथा संघ-शासित क्षेत्रों से कहा है कि वे पहाड़ी तथा सीमांत क्षेत्रों के द्रुत विकास के लिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों को तैयार करें । प्रस्तावों के प्राप्त होने तथा उन पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विचार-विनिमय हो जाने के बाद ब्यौरे की जानकारी प्राप्त होगी ।

दिल के दौरे

367. **डा० श्रीनिवासन** :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) वर्ष 1965–66 के दौरान राज्यवार दिल के दौरों से मत कितने लोगों की सूचना मिली है;

(ख) क्या यह सच है कि हाल ही में ऐसी घटनायें बढ़ गई हैं;

(ग) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं; और

(घ) दिल के दौरों को कम करने या उनसे पीड़ित लोगों का उपचार करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जानकारी राज्य सरकारों से इकट्ठी की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) देश के अनेक भागों के हृदय विशेषज्ञों ने यह मत प्रकट किया है कि 'कोरोनरी' दिल के रोग से पीड़ित रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है ।

(ग) और (घ). भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् 'इस्केमिक' हृदय रोग के क्षेत्र में विभिन्न महामारी विज्ञान, प्रयोगात्मक तथा उपचार सम्बन्धी अध्ययनों को सहायता दे रही है । विभिन्न ऐसे कारणों का पता लगाया गया है जो हृदय की रुधिर वाहिका में परिवर्तन पैदा करते हैं जिससे 'इस्केमिक' हृदय रोग होता है । इन अध्ययनों के परिणाम सम्मेलनों, गोष्ठियों और प्रकाशनों द्वारा सभी डाक्टरों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं ।

चोरी छिपे लाये गये सोने तथा घड़ियों का पकड़ा जाना

368. **डा० श्री निवासन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1964–65 और 1965–66 में भारत के विभिन्न हवाई अड्डों और बन्दरगाहों पर, क्षेत्रवार चोरी-छिपे लाया गया कितना सोना तथा घड़ियां पकड़ी गईं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : इस सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी क जा रही है और सदन की मेज़ पर रख दी जायगी ।

नंगल बांध से कोटला तक समानान्तर नहर

369. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में गंगूवाल और कोटला में बिजली घर बनाने के लिये नंगल बांध से कोटला तक समानान्तर नहर बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) इस प्रस्ताव की जांच हो रही है और अभी तक इसके बारे में कोई फैसला नहीं किया गया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता

370. **डा० मेलकोट** :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकारियों तथा कर्मचारियों को एक विभाग से दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर जाने पर मिलने वाले प्रतिनियुक्ति भत्ते को मितव्ययता के तौर पर बन्द कर दिया गया है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में डाक तथा तार विभाग के प्रत्येक निदेशक के लिये 200 रुपये का विशेष वेतन मंजूर किया है जो अप्रैल 1966 के भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा;

(ग) यदि हां, तो प्रतिनियुक्ति भत्ते को रोकने के परिणामस्वरूप बचाये गये धन को बराबर करने के लिए यह विशेष वेतन दिया गया है; और

(घ) विशेष वेतन देने के बारे में सरकार की नीति क्या है, विशेषत: जब ये अधिकारी केवल वही कार्य करते हैं जो इन पदों के लिये निर्धारित हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) सरकारी कर्मचारियों को समरूप, तूल्य अथवा निचली वेतन श्रेणियों के संवर्ग-वाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति/विदेश सेवा पर जाने पर मिलने वाला प्रतिनियुक्ति भत्ता 15-9-1966 से बन्द कर दिया गया है ।

(ख) डाक तथा तार विभाग के कुछ चुने हुए निदेशकों के लिए 200 रुपये का विशेष वेतन मंजूर करने सम्बन्धी आदेश मई, 1966 में जारी किये गये थे और वे उस महीने की पहली तारीख से लागू हुए थे।

(ग) उपर्युक्त विशेष वेतन और प्रतिनियुक्ति भत्ता बिल्कुल भिन्न कारणों से दिये जाते हैं, अतः उनके वित्तीय प्रभाव की तुलना करना उपयुक्त नहीं होगा।

(घ) विशेष वेतन की मंजूरी का विचार प्रत्येक मामले में विशिष्ट पद से सम्बन्ध रखने वाले कार्यों और जिम्मेदारियों को ध्यान में रख कर पात्रता के आधार पर विचार किया जाता है। बड़े संगठनों में मुख्य कार्यालय के पदों पर इस आधार पर विशेष वेतन देना कोई असामान्य बात नहीं है। डाक तथा तार विभाग में विशेष वेतन निदेशकों के केवल कुछ चुने हुए उन पदों के लिए दिया गया है जिनके बारे में यह सोचा गया कि उनके साथ अन्य पदों की अपेक्षा अधिक जिम्मेदारियां हैं।

बैंक आफ अमरीका की शाखा खोलना

371. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के एक बड़े बैंक ने सरकार से प्रार्थना की है कि बैंक आफ अमरीका की एक शाखा खोली जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख). इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है परन्तु रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ अमरीका द्वारा की गई प्रार्थना पर कलकत्ता में एक शाखा खोलने के लिये इसको लाइसेंस देना मंजूर किया है। आशा है इससे देश में विनियोजन के लिये कुछ हद तक अल्पकालीन पूंजी प्राप्त हो सकेगी।

केरल में लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों द्वारा हड़ताल

372. **श्री मूहम्मद कोया** : क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सितम्बर, 1966 में केरल के लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने हड़ताल की थी;

(ख) उनकी मांगें क्या थीं; और

(ग) सरकार ने उनकी मांगें कहां तक पूरी की हैं?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

इद्दिकी पन-बिजली परियोजना, केरल

373. **श्री महम्मद कोया** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इद्दिकी पन-बिजली परियोजना (केरल) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधी में पूरी हो जायेगी ; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना के लिये कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) और (ख). चतुर्थ योजना में 1970–71 के दौरान 130 मैगावाट के प्रथम यूनिट को और बाकी यूनिटों को तत्पश्चात् 4 से 6 महीने के अन्तर से चालू करने की सम्भावना है। अगले कुछ सप्ताहों के दौरान केरल की चतुर्थ योजना के कार्यक्रम के तैयार होने के बाद ही परियोजना के लिए कुल वित्तीय प्रबंध का पता चलेगा।

केरल में अस्पताल कर्मचारी संघ

374. **श्री मुहम्मद कोया** : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री 3 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1483 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) केरल के अस्पतालों के कर्मचारियों की मांगें क्या हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने उन पर अन्तिम निर्णय कर लिया है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) और (ख). अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Employees of Ram Ganga Project

375. **Shri Bade:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Vishram Prasad:

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that about 6,000 employees of the Ram Ganga Project in Bijnor District have gone on an indefinite strike in September, 1966;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the action taken by Government in this regard?

The Minister of Irrigation and Power (Shri F. A. Ahmed): (a) to (c). On the 4th September, 1966, the Ram Ganga Badi Yojna Mazdoor Sangh, Kalagarh, Bijnor District, had submitted a charter of 16 demands to the Ram Ganga Project authorities and indicated that the workers would go on strike from the 20th September, 1966, in the event of their demands not being accepted. Accordingly about 3,000 of the 3,500 work-charged employees of the Project struck work on the 20th and 21st September, 1966. The strike was called off on the 22nd September, 1966 on an agreement being reached between the management and the workers.

दामोदर घाटी निगम

376. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री भगवत झा आजाद :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **डा० म० मो० दास :**

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम गैर सिंचाई प्रयोजनों के लिये पानी देता है ;

(ख) यदि हां, तो यह पानी किसे दिया जाता है ;

(ग) इस निगम ने कब से पानी देना आरम्भ किया है ;

(घ) क्या उसके लिये कोई जल-कर लिया जाता है ; और

(ङ) यदि हां, तो उनसे कितना जल-कर लिया जाता है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) घरेलू तथा औद्योगिक कार्यों के लिए खपत कर्ताओं को थोक सप्लाई की जाती है ।

(ग) 1949 से ।

(घ) जिनको परम्परा सिद्ध अधिकार प्राप्त हैं उनको छोड़ कर सभी खपतकर्ताओं से पानी का खर्च लिया जाता है । इस प्रकार के परम्परा सिद्ध अधिकार रखने वालों को पानी की उस मात्रा तक कोई रकम नहीं देनी पड़ती जितनी कि वे दामोदर घाटी निगम के बांधों के प्रचालन से पूर्व ले रहे थे ।

(ङ) घरेलू कामों के लिए 7 पैसे प्रति 1000 गेलन का दर और औद्योगिक कार्यों के लिये 10 पैसे प्रति गेलन का दर लगाया जाता है ।

भारतीय भाषाओं में हस्ताक्षरित चेक स्वीकार करना

377. **श्री फ० गो० सेन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत का राज्य बैंक "सावधिक जमा प्राप्ति" के लिये 14 भाषाओं में से किसी एक में हस्ताक्षर स्वीकार नहीं करता है ; और

(ख) क्या भारत का रिजर्व बैंक तथा डाक घर बचत बैंक इन्हें स्वीकार करते हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी नहीं । भारतीय राज्य बैंक मीयादी जमा रसीदों (टाइम डिपाजिट रिसीट) के लिए हिन्दी में और उस प्रदेश की भाषा में, जहां बैंक का कार्यालय स्थित हो, हस्ताक्षर स्वीकार करता है ।

(ख) रिजर्व बैंक के बारे में, जो जनता से मीयादी जमा की रकमें स्वीकार नहीं करता, यह सवाल पैदा ही नहीं होता । जहां तक डाक घर बचत बैंक का सम्बन्ध है, जमाकर्ता किसी भी भाषा में अपने हस्ताक्षर कर सकता है ।

Development of Hill Districts of Assam

378. **Shri Bade:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Vishram Prasad:

Will the Minister of **Planning and Social Welfare** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 253 on the 4th August, 1966 and state:

(a) whether Government have considered the recommendations of the study team which went into the question of development of hill districts of Assam;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the time likely to be taken in the matter?

The Minister of Planning and Social Welfare (Shri Asoka Mehta): (a) and (b). The proposals of the Joint Centre-State Study Team regarding the development of the hill districts of Assam have been accepted. For the hill areas, an integrated plan has been drawn up and forms a distinct entity within Assam's Fourth Five Year Plan. A total outlay of Rs. 50 crores has been provided for the hill areas plan, in addition to Centrally sponsored programmes which are financed outside the State Plan.

(c) Does not arise.

Overtime Allowance to Government Employees

380. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of **Finance** be pleased to State:

(a) whether Government propose to discontinue paying overtime allowance to its employees in the near future as a measure of economy; and

(b) if so, the arrangement proposed to be made by Government in respect of those employees who are detained by their officers after office hours due to heavy work?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Conversion of Gazetted Posts to Non-Gazetted Posts

381. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the ratio betwen the Assistants and Gazetted Officers in his Ministry;

(b) whether it is a fact that officers of the rank of Deputy Secretary look after the work of two or three sections only;

(c) whether it is a fact that several non-Gazetted posts like that of Assistant-in-charge were converted into gazetted posts and there was upward revision in their scales of pay;

(d) if so, whether Government propose to reconvert these gazetted posts into non-gazetted posts in view of the present difficult financial position after devaluation; and

(e) if not, the reasons therefor?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) The ratio is 6 : 5 approximately.

(b) No, Sir. The number of Sections under the charge of a Deputy Secretary varies from 1 to 12 according to the nature of work handled by the Sections.

(c) Yes, Sir. This was done in 1951 on reorganisation of the Central Secretariat Service.

(d) and (e). No, Sir. The system of supervision of Sections by Assistants-in-charge was discontinued in 1951 as a matter of policy in the entire Central Secretariat.

C.H.S. Doctors

382. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that non-practising allowance has recently been sanctioned to the doctors serving in the Office of the Directorate-General of Health Services;

(b) if so, when this allowance was sanctioned and the reasons therefor; and

(c) the additional expenditure to be incurred by Government on this account?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): (a) Yes.

(b) The medical and public health officers who have been appointed to the Central Health Services are eligible to get non-practising allowance with effect from the 1st January, 1965, in accordance with rule 15 of the Central Health Service Rules, 1963. They are debarred from doing private practice in the public interest.

(c) Rs. 14,732 (approximately) per month.

Staff Inspection Units

383. Shri Vishram Prasad: Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Staff Inspection Units have not given any suggestion regarding any substantial reduction in the number of posts of officers in the recommendations submitted by them so far; and

(b) if so, the action Government propose to take to reduce the number of posts of officers?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) and (b). The Staff Inspection Unit has been engaged on assessing the workload of various offices according to a phased programme. Those studies cover officers but the top levels of Joint Secretaries and above are not studied as their work is not susceptible of measurement in accordance with the usual techniques.

The numbers of Class I and Class II posts found surplus on the basis of studies made by the S.I.U. during the years 1964-65, 1965-66 and six months April-September, 1966, are as under:—

Year	No. of Offices covered	Class I posts	Class II posts	Total
1964-65	32	9	225	234
1965-66	35	27	194	221
1966-67 (April to Sept.)	27	39	138	177

Apart from the above, it was possible to prevent the creation of 34 Class I and 116 Class II posts during the half year April-September, 1966, alone.

Arrest of Smugglers sending Gold by Post

384. Shri Onkar Lal Berwa: **Shri Bade:**
Shri Vishwa Nath Pandey: **Shri Hukam Chan Kachhavaiya:**
Shri H. C. Linga Reddy:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Intelligence Department of Bombay Customs has unearthed an international gang of smugglers who used to send gold by post in September, 1966;

(b) if so, the number of members of the gang; and

(c) whether any employee of the Posts and Telegraphs Department is also involved therein?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) and (b). On 9th September, 1966 the Bombay Customs intercepted a post parcel meant for despatch to Amritsar containing 3 bars of gold with foreign marks weighing about 350 grammes. The sender of the said parcel had earlier sent two parcels by post to his brother at Amritsar on 7th September, 1966, which, on being intercepted at Amritsar, were found to contain 10 bars weighing 1166 grammes of gold with foreign marks. Both the persons have been arrested.

(c) The investigations do not reveal complicity of any employee of Posts and Telegraphs Department.

Water Line in Kota

385. Shri Onkar Lal Berwa: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Rajasthan made a reference some time back in regard to setting up of water line in Chhabra Tehsil of Kota, Rajasthan;

(b) if so, the decision taken in the matter; and

(c) the reasons for the delay?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): (a) Yes.

(b) and (c). Chhabra Water Supply Scheme estimated to cost Rs. 4.04 lakhs was received from the State Government in November, 1965. The details of the Scheme were examined by the Central Public Health Engineering Organisation and the scheme was returned to the State Government on the 1st March, 1966, for revision in the light of comments offered by them. The revised scheme was received from the State Government on the 2nd June, 1966, and returned the same day for necessary action under the powers delegated to the State Government who, in the meantime, had been authorised to approve rural water supply schemes costing up to Rs. 5 lakhs without obtaining the technical clearance of the Central Public Health Engineering Organisation.

इर्विन अस्पताल में बेहोश रोगी

386. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री 1 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3937 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन रोगियों को दिल्ली के इर्विन अस्पताल में कब दाखिल किया गया था ;

(ख) बेहोशी की हालत में इनकी परीक्षा करने के लिये मस्तिष्क चिकित्सा विशेषज्ञ से कितनी बार प्रार्थना की गई ;

(ग) क्या यह सच है कि एक रोगी को देखने के लिए तो मस्तिष्क चिकित्सा विशेषज्ञ को केवल एक बार ही बुलाया गया था ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि अन्य आवश्यक परीक्षण भी केवल एक बार किये गये थे ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) 5-7-1966 को एक रोगी भर्ती किया गया और उसकी हालत में सुधार हो जाने के बाद 14-8-66 को उसे छुट्टी दे दी गई। दूसरा रोगी 19-7-66 को भर्ती किया गया और उसकी हालत में सुधार हो जाने के बाद 15-9-66 को उसे छुट्टी दे दी गई।

(ख) और (ग) एक रोगी की मस्तिष्क विशेषज्ञ द्वारा तीन बार जांच की गई जब कि दूसरे मामले में विशेषज्ञों द्वारा जांच की आवश्यकता नहीं समझी गई।

(घ) जैसा कि सम्बन्धित विशेषज्ञ ने आवश्यक समझा, कुछ परीक्षायें बारबार की गईं जब कि कुछ अन्य परीक्षाएं एक बार ही की गईं।

नई दिल्ली मे राजघाट, शान्तिवन तथा विजय घाट का विकास

387. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **निर्माण आवास तथा नगरीय विकास मंत्री** 11 अगस्त, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 397 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजघाट, शांतिवन तथा विजय घाट का संयुक्त रूप से विकास करने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उसे क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और इस कार्य के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) योजना अभी तैयार की जा रही है। इसे व्यवहारिक रूप देने में दो नहीं तो एक वर्ष लगेगा।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन

388. **श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री उटिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों में विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघनों के कुछ नये मामलों का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पुराने मामलों के न्याय निर्णय के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख). एक जुलाई 1966 को प्रवर्तन निदेशालय में विदेशी मुद्रा विनयमों के संदिग्ध उल्लंघन के 1872 मामले जांच-पड़ताल के लिए विचाराधीन थे। 30 सितम्बर 1966 को समाप्त तीन महीनों में 1296 नये मामले और आये जिससे मामलों की कुल संख्या 3168 हो गयी। इन में से 838 मामलों में जांच-पड़ताल उक्त अवधि में पूरी हो गयी जिससे 30 सितम्बर 1966 को 2330 मामले शेष रह गये हैं। इस अवधि में छानबीन किये गये मामलों में से 549 मामलों पर पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण कार्यवाही बन्द कर देनी पड़ी ;

379 मामलों में उल्लंघन प्राथमिक रूप से सिद्ध हो गया, इसलिए इन मामलों में न्याय निर्णय की कार्रवाई आरम्भ की गई ।

(ग) उपर्युक्त अवधि में (1 जुलाई 1966 से 30 सितम्बर 1966 तक) 260 मामलों में न्याय निर्णय किया गया जिनके द्वारा कुल 8,89,906 रुपये के दण्ड लगाये गये और 7,41,124.82 रुपये की भारतीय मुद्रा तथा 57,701 रुपये मूल्य की विदेशी मुद्रा आदि जब्त की गयी ।

भाखड़ा तथा नंगल बांधों का प्रबन्ध

389. **श्री दलजीत सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भाखड़ा तथा नंगल बांधों पर नियंत्रण रखने वाले कार्यालय पटियाला में, जो कि मुख्य स्थान से बहुत दूरी पर स्थित है और इसके फलस्वरूप भारी हानि हुई है और प्रबन्ध में विलम्ब होता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यालयों को बांधों के स्थान पर ले जाने का कोई प्रस्ताव है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद): (क) और (ख). भाखड़ा तथा नंगल बांधों के कार्यभारी जनरल मैनेजर का कार्यालय नंगल में है और भाखड़ा-नंगल परियोजना से बिजली उत्पादन के कार्यभारी मुख्य अभियंता का कार्यालय इस समय पटियाला में स्थित है जो नंगल में स्थानान्तरित होने के लिये प्रस्तावित है ।

Grants Given to J. & K. State

391. **Shri Rameshwaranand:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the total amount of annual grants given by Government to the Jammu and Kashmir State and the heads of accounts thereof;

(b) whether it is also a fact that the State is allocated more funds out of the Income-tax receipts as compared to other States; and

(c) if so the reasons therefor?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) The only fixed annual grant paid to Jammu and Kashmir State is given under the substantative provision of Article 275(1) of the Constitution. The amount to be paid during the quinquennium 1966-67 to 1970-71 has been fixed at Rs. 6.57 crores per annum on the recommendation of the Fourth Finance Commission.

Besides the above statutory grant, the State is also paid grants for Plan as well as Non-Plan Schemes. Ad-hoc grants for specified objects are also given from time to time. The amounts of these grants depend upon the pattern of assistance applicable for each scheme.

(b) The share of Income-Tax to be paid to any State is determined on the recommendation of the Finance Commission made under Article 280(3) (a) of the Constitution. Jammu and Kashmir's share during the quinquennium 1966-67 to 1970-71 as recommended by the Fourth Finance Commission has been fixed at 0.73 per cent which is not more than for other States, except Nagaland.

(c) Does not arise.

राज्यों की गृह-निर्माण योजना के लिए जीवन बीमा निगम की निधि

392. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने 1966–67 में राज्यों की गृह निर्माण योजनाओं के लिए जीवन बीमा निगम की निधि से दस करोड़ रुपये नियत किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितनी कितनी राशि नियत की गई है ; और

(ग) मध्यम तथा निम्न आय वाले लोगों के लिए जीवन बीमा निगम की गृह-निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत धन देने के नियमों को सरल बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख). 1966–67 के दौरान भारत के जीवन बीमा निगम ने सामाजिक आवास योजनाओं के लिए 12 करोड़ रुपये तक ऋण की सहायता देना स्वीकार किया है। पिछले वर्ष में राज्य सरकारों को दी गई निधि को तथा उनके कार्यों एवं चालू वर्ष में उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए इस राशि में से 10.45 करोड़ रुपया विभिन्न राज्यों को जैसा कि नीचे दिया गया है, पहले ही नियत किया जा चुका है :—

राज्य का नाम	नियत किये गये ऋण की राशि (रुपया लाखों में)
आंध्र प्रदेश	60
असम	20
बिहार	60
गुजरात	60
जम्मू तथा काश्मीर	10
केरल	70
मध्य प्रदेश	60
मद्रास	125
महाराष्ट्र	150
मैसूर	100
उड़ीसा	60
पंजाब	60
राजस्थान	60
उत्तर प्रदेश	50
पश्चिमी बंगाल	100
कुल	1045

शेष 1.55 करोड़ रुपये की राशि भी शीघ्र नियत की जायेगी।

(ग) इसका संबंध राज्य सरकारों से है। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अपनी अपनी आवास योजनाओं की सीमाओं में उन्होंने अपने नियम बनाये हैं।

भारतीय चिकित्सा संस्थाओं और समितियों का संघ

393. **डा० चन्द्रभान सिंह** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 सितम्बर, 1966 के 'टाइम्स आफ़ इंडिया' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय चिकित्सा संस्थाएं और समितियों के संघ ने डाक्टरी शिक्षा तथा अनुसंधान में सुधार लाने के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग को एक ज्ञापन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) भारतीय चिकित्सा संस्थाएं और समितियों के संघ के सदस्य कौन-कौन हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) आयोग प्रशासनिक सुधार आयोग को दिये गये ज्ञापनपत्रों पर विचार कर रहा है। प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सिफारिशें दिये जाने के बाद ही सरकार आयोग की सिफारिशों पर विचार कर सकेगी और कोई निर्णय कर सकेगी।

(ग) भारतीय चिकित्सीय संस्था तथा संस्थाओं की सदस्यता चिकित्सीय क्षेत्र में सभी संस्थापित संस्थाओं के लिए खुली है। अब तक केवल 11 संस्थाएं इसमें शामिल हुई हैं। इनमें से 8 पूरे सदस्य हैं। 3 प्रेक्षक सदस्य हैं। इन 11 संस्थाओं के नाम इस प्रकार हैं :—

(1) इंडियन सोसायटी आफ डरमाटोलोजी एंड वी० डी०।

(2) एसोसियेशन आफ आरथोपेडिक्स।

(3) आल इंडिया आफ्थाल्योलोजी सोसायटी।

(4) इन्डियन एसोसियेशन आफ ओटोलेटीगेलोजी।

(5) एसोसियेशन ऑफ एनटोक्स्टरीनोरोजी।

(6) एसोसियेशन ऑफ यूरोलोजी।

(7) एसोसियेशन आफ प्लास्टिक सर्जरी।

(8) एसोसियेशन आफ गेस्ट फिजीशनस।

*(9) एसोसियेशन आफ सरजन्स।

*(10) सोसायटी फॉर गैस्ट्रोएंट्रोलोजी।

*(11) सोसायटी फॉर न्यूरोलोजी।

*अभी पूरी तरह सदस्य नहीं है ; केवल प्रेक्षक स्तर पर ही है।

एडवांस इंश्योरेंस कम्पनी

394. **श्री उटिया :**
श्री मधु लिमये :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एडवांस इंशयोरेंस कम्पनी की एक सम्बद्ध बीमा फर्म ने कराची में जयदयाल डालमिया सीमेंट फर्म से किश्त भुगतान स्वीकार किया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एडवांस इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा तीन-चार वर्ष पूर्व भारत में डालमिया फर्म के लोगों को भारतीय मुद्रा में सरकारी/गैर-सरकारी दरों पर छूट दी गई थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इससे सम्बन्धित कागजात आयकर प्राधिकारियों द्वारा श्री चिरंजीत लाल गोयन्का से पकड़े गये थे ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क), (ख), (ग) और (घ) : प्रश्न के भाग (ग) में उल्लिखित छापे के दौरान पकड़े गये कुछ कागजातों से प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) में संदर्भित लेन-देनों का पता चला। लेकिन, इन लेन-देनों को अभी सिद्ध नहीं किया जा सका है और मामले की जांच-पड़ताल अभी भी चल रही है।

Pension to Central Government Employees

395. **Shri Mohan Swarup:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the statement made by the retired Judge of the Supreme Court and the ex-Chairman of the Central Pay Commission wherein he had stated that while pay and pension of an employee was completely linked together, the question of enhancing the pension to the same extent as pay is enhanced should be considered; and

(b) if so, the reaction of Government thereto?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) Yes, Sir.

(b) Pension is sanctioned with reference to the rules and orders obtaining at the time of retirement of a Government servant. Subsequent increases in pay granted to serving personnel will be reflected in their pensions as and when they retire.

पागल कुत्ते द्वारा काटना

396. **श्री शिवमूर्ति स्वामी :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहरादून में तथा उत्तर प्रदेश के अन्य पहाड़ी जिलों में इस वर्ष पागल कुत्तों द्वारा काटने की घटनाएं काफी हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थिति का सामना करने के लिये टीकों की मांग की है ; और

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इसके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) देहरादून जिले में प्रतिदिन औसतन 30 आलर्क रोधी टीके लगाये जा रहे थे। लेकिन इस समय प्रतिदिन लगभग 40 टीके लगाये जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि कुत्ता के काटने के आलर्क रोधी इलाज के लिए क्लीनिकों में लोगों की संख्या बढ़ रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई में पकड़ा गया सोना

397. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री हु० च० लिंग रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 28 सितम्बर, 1966 को विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन, बम्बई पर इलाहाबाद जाने वाले एक यात्री से रेलवे पुलिस ने 1½ लाख रुपये के मूल्य का 1,000 तोले सोना बरामद किया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) 28 सितम्बर 1955 को विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन, बम्बई पर रेलवे पुलिस ने इलाहाबाद जाने वाले एक यात्री से विदेशी मार्के का 1000 तोले सोना पकड़ा, जिसका अन्तर्राष्ट्रीय दर से मूल्य 98,420 रुपये था।

(ख) यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया था और बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। सीमा-शुल्क अधिकारी इस मामले की आगे जांच-पड़ताल कर रहे हैं।

ओखला तथा हिंडन के बांधों का बदला जाना

398. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तुगलकाबाद दुर्ग के परित्यक्त टूटे फूटे सफेद पत्थरों से ओखला तथा हिंडन के 90 वर्ष पुराने बांधों के स्थान पर पूर्णतया नये बांधों तथा सड़क पुलों का निर्माण किया जायेगा।

(ख) प्रत्येक प्रस्तावित नये बांध की अनुमानित लागत क्या है ; और

(ग) नहरों में कितना जल छोड़ा जायेगा और नई योजना के अन्तर्गत कितनी अतिरिक्त भूमि पर सिंचाई की जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) ओखला और हिंडनवियरों को सड़क पुलों समेत नए बराजों में पूर्णतः तबदील कर देने के प्रस्ताव पर उत्तर प्रदेश सरकार विचार कर रही है।

(ख) अनुमानों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। प्राथमिक अनुमानों के अनुसार ओखला बराज पर 3.30 करोड़ रुपये और हिंडन बराज पर 1.46 करोड़ रुपये खर्च होने की सम्भावना है।

(ग) ब्योरे अभी तैयार करने हैं।

सरकारी आवास

399. श्री काजरोलकर : क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रेणी तीन तथा चार के ऐसे क्वार्टरों की संख्या क्या है जिनमें इस समय (एक) उच्च श्रेणी के आवास के हकदार और (दो) निम्न श्रेणी के आवास के हकदार व्यक्ति रह रहे हैं ; और

(ख) क्या ऐसे व्यक्तियों को अपनी अपनी श्रेणी के क्वार्टरों में भेजने का कोई प्रस्ताव है ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना): (क) (i) टाईप III के निवासों के आवंटियों में से 1543 कर्मचारी ऐसे हैं जो कि अधिक उच्च टाईप के वास के लिए पात्र हैं। टाईप IV के निवासों के आवंटियों में ऐसे कर्मचारियों की संख्या 1171 है।

(ii) टाईप III तथा टाईप IV के निवासों के आवंटियों में से क्रमश: 139 तथा 458 ऐसे आवंटी हैं जो कि जिस टाईप में वे रह रहे हैं उनसे नीचे के वास के अधिकारी हैं।

(ख) जो कर्मचारी अधिक ऊंचे- टाईप के पात्र हैं उन्हें उनके अधिकृत निवास का आवंटन तब किया जायेगा जब कि प्रतीक्षा सूची के अनुसार उनके आवंटन की बारी आ जायेगी। जहां तक उनका संबंध है जो कि अपने अधिकृत टाईप से अधिक ऊंचे वास में रह रहे हैं तो ऐसी स्थिति प्राय: इस कारण से है कि निवासों को समय समय पर अधिक उंची श्रेणी का कर दिया गया है, तथा जो आवंटी अधिक ऊंची श्रेणी किये जाने के कारण श्रेणी के बाहर हो गये, उन्हें नीचे के टाईप के निवास में जाने से संरक्षण दिया गया।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को आवास का आवंटन

400. श्री काजरोलकर :
श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निम्नलिखित श्रेणियों से प्रत्येक श्रेणी के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या क्या है जो आवास के आवंटन के हकदार हैं :

(एक) ऐसे व्यक्ति जिनका वेतन 400 रुपये तक है और जो श्रेणी तीन के आवास के हकदार हैं ;

(दो) ऐसे व्यक्ति जिनका वेतन 401 और 700 रुपये के बीच है और जो श्रेणी चार के हकदार हैं ;

(तीन) ऐसे व्यक्ति जिनका वेतन 700 रुपये से अधिक है और जो शेष श्रेणी के आवास से हर एक के लिये पृथक पृथक हकदार हैं ;

(ख) प्रत्येक श्रेणी में कितने व्यक्तियों को अब तक सरकारी आवास नहीं दिया गया है ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या है जिन्हें केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत नौकरी करते पूरे दस वर्ष हो गये हैं परन्तु जिन्हें अभी तक सरकारी आवास नहीं दिया गया है; और

(घ) उपरोक्त श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी के ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने 1 अप्रैल, 1966 को नौकरी में 10 वर्ष पूरे कर लिये हैं सरकारी आवास देने के लिये क्या योजनाए बनाई गई हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क) और (ख) : निम्नांकित श्रेणियों के सामान्य पूल वास के आवंटन के लिए पात्र कर्मचारियों की सख्या तथा उनकी संख्या जिन्हें इस प्रकार का वास नहीं मिला है नीचे दी जाती है :—

टाईप	वेतन श्रेणी	पात्र कर्मचारियों की संख्या	उन कर्मचारियों की संख्या जो कि पात्र हैं किन्तु वास नहीं दिया गया
III	250 रुपये से 399 रुपये तक . .	13,322	9,079
IV	400 रुपये से 699 रुपये तक	8,991	4,493
V	700 रुपये से 1299 रुपये तक .	4,520	2,369
VI	1300 रुपये से 2249 रुपये तक	1,305	641
VII	2250 रुपये से ऊपर . . .	279	1122
VIII	अपर सचिव, सचिव, तथा अन्य समान अधिकारी .	100	49

(ग) टाईप III तथा IV अर्थात् 700 रुपये प्रति माह से कम लेने वाले वास के अधिकृत कर्मचारियों की संपूर्ण सेवा, वास के आवंटन के लिए ज्येष्टता के प्रयोजन के लिए शुमार की जाती है। टाईप III के लगभग 5,443 तथा टाईप IV के लगभग 3,128 कर्मचारी हैं जो 10 वर्ष की सेवा कर चुके हैं तथा उन्हें अभी तक सरकारी वास नहीं दिया गया है।

700 रुपये प्रति माह तथा इससे अधिक परिलब्धियां लेने वाले कर्मचारियों अर्थात् वे जो कि टाईप V, VI, VII तथा VIII, वास के अधिकारी हैं उनके लिये सरकारी वास के आवंटन की प्राथमिकता की तारीख़ उस तारीख़ से शुमार की जाती है जिस तारीख़ से उन्होंने टाईप विशेष के अधिकारी होने के लिए परिलब्धियां लेनी आरम्भ की है। भाग (क) तथा (ख) के अन्तर्गत कालम 4 में उल्लिखित इन टाईप से संबंधित कर्मचारियों की संख्या ने सरकार के अधीन 10 वर्ष से अधिक सेवा की है।

टाईप V तथा इससे ऊपर के निवासों की आवंटन हो चुकने की प्राथमिकता तारीख़ निम्नांकित है :—

टाईप	आवंटन हो चुकने की प्राथमिकता तारीख़
V	जुलाई, 1959
VI	जुलाई, 1961
VII	मई, 1961
VIII	जून, 1961

(घ) और अधिक रिहायशी वास का निर्माण, जहां तक इस प्रयोजन के लिए निधियां उपलब्ध थीं उस सीमा तक आरम्भ किया गया है। नए निर्माण के लिए बजट में कटौती होने के कारण, जिन कर्मचारियों ने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें सरकारी वास देने में समय लगेगा।

इडिक्की बांध

401. श्री मणियांगाडन : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में इडिक्की बांध के निर्माण कार्य में लगे इंजीनियरों के रहने के लिए क्वाटर पूरे हो गये हैं ;

(ख) कितने क्वाटर बनाये गये हैं ;

(ग) प्रत्येक क्वाटर पर क्या लागत आई है ; और

(घ) ये स्थायी हैं अथवा अस्थायी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और यह सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पोंग बांध क्षेत्र के बाहरी इलाके के परिवारों का पुनर्वास

402. श्री हेम राज : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री 1 सितम्बर 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या ७७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांग बांध क्षेत्र के बाहरी इलाके के कुछ परिवारों को राजस्थान नहर क्षेत्र में बसाया गया है ;

(ख) यदि हां तो कितने परिवार बसाये गये हैं और यदि नहीं तो वे वहां क्यों नहीं बसना चाहते हैं ; और

(ग) उन को फिर से बसाने से संबंधित उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) राजस्थान सरकार ने पोंग बांध के 155 विस्थापितों के भूमि अलाट करने के लिए आदेश जारी कर दिया है । इन में से 82 विस्थापितों ने अभी तक भूमि का कब्जा ले लिया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मानसिक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों का उपचार

404. श्री दे० द० पुरी : क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात की आवश्यकता महसूस करती है कि मानसिक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के उपचार की सुविधाओं को और अधिक बढ़ाया जाय ;

(ख) क्या सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिससे मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्य करने के लिए और अधिक युवकों को आकर्षित किया जा सके ; और

(ग) यदि हां तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग). जी हां। मानसिक रोग अस्पताल रांची और अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान बंगलौर के विकास के अतिरिक्त जो कि भारत सरकार के अन्तर्गत प्रशिक्षण और सेवा की सुविधायें देते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में देश के सरकारी मानसिक अस्पतालों के सुधार और कुछ स्थानों में बाहर के रोगियों की सेवाओं के लिए उपबन्ध किया गया है। बाल मार्ग प्रदर्शन क्लिनिक और दिन के अस्पताल स्थापित करने और जिला के और सामान्य अस्पतालों में मानसिक रोगियों के पलंगों की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है।

मानसिक स्वास्थ्य कार्य में अधिक युवकों को आकर्षित करने के लिए 'सादकेट्री' चिकित्सा तथा समाज मनोविज्ञान और 'सादकेट्रि' नर्सिंग का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी जाती हैं।

इद्दिकी पन-बिजली परियोजना

405. श्री मणिरंगडन : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में इद्दुकी पन-बिजली परियोजना सम्बन्धी कार्यों के लिए वर्ष 1966–67 के लिए पहले मंजूर की गई राशि में कोई कटौती की गई है ; और

(ख) यदि हां तो कितनी कटौती की गई है और इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Infectious Disease Breaking out in Delhi

406. **Shri Onkar Lal Berwa:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the press report appearing in the Hindustan of the 26th August, 1966, to the effect that infectious diseases are breaking out in Delhi as a result of filth and stench emanating from the dead bodies of animals thrown out near Jamuna; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): (a) Yes.

(b) The dumping of refuse and skinning of carcases of animals were stopped at this dumping ground. Refuse dumping was shifted to an alternate site.

Seizure of Gold

407. **Shri Onkar Lal Berwa:**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Bade:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 150 tolas of gold worth Rs. 25,000 was recovered during the fourth week of August, 1966 from a person on his way from Jullundur to Chuharpur;

(b) if so, the action taken in the matter; and

(c) the place from where the gold was obtained?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) On 19th August, 1966 the Central Excise Officers seized 150 tolas of gold bearing foreign markings and valued at Rs. 14,763, at the international rate at Dehra Dun from a person who was travelling from Ludhiana to Chuharpur, Dehra Dun.

(b) The person was arrested and subsequently released on bail. The case is under adjudication.

(c) The person from whom the gold was seized has deposed that it was purchased at Ludhiana.

Foreign Exchange Racket in Punjab

408. Shri Bade:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1306 on the 4th August, 1966 and state:

(a) whether the inquiry against the smugglers of foreign exchange apprehended in Punjab has since been completed;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) A number of persons have to be examined in the States of Punjab and Maharashtra in this case. Finalisation of the investigation is therefore likely to take some time.

Water Bills for Kidwai Nagar

409. Shri Bade:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of Works, Housing and Urban Development be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1286 on the 4th August, 1966 and state:

(a) whether the bills for water metres in Kidwai Nagar, New Delhi have since been received from the New Delhi Municipal Committee;

(b) if so, the decision taken with regard to the rate; and

(c) if not, the reasons for the delay?

The Minister of Works, Housing and Urban Development (Shri Mehr Chand Khanna): (a) to (c). The bills for water charges have recently been received from the New Delhi Municipal Committee and the rates of recovery from Government employees are being reviewed. A decision about the rates is likely to be arrived at shortly.

Ganja Seized in Bombay

410. Shri Bade:
Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Dighe:
Shri Vishwa Nath Pandey:

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1263 on the 4th August, 1966 and state:

(a) whether the inquiry into the seizure of ganja in Bombay has since been completed;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the time likely to be taken to complete the same?

The Minister of Finance (Shri Sachindra Chaudhuri): (a) Yes, Sir.

(b) Four persons arrested in this case were prosecuted before the Presidency Magistrate, Bombay. One was convicted and sentenced to one year's rigorous imprisonment under section 65 and six months rigorous imprisonment under section 66 of the Bombay Prohibition Act, both sentences to run concurrently. The other three were acquitted.

(c) Does not arise.

दिल्ली में अलर्क रोग (रेबीज) के मामलों में वृद्धि

411. श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष दिल्ली में अलर्क रोग (रेबीज) के मामलों में वृद्धि होने के कारण बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई है ;

(ख) यदि हां तो दिल्ली में चालू वर्ष में इस रोग के कारण कुल कितने लोगों की मृत्यु हुई तथा राजधानी के विभिन्न अस्पतालों की रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष में अब तक इस रोग से कुल कितने व्यक्ति पीड़ित हुए; और

(ग) इस रोग के कारणों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री (डा० सुशीला नायर): (क) जी हां।

(ख) चालू वर्ष में 27 अक्तूबर 1966 तक जलभीति (हाइड्रोफोविया) के 56 रोगी संक्रामक रोग अस्पताल में दाखिल हुए थे और उन में से सब के सब घातक सिद्ध हुए। प्राय: अन्य अस्पतालों में हाइड्रोफोबिया के रोगियों को प्रवेश नहीं दिया जाता है।

(ग) निम्नलिखित उपाय बरते गये हैं :—

(1) आवारा कुत्तों को मारने का अभियान हाल ही में तीव्र कर दिया गया है। इस वर्ष जनवरी से सितम्बर 1966 तक 45000 कुत्तों को मार दिया गया है जबकि 1965 में सारे साल भर में कुल 33802 कुत्ते मारे गये थे।

(2) पालतू कुत्तों पर लाइसैंस लगाये जा रहे हैं।

(3) तीस हजारी स्थित पशु चिकित्सालय में पालतू कुत्तों के निशुल्क आलर्क प्रतिरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है।

(4) निरोधी उपायों के बारे में लोगों को समझाने जा रहा है। गांधी जयन्ती मेले के दौरान टाउन हाल में सफाई पखवाड़ा 1966 के दौरान मंडल कार्यालय सदर पहाड़गंज क्षेत्र में एक प्रदर्शनी आयोजित की गई और एक जलूस भी निकाला गया। पोस्टर और पैम्फलेट बांटे गये।

(5) कुत्ते के काटने के बाद 18 आलर्क-निरोधी केन्द्रों में आलर्क निरोधी उपचार किया जाता है इन केन्द्रों में अगस्त 1966 के अन्त तक 6510 व्यक्तियों को रोगरोधी टीके लगाये गये।

दमबारो जल-विद्युत् परियोजना

412. श्री बीरेन दत्त : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमबारो जल विद्युत परियोजना का कार्य आरम्भ हो चुका है;

(ख) इसके पूरा होने में कितना समय लगेगा ; और

(ग) अनुमानतः इससे कितनी बिजली तैयार होगी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी हां। पहुंच सड़कों जैसे प्राथमिक कार्य प्रगति कर रहे हैं।

(ख) चार वर्ष।

(ग) 50 प्रतिशत भार अनुपात पर 8,000 किलोवाट।

पूंजी निर्गम

413. श्री महेश्वर नायक : श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री बी० चं० शर्मा : श्री बसुमतारी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उदारता की नीति के अन्तर्गत पूंजी निर्गम पर वर्तमान नियंत्रण में में ढील देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिये इस नीति के सिद्धांतों को किस तरीके से सरल बनाया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) और (ख). जी हां। मुख्य विशेषताएं जिनका ब्योरा जल्दी ही अधिसूचित किया जायेगा, ये हैं कि यद्यपि सभी कम्पनियों द्वारा प्रारक्षित निधियों का पूंजीकरण किये जाने पर नियंत्रण कायम रखा जायगा, तो भी पूंजी के अन्य निर्गमों के नियंत्रण में कुछ ढील दी जायेगी। ढील इस प्रकार की होगी :

बैंकिंग और बीमा कम्पनियों, प्राइवेट कम्पनियों और सरकारी कम्पनियों द्वारा किये जाने वाले पूंजी निर्गमों को नियंत्रण से छूट मिल जायेगी, बशर्ते कि पूंजी निर्गम सम्बन्धी उनके प्रस्ताव कुछ उन बुनियादी शर्तों को पूरा करते हों, जिनका उल्लेख अधिसूचना में किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार सम्बद्ध पब्लिक कम्पनी को 30 दिन की अवधि के अन्दर अन्दर यह बता देगी कि क्या सम्बद्ध मामले में पूंजी-निर्गम सम्बन्धी प्रस्तावों को छूट प्राप्त हो सकती है या नहीं। पब्लिक कम्पनियों

द्वारा किये जाने वाले केवल उन पूंजी-निगमों के लिए केन्द्रीय सरकार की विशिष्ट अनुमति की जरूरत पड़ेगी जो उपर्युक्त बुनियादी शर्तों को पूरा न करते हों।

(ग) अनुमान है कि इन ढीलों से औद्योगिक प्रतिष्ठानों को पूंजी-निगम में सुविधा होगी।

अपर कृष्णा परियोजना

414. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी: क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसूर राज्य में अपर कृष्णा परियोजना को तुरन्त आरम्भ करने के लिये, जब तक कि इस परियोजना को केन्द्रीय सरकार की प्रायोजित प्रस्तावित सिंचाई तथा विद्युत सम्बन्धी बड़ी परियोजनाओं को योजनाओं में शामिल नहीं कर लिया जाता, मैसूर सरकार तथा मैसूर राज्य के संसद सदस्यों द्वारा तदर्थ वित्तीय सहायता मांगी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद): (क) मैसूर सरकार ने अपर कृष्णा परियोजना पर कार्य को नीति में तेजी लाने के लिए चालू वर्ष के दौरान 3 करोड़ रुपये के एतदर्थ आवंटन के लिए प्रार्थना की है।

(ख) मामला विचाराधीन है।

मैसूर में वारापोल परियोजना

415. श्री हु० चा० लिंग रेड्डी: क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसूर राज्य में वारापोल परियोजमा के प्रावकलन तैयार कर लिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है; और

(घ) इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). क्योंकि राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना अभी बन कर तैयार नहीं हुई है, इसलिये इस बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

अमीन चन्द प्यारेलाल सार्थ-संघ द्वारा दिया गया आय-कर

417. श्री सेझियान:
श्री मधु लिमये:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1952 से 1958 तक की अवधि में मेसर्स अमीनचन्द प्यारेलाल साथ-संघ ने प्रति वर्ष कितना आयकर दिया;

(ख) क्या यह सच है कि आय-कर विभाग के एक उच्च अधिकारी ने इन फर्मों में बहीखातों की जांच करने के पश्चात उक्त अवधि के लिये उन पर 1 करोड़ 20 लाख रुपये अथवा उसके लगभग राशि का आय-कर निर्धारित किया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि अन्ततोगत्वा इन फर्मों ने आय-कर विभाग को 1 करोड़ रुपये अथवा लगभग उतनी ही रकम दे कर इस मामले को निपटाया था; और

(घ) क्या इस अवधि में करअपवंचन करने तथा अन्यतत्सम अनियमितताओं के लिए इन फर्मों पर कोई जुर्माना किया गया था ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) फर्म अमींचन्द प्यारेलाल तथा उनके साझीदारों द्वारा, कर-निर्धारण वर्ष 1951-52 से 1958-59 तक दोनों वर्षों को शामिल करके, अदा किये गये आय-कर की रकम 38,85,097 रुपये है। प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष के आंकड़े इस प्रकार हैं : —

कर-निर्धारण वर्ष	अदा किया गया कर
	रुपये
1951-52	8,90,707
1952–53	9,13,058
1953–54	9,09,360
1954–55	5,14,752
1955–56	2,61,540
1956–57	1,34,227
1957–58	1,28,965
1958–59	1,32,487

(ख) उपर्युक्त वर्षों ; से छः वर्षों के लिए आयकर अधिकारी ने एकतरफा कर-निर्धारण कर दिया था, परन्तु उन्हें या तो अपील में रद कर दिया गया था, या भारतीय आय कर अधिनियम 1922 की धारा 27 के अन्तर्गत दुबारा उठाया गया था। आयकर अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद निरीक्षण निदेशालय द्वारा एक समझौता किया गया ;

(ग) 1951-52 से 1958-59 तक के कर-निर्धारण वर्षों के बारे में एक समझौता हुआ था जिसमें फर्म अमींचन्द प्यारे लाल तथा उसके साझीदारों की इस अवधि में आय 1 करोड़ रुपये मान ली गई तथा उस पर देय आय कर 75 लाख रुपये ठहराया गया ;

(घ) कर-निर्धारण वर्ष 1951-52 से 1958-59 तक के सम्बन्ध में फर्म अमींचन्द प्यारे लाल अथवा उसके साझीदारों पर कोई दण्ड नहीं लगाया गया परन्तु कर निर्धारण वर्ष 1959-60 के सम्बन्ध में फर्म तथा उसके एक साझीदार पर अभी तक 8,22,111 रुपये का दण्ड लगाया गया है।

महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता

418. श्री नाथ पाई :
श्री हेम बरुआ :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने और उसे केन्द्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते के बराबर करने के लिये केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता का अनुरोध किया है ;

(ख) आर्थिक सहायता के रूप में कितनी धनराशि मांगी गई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी नहीं । हाल में कोई औपचारिक प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) .सवाल ही नहीं उठते ।

ब्रिटन में रहने वाले भारती राष्ट्रजनों द्वारा धन प्रेषण

419. श्री बाल्मीकी :
श्री मधु लिमये :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय राष्ट्रजनों से 1952 से 1966 के दौरान प्रति वर्ष कितने मूल्य का धन भारत आया है ?

(ख) क्या यह सच है कि हाल के वर्षों में इन धन-प्रेषणों के मूल्य में भारी गिरावट आयी है ; और

यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) शोधन-सन्तुलन (बैलेंस आफ पेमेन्ट्स) सम्बन्धी उपलब्ध आंकड़ों से ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय राष्ट्रजनों द्वारा भेजी गई रकमों के स्पष्ट आंकड़े इकट्ठा करना सम्भव नहीं है ।

(ख) यद्यपि पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तो भी नमूने के तौर पर की गई समीक्षाओं से पता चलता है कि इस प्रकार की रकमों में कमी हुई है।

(ग) भारत में आने वाली रकमों में इस प्रकार की कमी अनिधिकृत क्षतिपूरक लेन-देनों के कारण हुई ।

केन्द्र द्वारा प्रायोजित सिंचाई परियोजनायें

420. श्री दिगे :
श्री विश्व नाथ पाण्डेय :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री केन्द्र द्वारा प्रायोजित सिंचाई योजनाओं के बारे में 28 जुलाई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 103 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित योजना पर इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ;

(ग) किन किन राज्यों ने योजना प्रायोजित की है ;

(घ) कौन-कौन सी योजनायें प्रायोजित की गई हैं, उन पर कितना अनुमानित व्यय होगा, तथा इससे कितनी भूमि में सिंचाई होगी तथा कितनी बिजली तैयार होगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री फखरुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) योजना आयोग और वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत चल रही है ।

भारतीय मुद्रा का और अधिक अवमूल्यन

421. श्री राम हरख यादव :
श्री यशपाल सिंह :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :
डा० श्रीनिवासन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय मुद्रा का और अधिक अवमूल्यन करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कितना ; और

(ग) ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

भारत-पाकिस्तान सीमा पर तस्कर व्यापार

422. डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री बागड़ी :

क्या वित्त मंत्री 1 सितम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4018 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच भारत पाकिस्तान तस्कर व्यापारियों के गिरोह के विरुद्ध मामलों की जांच कर ली है ; और

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस मामले से सम्बन्धित तीनों व्यक्तियों पर फाजिल्का के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सामने मुकदमा चलाया जा रहा है ।

Committee on Transport Coordination and Research

423. Shri Dhuleshwar Meena:
Shri Vishram Prasad:
Shri Ramapathi Rao:
Shri C. M. Kedaria:
Shri Daljit Singh:

Will the Minister of **Planning and Social Welfare** be pleased to state:

(a) whether report of the Transport Coordination Committee was proposed to be published in Hindi and other Indian languages; and

(b) if so, when it is likely to be made available in Hindi and other Indian languages?

The Minister of Planning and Social Welfare (Shri Asoka Mehta): (a). No.

(b) It is not proposed to publish the Report of the Transport Policy and Coordination Committee in Hindi and other Indian languages. However, a brochure on Transport, based on the Report and embodying its main recommendations, is under preparation and will be made available in Hindi and other Indian languages.

फरीदाबाद में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया तथा नगर प्रतिकरात्मक भत्ता

424. श्री प० कुन्हन :
श्री ईम्बीचीबाबा :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फरीदाबाद में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया तथा नगर प्रतिकारात्मक भत्ता दिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि गुड़गांव में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को ये भत्ते नहीं दिये जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : (क) जी, हां । फरीदाबाद के 'सी' श्रेणी के नगर होने के कारण, 500 रुपये से कम वेतन पाने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को वहां मकान किराया भत्ता मिलता है ।

स्थानान्तरण की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए तथा कर्मचारियों की उपलब्धियों में एकाएक कमी को रोकने के लिए, जिन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का दिल्ली से कार्यालय हटाये जाने के कारण 1 जनवरी, 1966 को अथवा उसके बाद फरीदाबाद स्थानान्तरण किया जाता है उनको दिल्ली में दी जाने वाली दरों पर एक वर्ष तक नगर निवास प्रतिपूर्ति भत्ता मिलते रहने की

अनुमति दी गई है, और उसके बाद, अगले 18 महीनों में ये दरें क्रमशः घटते-घटते शून्य कर दी जायंगी। यह सहूलियत 1 सितम्बर, 1966 को फरीदाबाद में पहले से ही स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों को भी दे दी गई है।

(ख) और (ग) गुड़गांव में रहने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को ये सहूलियतें देने का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि वहां पर इसी प्रकार की स्थिति नहीं है। नगरों के वर्गीकरण में गुड़गांव 'ती' श्रेणी में आने योग्य भी नहीं है। तथापि, गुड़गांव के समीपस्थ एक प्रतिरक्षा संस्थापन में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को दिल्ली में दी जाने वाली दर पर प्रतिपूर्ति और मकान किराया भत्ते मिलने की मंजूरी दे दी गई है।

उत्तर प्रदेश में सूखा

425. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दिगे :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री हु० चा० लिंग रेड्डी :

क्या योजना तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में सूखे के कारण उत्पन्न हुई गम्भीर स्थिति का सामना करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने योजना आयोग की स्वीकृति हेतु उसे 26 करोड़ रुपये की एक योजना भेजी है।

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने धनराशि की मंजूरी दे दी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क), (ख) और (ग) उत्तर प्रदेश में सूखे की स्थिति और उसका सामना करने के लिए किए गए प्रस्तावों की जांच केन्द्रीय अधिकारियों के एक दल ने की है। इस दल ने गत सप्ताह कुछ क्षेत्रों का दौरा किया था। इन प्रस्तावों पर शीघ्र ही राज्य सरकार से विचार विमर्श किया जाएगा और इसके बाद अनुमोदित स्कीमों के लिए आवश्यक मंजूरी जारी की जाएगी।

केरल में मछुओं के लिए आवास सुविधाएं

426. श्री प० कुन्हन :
श्री उमानाथ :

क्या निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अथवा केरल राज्य सरकार मछुओं के लिये अच्छे आवास की व्यवस्था करने की किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या मछुओं को मकान बनाने के लिये अब तक कोई वित्तीय सहायता दी गई है ; और

(घ) ग्राम मकान निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत केरल के तटवर्ती क्षेत्र में अब तक कितने मकान बनाए गये हैं ?

निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) : (क)से (घ) इस मंत्रालय ने केवल मछुओं के लाभार्थ कोई आवास योजना नहीं बनाई है। यदि केरल सरकार ने ऐसा किया है तो इसकी हमें कोई सूचना नहीं। राज्य सरकार से पूछताछ की गयी है तथा जैसे ही उत्तर प्राप्त होगा, सभा पटल पर विवरण रख दिया जायेगा।

भारत के राज्य बैंक के कर्मचारियों की मांगें

428. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के राज्य बैंक के कर्मचारियों की मुख्य मांगें क्या हैं ;

(ख) समझौते की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों में हुए समझौते के कुल वित्तीय पहलू क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): (क) भारतीय राज्य बैंक के कामगार (वर्कमैन) कर्मचारियों की मुख्य मांगें ये थीं : वेतन में 20 प्रतिशत की वृद्धि, अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतनमानों में वृद्धि, पूरे वेतन पर सेवा निवृति लाभ तथा क्षेत्र IV की समाप्ति।

(ख) राज्य बैंक तथा इसके कामगारों के बीच 9 सितम्बर, 1965 को हुए करार के परिणामस्वरुप, पहली अगस्त 1965 से कर्मचारियों के वेतनमानों में उपयुक्त वृद्धि कर दी गयी है। संशोधित वेतनमान 31 जुलाई, 1968 तक लागू रहेंगे। पहली सितम्बर, 1964 से क्षेत्र IV को भी समाप्त कर दिया गया है। दूसरी मांगों के सम्बन्ध में बातचीत अभी चल रही है।

(ग) जो रियायतें 9 सितम्बर, 1965 को हुए करार के अनुसार तथा अन्यथा दी गयी हैं, उनका वार्षिक खर्च लगभग 37 लाख रुपया है।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में (प्रश्न)

RE: MOTION FOR ADJOURNMENT (Query)

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): I have given a notice for Adjournment Motion. I request that it should be taken up. A country-wide agitation is going on. Many persons have been arrested.

Mr. Speaker: That is not the way to raise this matter.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: It is very unfortunate that Government is not paying proper attention to this. Police is resorting to lathi-charge almost every day.

Mr. Speaker: He is obstructing the proceedings. He should leave the House.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: **

Mr. Speaker: I would ask Shri Hukam Chand Kachhavaiya to leave the House.

**कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

(इसके पश्चात श्री हुकम चन्द कछवाय सभा भवन से बाहर चले गये)

(SHRI HUKAM CHAND KACHHAVAIYA THEN LEFT THE HOUSE)

Shri Onkar Lal Berwa (कोटा): Sir, that will not help. They will have to enact a law for banning cow slaughter. We are daily giving calling attention notices.

Mr. Speaker: I am compelled to say that his conduct is grossly disorderly. He should go out of the House.

Shri Onkar Lal Berwa: It is a matter of shame that women are being lathi-charged on the matter of cow-slaughter....

(इसके पश्चात श्री ओंकार लाल बेरवा सभा भवन से बाहर चले गये)

(SHRI ONKARLAL BERWA THEN LEFT THE HOUSE)

श्री रंगा (त्रिचूर): श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि आप सरकार को विशाखापट्नम की घटनाओं के बारे में एक वक्तव्य देने को कहें।

श्री दाजी (इन्दौर): समाचापत्रों में प्रकाशित समाचार के अनुसार इस बारे में एक उपसमिति बनाई गई थी और उसने अपनी सिफारिशें दे दी हैं। और इस बारे में समाचार पत्रों ने ब्यौरा प्रकाशित भी कर दिया है। अब सभा में वक्तव्य का क्या लाभ होगा। सरकार की बहुत सी गुप्त बातें समाचारपत्रों में पहले ही प्रकाशित हो जाती हैं। यह अनुचित है। इससे सरकार की अदक्षता का पता चलता है। प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट की भी यही स्थिति है।

श्री अ० फ० गोपालन (केसरकोड): मैंने भी इस विषय पर ध्यान दिलाने वाली एक सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय: मैं सरकार से कहूंगा कि इस पर एक वक्तव्य दे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा): श्रीमन् मुश्किल यह है कि जब कभी समाचारपत्रों में कुछ छप जाता है तो माननीय सदस्य उसे ठीक समझ लेते हैं। मैं इस संबंध में क्या कर सकता हूं? इस बारे में अभी तक निर्णय नहीं किया गया है? हो सकता है मंत्रिमंडल इस बारे में आज ही निर्णय करे। यदि संभव हुआ तो श्री त्रि० ना० सिंह कल एक वक्तव्य देंगे।

लोहा तथा इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह): हमें समाचारपत्रों की खबरों पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिये। हमें इन बातों पर धैर्य से विचार करना चाहिये। मैं इस समय वक्तव्य नहीं दे सकता। आज सायं मंत्रि मंडल की बैठक हो रही है। उसके बाद मैं एक वक्तव्य दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: कल एक वक्तव्य अवश्य दिया जाना चाहिये।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कृषि पुनर्वित निगम का वार्षिक प्रतिवेदन तथा आयकर अधिनियम, केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम इत्यादि के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत): मैं निम्न पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं (1) कृषि पुनर्वित निगम अधिनियम, 1963 की धारा 32 की उपधारा (2) के

अन्तर्गत कृषि पुनर्वित निगम, बम्बई, के 30 जून, 1966 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 7178/66]**

(2) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 280 जेड ई की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) कर प्रत्यक्ष पत्र (निगम कर) योजना, 1966 जो दिनांक 30 अगस्त 1966 के भारत के राज पत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2671 में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) जी० एस० आर० 1559 जो दिनांक 8 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कर प्रत्यय पत्र (अतिरिक्त निष्कासन पर उत्पादन शुल्क) योजना, 1965 में कतिपय संशोधन किये गये । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7179/66]**

(3) केन्द्रीय विक्रय-कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1475 की एक प्रति जो दिनांक 24 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर (रजिस्ट्रीकरण तथा कुल बिक्री) नियम, 1957 में एक संशोधन किया गया। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7180/66]**

(4) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और (सातवां संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 15 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1590 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7181/66]**

(5) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क औ लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 80 वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 3 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1354 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य 81 वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 3 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1355 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 82 वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 3 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1356 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 83वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 3 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1357 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) जी० एस० आर० 1358 जो दिनांक 3 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 19 मार्च, 1966 की जी० एस० आर० 384 का शुद्धि-पत्र दिया गया है ।

(छः) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 84वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 17 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर 1426 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात-शुल्क-वापसी (समान्य) 85 वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 17 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1427 में प्रकाशित हुए हुए थे ।

(आठ) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 86 वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 17 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1428 में प्रकाशित हुए थे ।

(नौ) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 87वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 17 सितम्बर, 1966 के भारत राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० में 1429 प्रकाशित हुए थे ।

(दस) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 88वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 17 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1430 में प्रकाशित हुए थे !

(ग्यारह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 89वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 24 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1478 में प्रकाशित हुए थे ।

(बारह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 90वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1521 में प्रकाशित हुए थे ।

(तेरह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 91वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 8 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1557 में प्रकाशित हुए थे ।

(चौदह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 92वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 8 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1558 में प्रकाशित हुए थे ।

(पन्द्रह) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 93वां संशोधन नियम, 1966 जो दिनांक 15 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1589 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7182/66]**

(६) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 1352 जो दिनांक 3 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) जी० एस० आर० 1353 जो दिनांक 3 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) जी० एस० आर० 1369 जो दिनांक 10 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(चार) जी० एस० आर० 1370 जो दिनांक 10 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(पांच) जी० एस० आर० 1376 जो दिनांक 3 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(छः) जी० एस० आर० 1379 जो दिनांक 7 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सात) जी० एस० आर० 1424 जो दिनांक 17 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(आठ) जी० एस० आर० 1425 जो दिनांक 17 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(नौ) जी० एस० आर० 1434 जो दिनांक 16 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दस) जी० एस० आर० 1477 जो दिनांक 24 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(ग्यारह) जी० एस० आर० 1522 जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(बारह) जी० एस० आर० 1526 जो दिनांक 28 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तेरह) जी० एस० आर० 1527 जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(चौदह) एस० ओ० 2859 जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(पन्द्रह) जी० एस० आर० 1588 जो दिनांक 15 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सोलह) जी० एस० आर० 1614 जो दिनांक 14 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सतरह) जी० एस० आर० 1615 जो दिनांक 14 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(अट्ठारह) जी० एस० आर० 1617 जो दिनांक 15 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(उन्नीस) जी० एस० आर० 1618 जो दिनांक 15 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(बीस) जी० एस० आर० 1619 जो दिनांक 15 अक्तूबर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7183/66]**

(७) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत डाकघर बचत बैंक (दूसरा संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 3 सितम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1347 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7184/66]**

आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही के बारे में विवरण

संचार तथा संसद् कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं तीसरी लोक सभा के विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही बताने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या 1 पन्द्रहवां सत्र, 1966

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या 6 चौदहवां सत्र, 1966

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या 15 तेरहवां सत्र, 1965

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या 15 ग्यारहवां सत्र, 1965

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या 8 आठवां सत्र, 1964

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 7185 से 7189/66]

श्री हरि विष्णु कामत : मैं एक औचित्य प्रश्न पूछना चाहता हूं । मैं यह प्रश्न पिछले कई सत्रों में भी पूछ चुका हूं । संसद-कार्य मंत्री ने एक पत्र जारी करके सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति को निष्क्रिय कर दिया है । मेरे विचार से यह सभा का अपमान है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने वह पत्र देख लिया है । समिति के सभापति को उस पत्र के बारे शकायत नहीं है ।

श्री हरि विष्णु कामत : सभा को वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले यह कहा था कि मैंने गत सत्र में संसद-कार्य मंत्री से बात की थी । उन्होंने मुझे बताया कि मंत्रालयों से इसलिये कहा था ताकि जो कुछ हो रहा है उसका संसद-कार्य मंत्री को भी पता रहे क्योंकि जब कभी वह कोई वक्तव्य सभा पटल पर रखते हैं तो उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं । यही उन्होंने मुझे बताया था ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : आप ने जो यह जानकारी दी है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । सभा में जो इस समय परिस्थिति है मैं उसे जानना चाहता हूं ।

श्री रंगा (चित्तूर) : हम यह आश्वासन चाहते हैं कि समिति को विभागों को सीधे लिखने की अनुमति है तथा ऐसे ही विभाग भी सीधे समिति को लिख सकते हैं । हमें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं कि उसकी एक प्रति संसद-कार्य मंत्री के पास भी भेजी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : जब कभी समिति के अध्यक्ष को मंत्रालयों से कोई सूचना लेनी होगी वह मंत्रालय सीधी वह सूचना समिति को भेजेंगे ।

श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता--मध्य) : क्या आपने समिति के अध्यक्षों से पूछ लिया है कि इस प्रक्रिया समिति और मंत्रालयों से पत्र-व्यवहार में कोई देर तो नहीं होगी ? यदि इसमें देर होगी तो सदन को इस पर विचार करना होगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने समिति के अध्यक्ष से कोई बात नहीं की है परन्तु यदि वह कोई कठिनाई अनुभव करते हैं तो मैं अवश्य उस पर ध्यान दूंगा ।

गुरुवयूर टाउनशिप के अन्तर्गत अधिसूचना, विश्व स्वास्थ्य सभा में भारतीय प्रतिनिधि मंण्डल का प्रतिवेदन आदि

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : मैं डा० सुशीला नायर की ओर से राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित गुरुवयूर टाउनशिप अधिनियम 1961 की धारा 6 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधि-सूचना एस० आर० ओ० संख्या 245/66 की एक प्रति पुनः सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 5 जुलाई, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7032/66]**

(2) निम्न पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(i) मई, 1966 में जनेवा में हुई 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारतीय प्रतिनिधि-मण्डल के प्रतिवेदन की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7190/66]**

(ii) अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम 1956 की धारा 19 के अन्तर्गत अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था नई दिल्ली के 1965–66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7191/66]**

(iii) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल नगरपालिकाएं अधिनियम 1960 की धारा 345 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) केरल नगरपालिकाएं (करारोपण तथा फीस—प्रपत्र तथा रजिस्टर) नियम 1966 जो दिनांक 15 मार्च, 1966 के केरल राजपत्र में अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 120/66 में प्रकाशित हुए थे ।

(ख) एस० आर० ओ० संख्या 297/66 जो दिनांक 9 अगस्त, 1966 के केवल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल नगरपालिका क्षेत्रों में टीके लगवाने के लिए बाध्य करने सम्बन्धी नियम 1962 में एक संशोधन किया गया ।

(ग) एस० आर० ओ० संख्या 321/66 जो दिनांक 23 अगस्त 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा वकीलों द्वारा नगर-पालिका परिषदों की ओर से न्यायालय में मुकदमों की पैरवी करने के हेतु किये गये सफर के लिए नगरपालिका परिषदों द्वारा उन्हें यात्रा भत्ते की अदायगी का विनियमन करने वाले नियमों में एक संशोधन किया गया ।

(घ) एस० आर० ओ० संख्या 362/66 जो दिनांक 27 सितम्बर 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल नगरपालिकाएं (लोक निर्माण कार्य तथा संभरण) नियम 1963 में एक संशोधन किया गया ।

(iv) ऊपर की मद (तीन) की (क) से (ग) में बताई गई अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले तीन विवरण । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी 7192/66]**

(v) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उदघोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल नगर निगम अधिनियम 1961 की धारा 367 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं को एक-एक प्रति :—

(क) केरल नगर निगम (जांच करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों की शक्तियां नियम 1966 जो दिनांक 23 अगस्त, 1966 के केरल राजपत्र में अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 320/66 में प्रकाशित हुए थे ।

(ख) केरल नगर निगम (लगवाने के लिए बाध्य करना) नियम, 1966 जो दिनांक 6 सितम्बर, 1966 के केरल राजपत्र में अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 333/66 में प्रकाशित हुए थे **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7193/66]**

वित्त मन्त्री के कनाडा तथा अमरीका के दौरे के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. FINANCE MINISTER'S VISIT TO CANADA AND U.S.A.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad): Mr. Speaker, I would like to know through you, from the Finance Minister whether Canada and U.S.A. are giving one per cent of their National Income as foreign aid? I am prompted to ask it as the Prime Minister had said that she would be happy if those countries give one per cent of their national income for foreign assistance. If they are already giving then there is no justification for the Prime Minister to say so.

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : महोदय, मैं अपनी कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमरीका की सितम्बर, 1966 की यात्रा के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 7194/66।]**

श्री रंगा (चित्तूर) : क्या हम स्पष्टीकरण के लिये प्रश्न पूछ सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जब आप पढ़ चुकें तब ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Yesterday also on questions were permitted to be put.

Mr. Speaker: The rules are quite clear that "no question would be put" when the Minister had made a statement. But for the last 30 years there has been a convention to permit questions on a statement. Hence I am finding it a bit difficult. His predecessors had permitted questions to save time so that the matter may be disposed of the same day. Otherwise there would be notice for raising discussion and time will have to be given to that. Then now it is entirely upto the House to decide about it.

Shri K. D. Malaviya (Basti): Mr. Speaker, the situation now is different from what it was 30 years ago. Now you are stopped from proceeding further for 15 minutes every now and then. Hence that convention may be ignored.

Shri Radhelal Vyas (Ujjain): Mr. Speaker we should not call it a convention. When there is no rule we may call it convention. But here we have written rules and it is violation of that rule. Hence it should not be permitted.

Shri Madhu Limaye: If you read Rule 372 then it is a different matter. But if you read Rule 355 also then things will be clear. There it is stated: "When for the purposes of explanation during discussion or for any other sufficient reason any member has occasion to ask a question of another member on any matter then under the consideration of the House, he shall ask the question through the Speaker." Hence you can allow questions. I have given notice for the last one year for amendment of Rule 372 but the Rules Committee has not so far taken any action on that.

अध्यक्ष महोदय : सदस्य की परिभाषा में सारे सदस्य शामिल हैं । परन्तु जब मंत्रियों के वक्तव्य होते हैं तो वह स्पष्ट हो जाता है ।

There is no denying the fact that there is inconsistency between the Rule and the practice in this regard.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : महोदय, नियम संख्या 389 में लिखा है ऐसे सब विषय जिनका इन नियमों में विशिष्ट रूप से उपबंध न किया गया हो और इन नियमों की विस्तृत क्रियान्विति से सम्बन्धित सब प्रश्न ऐसी रीति से विनियमित किये जायेंगे जैसा कि अध्यक्ष समय समय पर निदेश दें ।

श्री गो० ना० दीक्षित (इटावा) : यह नियम मार्च 1957 में बने तथा 1957 में ही लागू हुए । इस लिये 1957 से पहले क्या हुआ उसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । इनके पीछे संविधान के अनुच्छेद 118 का भी समर्थन है । यह नियम कानून हैं ।

इसलिये इस विशेष नियम के बारे में लिखा है कि मंत्री के वक्तव्य के पश्चात् प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे । नियमों को बदलने की प्रक्रिया नियम संख्या 331 में दी है । ऐसा इस नियम के बारे में किया नहीं गया । इसलिये कोई परम्परा इस नियम को नहीं बदल सकती । यदि इसके पालन में कोई गलती होती रही है तो उसे ठीक करना है ।

श्री विद्या चरण शुक्ल (महासमंद) : हम परम्पराओं के बारे में बात कर रहे हैं परन्तु गणपूर्ति के बारे में भी एक परम्परा थी कि दोपहर के खाने के समय उसका पालन नहीं किया जायेगा परन्तु उसे यहां तोड़ा गया । इसलिये इस परम्परा को भी तोड़ा जा सकता है ।

Shri Maurya (Aligarh): Sir, According to Rule 385 you have a right to take up things verbally or to regulate them in writing.

Shri Tyagi (Dehra Dun): I have to draw your attention to Rule 355.

अध्यक्ष महोदय : नियम संख्या 355 में तो केवल प्रक्रिया की बात है कि जब कोई सदस्य प्रश्न पूछे तो वह केवल अध्यक्ष के द्वारा ही पूछ सकता है। वह किसी को भी प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं देता । इससे आगे इसका कोई अर्थ नहीं होता ।

Shri Tyagi: Sir, many Ministers have made statements under Rule 372 and it is not always that Members were permitted to put questions. They were debarred from putting questions. Sometimes the permission to ask questions was given and at other times it was refused also. A convention against a mendatory rule is valid only so long as the House is unanimous in agreeing to it. But even if a single Member is against it then it will be broken. I want a ruling from you whether such conventions can be sustained or not.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : एक परम्परा जो इतने समय से चली आ रही है उसे तोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है । श्री जवाहरलाल नेहरू सदा प्रश्नों का उत्तर देते थे । क्या सरकार अब इतनी डर गई है कि प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकती । यदि सरकार इस प्रकार एक नियम का सहारा लेना चाहती है तो हमें इसकी व्यवस्था स्पष्ट रूप से नियमों में कर देनी चाहिये ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता—मध्य) : मुझे यह देख कर दुःख होता है कि कुछ सदस्य अध्यक्ष पर यह आरोप लगा रहे हैं कि वह नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं । अध्यक्ष सदा वह प्रश्न पूछने की अनुमति देते हैं जो स्पष्टीकरण के रूप में हों । यदि आज कांग्रेस दल को यह डर है कि उसके मंत्री प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते तो हमें तथा देश को पता है कि उनकी क्या स्थिति है । इस परम्परा का तोड़ना सदन सहन नहीं करेगा ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवदी (केन्द्रपाड़ा): यदि हम नियमों पर ही चलेंगे तो कोई ऐसा नियम नहीं है जो मुझे अपने सामने के डैस्क पर पांव रखने से मना करे। क्योंकि इसके बारे में नियमों में कुछ नहीं लिखा। फिर तो कुछ आचार संहित्ता है जिस पर हमें चलना होता। आज इनकी यह दशा है कि प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं और इसलिये यह प्रश्न उठा रहे हैं।

श्री रंगा (चित्तूर): मैं स्वयं नियमों का पालन करने वाला हूं। परन्तु मेरी समझ में यह नहीं आता कि यह लोग आज इतने दिनों के बाद जागे हैं और नियम का सहारा ले रहे हैं। ऐसा कह कर वह किसी की रक्षा करना चाहते हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू ने कभी भी प्रश्नों का उत्तर देने में आपत्ति नहीं की। न ही श्री लाल बहादुर शास्त्री ने की और न ही नये प्रधान मंत्री ने आपत्ति की। फिर यह सदस्य क्यों आपत्ति उठा रहे हैं। मैं दोनों ओर के सदस्यों से कहूंगा कि यहां आगामी आम चुनावों तक कोई आपत्ति न करें। जब नई लोक सभा आयेगी तो उसकी नियम समिति इस पर विचार कर लेगी।

श्री श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : महोदय, नियम संख्या 372 में लिखा है कि "जब मंत्री महोदय वक्तव्य दे रहे हों" तो प्रश्न न पूछा जाये। वहां यह नहीं लिखा है कि "उनके पश्चात भी न पूछे जायें"। इसलिये इसका अर्थ मेरे अनुसार तो यह है कि उन्हें बोलते समय टोका न जाये। उनके बाद में प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है कि यह परम्परा रही है कि प्रश्न पूछे जायें परन्तु यह भी सच है कि कुछ समय से हम इसका ठीक उपयोग नहीं कर रहे हैं। मैं इस संबंध में विचार करूंगा।

कार्य मन्त्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

पचासवां प्रतिवेदन

संसद् कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के पचासवें प्रतिवेदन से, जो 2 नवम्बर, 1966 को सभा में उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव के अन्त में निम्न शब्द जोड़ दिये जायें, अर्थात् :—

इस संशोधन के साथ कि प्रतिवेदन की कंडिका 3 हटायी जाये।

इस प्रतिवेदन का पैरा 3 प्रक्रिया नियमों की शक्ति से परे है। इसमें एक बहुत ही आश्चर्यजनक वाक्य है कि "कार्य के विविध विषय"। मेरी समझ में नहीं आया कि इसका क्या अर्थ है। इसमें लिखा है कि यह सारा कार्य सदन 12.30 बजे से पहले समाप्त कर लेवे। समझ में नहीं आता कि समिति ने इसे जल्दी में लिख दिया। मुझे यह भी पता चला है कि कुछ सदस्य इस पैरे के विरुद्ध थे और नहीं चाहते थें कि इसे प्रतिवेदन में शामिल किया जाये। इसके द्वारा सदन के अधिकारों को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। मान लीजिये कि आप ही अध्यक्ष महोदय कोई निर्णय दे रहे हों और 12.30 बज जायें तो क्या आपको एकदम रुकना होगा और इसे फिर 6 बजे पुनःआरंभ करोगे। क्या सरकार आशा करती

[श्री हरि विष्णु कामत]

है कि सदन इसभद्दी बात को मान लेगा? फिर शाम को 6 बजे भी यदि आप आरंभ करें और गणपूर्ति न हो तो फिर इसे दूसरे दिन लिया जायेगा। इसलिये सदन को इसपर विचार करना होगा। समझ में नहीं आता कि आप ने इस प्रतिवेदन पर मंत्रणा समिति के सभापति के रूप में कैसे हस्ताक्षर कर दिये। मैं सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे इस पर गंभीरता से विचार करें कि यह सदस्यों तथा सदन के अधिकारों पर आघात है। यदि संसद् ही निष्प्रभाव हो गया तो भगवान न करे कि देश के सामने केवल रक्त पूर्ण क्रांति का ही रास्ता रह जाये।

श्री रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : कल कुछ कार्यवश मैं मंत्रणा समिति की बैठक में नहीं जा सकी। उस समिति की एक परम्परा यह रही है कि केवल उस विषय को ही प्रतिवेदन में शामिल किया जाता है जिस पर सर्व सम्मति हो। परन्तु कल कुछ ऐसे विषय भी शामिल कर लिये गये जिन पर सर्वसम्मति नहीं थी।

पहली बात तो यह है कि हमारे दल के सदस्य ने अविश्वास के प्रस्ताव के लिये जो 12 घंटे रखे हैं उसे बढ़ाने के लिये कहा। उसने कहा था कि असहमति को टिपपण के रूप में रखा जाये।

दूसरी बात यह है कि पैरा 3 पर बिल्कुल चर्चा नहीं हुई थी। जब सब खड़े हो गये तो संसद् कार्य मंत्री ने कहा कि विविध विषयों पर केवल आध घंटा ही व्यय करना चाहिये। परन्तु इस पर चर्चा नहीं हुई थी। इसे छिपा कर यहां रख दिया गया है। 15 वर्ष में पहला अवसर है कि इस प्रकार किया गया है। इसे रद्द कर देना चाहिये।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-मध्य) : मैं आश्चर्यचकित हूं कि यह मंत्रणा समिति की रिपोर्ट है तथा इस पर आपके हस्ताक्षर हैं। जो परम्परायें हमने इतने वर्षों से स्थापित की हैं उन्हें तोड़ा गया है। समझ में नहीं आता कि समिति ने ऐसी बातों की किस प्रकार सिफारिश करदी जो संसद् तथा अध्यक्ष के विरूद्ध जाती हों। समिति ने शायद यह समझा कि आध घंटे से अधिक राष्ट्र का समय विविध विषयों पर नष्ट नहीं करना चाहिये। यह तो आपके ऊपर भी लांछन लाता हैं। 12 बजे बहुत से कार्य सदन के सामने आते हैं जैसे काम रोको प्रस्ताव, लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना तथा जो चीजें सभा पटल पर रखी जाती हैं। हम से कहा जा रहा है कि हम अपना कार्य आध घंटा में समाप्त कर दें। यह अध्यक्ष या जो भी पीठासीन हों उन पर आरोप का विषय है कि वह नहीं जानते कि कार्यवाही कैसे चलाई जायेगी। इसके द्वारा सदन का भी अपमान किया गया है। इस सुझाव को रद्द कर दिया जाये।

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : मेरे दल के सदस्य ने मुझे बताया कि समिति की बैठक में अविश्वास के प्रस्ताव के लिये 12 घंटे कम बताये गये थे।

पैरा 3 के बारे में जो कहा गया है कि सारी कार्यवाही 12.30 बजे समाप्त कर दी जाये, यह एक गलत सुझाव है। हमें इसे रद्द कर देना चाहिये। मैं इस प्रतिवेदन का विरोध करता हूं।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : परा 3 के बारे में हमने उस समय इतना सोचा नहीं था जितना अब श्री कामत के कहने के पश्चात् मालूम हुआ है। यह कहा गया है कि 12.30 बजे कार्यवाही बन्द होनी चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा करना संभव भी है। फिर यदि 6 बज लिया जाये तो कठिनाई यह होगी कि उस समय गणपूर्ति भी होगी अथवा नहीं। इस लिये हमें इस पर फिर से विचार करना चाहिये।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : महोदय, मैं श्री कामत के संशोधन का समर्थन करता हूं। यह सुझाव बहुत खतरनाक है। मैं कांग्रेस सदस्यों से कहूंगा कि वह इस पर विचार करें।

पहले तो इन्होंने यह प्रयास किया कि प्रश्न न पूछने दिये जायें। यह संसद् के अधिकारों को समाप्त करने का प्रयास है। यदि उन्हें इस प्रकार की बातों से बचना है तो अधिक तैयार हो कर आना चाहिये। यदि यहां गड़बड़ होती है तो उसका यह उत्तर नहीं है। जब समिति से सदस्य चलने लगे तो इस बात का जिक्र कर दिया गया। मुझे यह कहते खेद है कि इस प्रकार एक चालाकी की गयी है। चाहिये तो यह था कि मंत्रणा समिति को इसके बारे में सोचने का अवसर दिया जाता। मैं आशा करता हूं कि श्री कामत के संशोधन को बहु संख्या से यहां समाप्त नहीं किया जायेगा।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा): महोदय, मैं समिति की बैठक में था। इस पर विचार नहीं हुआ था। यह कार्यवाही में भी नहीं था।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Mr. Speaker, this is quite clear now that this is not the report of the whole Committee. Only the Collegues of Shri Satya Narayan Sinha have supported for it. The Members of the opposition are against it. It was mentioned only in the end. The Rules of Procedure of the House have been murdered by para 3 of the report of this Committee. This can be borne out by Rules 287 and 288 of the Rules of Procedure.

Will Business Advisory Committee now recommend time for Short Notice Questions, Calling Attention Notices, Privilege Motions also? As per Rule 315 even the Report of Business Advisory Committee itself can be discussed for half-an-hour. So they had no right to prescribe time for it and hence I say that the Committee has violated the Rules of Procedure. It has tried to usurp those powers which it was not given by the rules.

The decision relating to para 3 was also not the decision of the Committee. It was imposed on it from outside. This borne out by the communique issued by the Congress Parliamentary Party as was discussed in its meeting. Therefore Business Advisory Committee was pressurised to take this decision. This Committee and Shri Satya Narayan Sinha have got no right to put an end to discussion of important matters of general interest in the House like this.

Shri Radhelal Vyas (Ujjain): We have to look to the spirit behind this recommendation of the Committee. This is almost the last session of Lok Sabha. The bills etc. can be taken only in this Session. In the next Session only budget will be discussed as it would be for a peroid of only 10 to 12 days. If they are not taken up in this Session, it will not be in the interest of the country. The Committee was guided only by this spirit. We find that daily about one to one-and-a-half hour is wasted like this. So the Committee has not violated any rules of the House. The Committee has not violated Rules 287 and 288. I think the recommendation of the Business Advisory Committee is quite justified. This is the last Session of this Lok Sabha and many a bill has to be passed. I request that the limit proposed by the Committee should be adopted.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर): हमें कार्य मन्त्रणा समिति की सिफारिशों पर अमल करना चाहिये। इस समति के सदस्यों में लगभग सभी दलों के नेता शामिल हैं। मुझे हैरानी है कि प्रतिपक्ष वालों में एक्य की भावना बिल्कुल नहीं है। इन छोटे दलों में किसी प्रकार की सहमति नहीं है। प्रतिपक्ष वालों को कार्य मन्त्रणा समिति के निर्णयों का आदर करना चाहिये। मैं चाहता हूं कि समिति की सिफारिशों में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाये।

श्री सत्य नारायण सिंह : श्रीमान्, आप स्वयं जानते हैं कि कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसे शब्द कहे हैं जिन से हमें बहुत दुख हुआ है। समिति की बैठक में लगभग सभी की यही राय थी। केवल एक माननीय सदस्य ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिये अधिक समय दिये जाने की मांग की थी। आप स्वयं जानते हैं कि हमने समिति की बैठकों में अपने बहुमत का कभी अनुचित लाभ उठाया। तीसरी मद के बारे में हमें खेद से कहना पड़ता है कि पिछले सत्र में बहुत खराब अनुभव रहा। कई बार तो यह चर्चा तीन तीन बजे तक चली थी। इसलिये हमने यह सुझाव दिया था और समिति की बैठक में किसी ने विशेष आपत्ति नहीं उठायी थी। हमने केवल यही सुझाव दिया है कि प्रश्न काल के बाद विविध कार्य या ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं के लिये आधे घंटे की अवधि निर्धारित कर दी जाये। यदि यह काम आधे घंटे में समाप्त नहीं होता तो इसे अगले दिन लिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आप उचित समझें तो अधिक समय दे सकते हैं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि छः बजे सभा में उपस्थिति काफी होगी।

श्री नाथपाई। इसे दोबारा समिति के पास भेजा जाये।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री कामत के संशोधन पर विचार करेगी।

श्री हरि विष्णु कामत : मैं प्रहताव करता हूं :—

"कि कार्य मंत्रणा समिति के पचासवें प्रतिवेदन का पैरा 3 पुनर्विचार के लिये समिति को फिर से सौंपा जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि।

"कि कार्य मंत्रणा समिति के पचासवें प्रतिवेदन का पैरा 3 पुनर्विचार के लिये समिति को फिर से सौंपा जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ पक्ष में 36 ; विपक्ष में 144

The Lok Sabha divided: AYES 36; Noes 144.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived

श्री हरि विष्णु कामत : मैं इस निर्णय के विरोध में सदन त्याग करता हूं।

इसके पश्चात् श्री हरि विष्णु कामत तथा विरोधी दलों के अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये)।

(Then Shri Hari Vishnu Kamath and other Members of the Opposition Groups left the House.)

अध्यक्ष महोदय द्वारा कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के सम्बन्ध में श्री हरि विष्णु कामत का संशोधन सभा में मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

Shri Hari Vishnu Kamath's amendment regarding the recommendations of the Business Advisory Committee was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के पचासवें प्रतिवेदन से, जो 2 नवम्बर, 1966 को सभा में उपस्थित किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

मंत्रि परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव—जारी

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS *contd.*

Shri Sheo Narain (Bansi): I feel obliged to the Speaker that he has brought such a subject before the House that is now cleared off from all the members of opposition. They have no stamina to hear their criticism.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
(Mr. Deputy-Speaker in the Chair)

It is really ridiculous that within nine months we have seen no-confidence motion for the third time. This no-confidence motion has no value and should be thrown in the waste paper basket. I want to tell my friends of the opposition that it is an account of the great sacrifices made by the Congress that we are going on. Our friends in the opposition are after the cheap popularity. For this aim in view they are instigating the students. We must consider the demands of the students very sympathetically. They are the future citizens of the country. Government should see that not given ill-treatment. We should have such a plan that every child should be able to get proper education.

I shall like to impress upon the authorities that the police should not ordinarily enter the University. The demands of the students should be very sympathetically considered. They should be exempted from fees upto the University level. It is also essential that education should be nationalised. If we do it, it will lead the students to better discipline both among the teachers and the students. It goes to the credit of the Congress party that we had appointed the Public Accounts Committee and Estimate Committees and get even the Minister examined. We don't give any concession to any body.

I represent eastern U.P. in the House. We are facing draught situation there. Government are doing their bit. Thousands of tube wells have been constructed for the irrigation. I also want to urge that the drains should also be constructed in order that water may reach the fields. Our Prime Minister went there to see the situation herself, and we are very grateful to her for that. We have not invited China to invade this country, this henious act was performed by the top Communists. They are traitors. We have drawback, but we are running the Government as best as we can.

We have heard the slogans for banning the cow slaughter. We are saying that there have been lathi charge upon the women folk. Whatever may be the situation but the opposition parties try to exploit the situation.

Opposition is very badly divided, and they are unfit to hold any responsibility. Opposition has no principle, they only unite in order to defeat the Congress. Let me also state in this connection that the demands of the constables for the increase in pay is justified and Government should consider it seriously. Let me urge that they should be given adequate facilities and also their salary should be increased from Rs. 75 to Rs. 150 per month. I also want to urge that Government should do their best to make the country self-sufficient. We should try to avoid this dependence upon P.L. 480 or any type of foreign aid. We should go without food instead of depending upon others. Everybody should give cooperation to the Government in order to fight China and Pakistan. With these words I condemn this no-confidence motion.

Shri R. S. Pandey (Guna): I am sorry to note while speaking on this motion of no-confidence, the party who brought this motion is absent from the House. There can be no significance of the no-confidence motion until and unless it is supported by the mass of people. I find that the most of the opposition leaders are frustrated and disappointed. That is the reason why this weapon of no-confidence which should have been used very sparingly is so frequently used. The opposition is creating scene after a scene in the conduct of business in the House. It has created serious doubt about the future of democracy in the country.

Now, the main problem today is the shortage of food. It is being mentioned repeatedly. Let me state that Government was alert to the deteriorating situation in this direction. The prompt steps are being taken to increase the production. Nobody has control over the natural calamities. If the natural calamities had not come in the way we would have achieved our targets. Now huge quantities of foodgrains are being imported and every effort is being made to see that nobody dies of starvation. We will seek the cooperation of the opposition parties and the people in this great task.

Now I come to the Students' unrest. By quoting the example of the Indonesia the opposition parties have tried to exploit the situation in the country. I am not against the idea of students participating in the politics, but the agitational approach is unjustified. We must realize that these agitations like "bandhs" and "Ghera dalo" are very dangerous and lead us no where. It encourages violence and hampers production. We must realize that more production is the only way by which we can march towards progress and prosperity. For the development of national economy this is the backbone.

Communists are creating disorder everywhere. All Communists, whether they belong to leftist ideology or the rightist thinking are the enemies of the nation. They are actually working to create disorder and chaos throughout the country. They are being helped and encouraged by the foreign elements. I don't hesitate to admit that there are grave problems before the country which need solution. We should try to solve them with the cooperation of all. We should clearly understand that we will live if the democracy survives. Opposition people may any day occupy the Government benches, but this cannot be obtained by creating conditions of unrest and chaos in the country. I prey to the almight that opposition people should get some capacity to understand the rights and wrongs of the country. We should not look to other countries for inspiration and

guidance. It is only by peace permanent and democracy stable that we can solve our problems and remedy our ills.

श्री जी० बी० कृपालानी : (अमरोहा) : मुझे खेद है कि जिस नैतिक समर्थन की मुझे विरोधी पक्ष से उपेक्षा थी वह मझे नहीं मिल रहा। आशा करनी चाहिए मुझे कांग्रेस जनों का समर्थन मिलेगा। उन 50 लोगों में मैं नहीं था जिन्होंने इस अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। पहले विश्वास हो तभी अविश्वास होता है। वैसे मेरा विश्वास तो बहुत समय हुआ इस सरकार से उठ गया था। मुझे इस बात का हर्ष है कि बहुत से कांग्रेस जनों का विश्वास भी इस सरकार पर से उठ चुका है। चाहे वे स्पष्ट रूप से इसे स्वीकार न करें और मत भी सरकार के पक्ष में ही दें पर आज देश में जो हो रहा है उसमें वे दुखी जरूर हैं। वे यह महसूस करते हैं कि देश दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है। खेद की बात है कि हमारी सरकार इतनी भूलोंसे भी कुछ लाभ नहीं उटा रही है। भूलों पर भूलें होती चली जा रही हैं।

मेरा निवेदन यह है कि मैं अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन इसलिये नहीं कर रहा हूं कि मुझे इस सरकार में विश्वास का अभाव है। वह तो स्वयं ही अपने पापों से दबी जा रही है। मेरे विचार में तो अविश्वास प्रस्ताव रखने की कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं है।

अभी दो नये राज्यों में दो मंत्रिमंडलों का निर्माण हुआ है। वहां क्या गड़बड़ कर दी है। एक ओर तो यह कहा जाता है कि हम भ्रष्टाचार समाप्त करने जा रहे हैं और दूसरी ओर यह होता है कि पंजाब के मंत्रिमंडल में उन लोगों को शामिल किया गया है जिन के कृत्यों की दास आयोग ने निन्दा की है। हम श्री कैरों को नहीं भूले हैं वह बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था केवल अपने भ्रष्ट कृत्यों के कारण ही उसे अपने पद से हटना पड़ा था। यदि भ्रष्टाचार के प्रसार को रोका जाता तो कैरों जैसा व्यक्ति कत्ल न होता। हमारे साधन इतने कम है, परन्तु उनकी ओर न देखते हुए एक राज्य में 11 मंत्री, एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना लिया गया है। वहां कांग्रेस के 40 सदस्य हैं और 13 को पद दे दिये गये हैं। इस तरह कांग्रेस पदों को बढ़ाकर इस साधन से गरीब देश का धन नष्ट कर रही है। प्रशासन का भार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है और सारा प्रशासनिक वातावरण दूषित हो रहा है।

विरोधी दल सरकार पर आरोप लगाते हैं और सरकार विरोधी दलों पर आरोप लगाती हैं। सभा में एक अजीब सी व्यवस्था चलती रहती है। सत्ताधारी लोग दूसरे लोगों को उपदेश देते हैं पर हर राज्य में उनके अपने भीषण मतभेद चल रहे हैं। और यह मतभेद ही है जो आजकल सारी भीषण स्थिति और समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। आप ही बताइयें कि आंध्र में जो कुछ हुआ उसके लिए कौन उत्तरदायी है। यह तो विरोधी दलों ने नहीं किया, सारी शरारत कांग्रेस जनों की है। मैं चुनौती देता हूं कि कोई कांग्रेसी इसका प्रतिवाद करें।

इसी प्रकार महाराष्ट्र सरकार की समस्या भी कांग्रेस वालों की पैदा की हुई है। हमारे प्रतिरक्षा मंत्री भी इस से अछूते नहीं हैं यद्यपि उन्हें दलगत भावना से ऊपर रहना चाहिये क्योंकि उन पर देश की प्रतिरक्षा का उत्तरदायित्व है। उत्तर प्रदेश की मैं बात नहीं करता परन्तु हरेक जानता है कि वहां क्या हो रहा है।बस इतना ही कि तुझे अपनी पत्नी का बचाव नहीं करना। जहां तक विद्यार्थियों के उपद्रव का सम्बन्ध है, यह कांग्रेस ही का काम है। ये लोग विश्वविद्यालय की राजनीति में हस्यक्षेप करते है। उपकुलपतियों नो योग्यता और अनुभव के आधार पर नहीं राजनीति क आधार पर नियुक्त किया जाता है। मैं पूछता हूं क्या

विश्वविद्यालयों के उपकुलपति नियुक्त करना मेरे हाथ में है ? क्या विरोधी दलों के हाथ में है। वस्तुतः कांग्रेस वाले ही वहां पर हस्तक्षप करते हैं।

मेरा मत यह है कि विद्यार्थियों के वर्तमान असंतोष के लिए भी कांग्रेस ही उत्तरदायी है। कांग्रेस के अन्दर भी कई तरह की दलबन्दी चल रही है। बड़ी बड़ी नियुक्तियां राजनीतिक आधार पर कर दी जाती है और फिर यह आशा की जाती है कि ये पदलोलुप व्यक्ति विधि और व्यवस्था को बनाये रखेंगे। आज इस अव्यवस्था का एक कारण यह है कि जो लोग अध्यापन कार्य पर लगाये गये हैं, वे उसके नितान्त अयोग्य है। अध्यापक अपने विद्यार्थियों से बच्चों जैसा व्यवहार नहीं करते। मेरा मत यह है कि यह जो विभिन्न प्रकार के सम्मेलन बुलाये जाते हैं, कभी उप-कुलपतियों के, कभी मंत्रियों के और कभी सिपाहियों के, इनका कोई लाभ होने वाला नहीं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या विद्यार्थी संघों से निपटने की है। इन संघों के पास धन है, जैसा चाहें उसे खर्च करते हैं। इन्हीं संघों ने सारे विश्वविद्यालयों का वातावरण खराब कर रखा है। यह बिना किसी मतलब के ही हड़ताल करवा देते हैं और हड़ताल करवा देने में ही अपनी लोकप्रियता समझते हैं। आखिर इस प्रकार का वातावरण क्यों निर्माण हुआ, इसका उत्तर कांग्रेस ने देना है। यदि नहीं देते तो यही मतलब है कि इस विषय पर बात करते हुए उन्हें लज्जा आती है।

खाद्य स्थिति की बात है। श्री पाटिल ने कहा था कि वे फालतू अन्न का भंडार बनाने के लिए अमरीका से अन्न ले रहे हैं। परन्तु सूखा पड़ा, बाढ़ें आईं, मानसून असफल हो गया परन्तु इस फालतू भंडार की कोई भी बात सुनाई न दी। इस स्टाक से सहायता मिलने के बारे में कोई समाचार सुनने को न मिला। योजना की बात की जाती है। परन्तु वह योजना ही क्या जहां दूरदर्शिता के कोई चिह्न ही दिखाई न दें। दूरदर्शिता की बात तो दूर की है, यहां अनुभव से भी लाभ नहीं उठाया जाता। एक भूल का अनुभव हो जाने पर भी पुनः पुनः वही भूल की जाती रहती है। बड़ी भारी भ्रान्ति देश में चल रही है। पुलिस को कहा जाता है तो वह लोगों पर लाठी गोली चला देती है। मैं पुलिस की निन्दा नहीं करता। मेरे विचार में गोली चलाने का दोष पुलिस पर नहीं लगाया जा सकता। यह तो ब्रिटिश परम्परा की देन है। हमारा प्रभाव तो यह होना चाहिए कि गोली न चले। यह तो तब ही सम्भव है जब हम भूलें करना छोड़ दें। महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो गड़बड़ है वह स्वयं कांग्रेस वालों से पैदा की गई है। कांग्रेस यदि कोई गड़बड़ पैदा न करती तो विरोधी पक्ष वाले भी चुप रहते। जब सत्ताधारी दल के दो गुट मैदान में निकल आये तो फिर बाकी पीछे क्यों रहे। अतः मेरा कहना यह है कि कांग्रेसजनों कों अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए। स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि हम अपनी महलिाओं की रक्षा भी नहीं कर पा रहे। गांधी जी महिलाओं को घर से बाहर निकाल लाये थे। परन्तु अब स्थिति यह हो रही है कि यदि कोई महिला अकेली कहीं जाती है, तो खतरा बना रहता है, यद्यपि हमने ऊचे से ऊंचा पद महिला को दिया है। मेरा निवेदन यह है कि यदि सरकार और कुछ नहीं कर सकती, तो कम से कम हमारी महलिाओं की प्रतिष्ठा तो कायम रखे।

मेरा अन्त में यही निवेदन है कि पदासीन दल को अपने घर संभाल कर देश की रक्षा करनी चाहिए। आज देश में धन, जाति और पद के नाम पर मतदाता भी भ्रष्ट बना दिये गये हैं। आप अपने व्यक्तियों को निर्वाचित कराने के लिए धन और मदिरा का भी प्रयोग

करने में संकोच नहीं करेंगे । इन बातों का सुधार करिये, ईश्वर के लिए गांधी जी के भारत की रक्षा करिये । कांग्रेस जनों को सचेत रहना होगा और देश के लिए बलिदान करने होंगे ।

Shri M. L. Dwivedi (Hamirpur): It is strange that the mover of this motion Shri Trivedi is using foreign language in order to express himself. It is against the policy of his party. I am of the opinion that it is improper to bring a no-confidence motion when we are facing so many problems. To move the no-confidence motion again and again is reducing this House to sheer mockery. Instead of discussing this motion, it would have been better to discuss so many other problems facing the country. I wonder that even the Communists are giving their support to this motion of no-confidence. Similarly Swatantra party is also supporting it. This strange alliance.

I am of the opinion that if the opposition parties had co-operated with the Government most of our problems would have been solved. There would have been no disorder if the opposition parties had remained quiet. But they created difficulties for the Government and they had to set things right. This is also a fact that Congress Government has always tried to give good administration to the country. In spite of that they had to face the severe criticism of the opposition parties. Mere criticism is not going to solve the problems. They should offer solid suggestions for the solution of our difficulties. That will be a healthy thing in the interest of the country.

As the general elections are approaching near, the opposition parties have brought forward the no-confidence motion in order to defame the Congress and gain ground for themselves. But I am sure the voters are not going to be misled by such moves. Government are trying to solve all problems as best as they can. As for the drought situation in Bihar, Government had given Rs. 5 crores to help the victims. If need arises other areas will also get similar type of help. I also urge that Government should supply pumping sets and provide other necessary facilities so that the situation may be improved.

Let me state that I express my disapproval on this motion of no-confidence, I express my confidence in the Government. I am of the opinion that this motion have no substance and it should be rejected. I hope even the members of the opposition will also support me.

Shrimati Subhadra Joshi (Balrampur): In order to do justice with this motion of no-confidence I must throw light on different problems, that face the country today. For the last two months I had to study the draught situation in the Eastern U.P. very closely. I saw that in spite of the arrangement of tube-wells, the water could not be arranged for the farmers, though I also tried to put in my best for this purpose. Together with that I observed very closely the law and order situation and found that the utter lawlessness is prevailing there. Political victimization has been rampat in this area. Those who were responsible there for are such things are today demands the removal of this Government through this type of no-confidence motion.

Today people were asking this question openly that if per chance Congress is defeated who will come next. Let me state that the record of the Jan Sang is very bad. Let we also recall that even at the time of the

Chinese aggression, the members of this organisation tried to demoralise our soldiers. This definitely slackened our defence efforts. This is not the only occasion when it happened, even when the country was fighting her battle with Pakistan, Jan Sangh tried to rouse the feelings of the people against certain minorities. But it is really very gratifying that their efforts in this direction were not very great success. People at large did not pay any heed to their clamourings and a cleavage between the Hindus and the Muslims did not bear any fruits. I can say with full confidence that during our conflict with Pakistan, minorities in our country gave ample proof of their patriotism. It was a very sad thing to note that when brave people like Abdul Hamid were being decorated with gallantry awards the R.S.S. chief issued a statement that those awards were being given on communal consideration.

Now this organisation is raising the cry of cow-protection. This is nothing but a move to cover their bad deeds. As a matter of fact they have nothing to do with cow, they simply want to exploit sentiments of the people for their selfish ends. We must know very clearly that the cow is not the concern of the Hindus alone. Muslims also keep the cows. We must understand that the people who talk of cow protection are doing something different in practice. As long as cow is giving milk, they look after it, but after that they try to get rid of it. People talking of 'Gorakhsha and Goshalas' are actually doing nothing in this direction. They want credit by showing their lip sympathy only. I want this most important matter to be considered by the Jain sadhus that why we should talk of cow protection alone. What about the other animals? We should pay attention to the protection of other animals as well. It is very essential that ban on cow slaughter must follow with the ban on slaughter of other animals as well. I urge upon the honourable members to give their careful thought to this aspect of this problem.

Throughout the country the students' agitation is going on. It was stated by some members of the opposition that we don't feel sympathetic towards the demands of the students. But we ask, "What are the demands" there is no reply. Opposition parties claim that they have no hand in the students' agitations. Then they should come forward and proclaim that they disassociated themselves from the violent activities of the students. This is a fact that the opposition is making political capital out of the agitation. Our Communist brothers show their sympathy with the labour. But what about the policeman? He is also a labour, why he is stoned. This type of inconsistancy we find today in the words and deeds of the Communists.

Let me state that all the students who indulge in violance and destroy Government property should be met very strongly. But at the same time I shall urge that those officials who don't pay attention to the demands of the students should also be dismissed. As for the steel plant, I may state that nothing should be agreed under pressure.

श्री हुमायून कबिर (बसीरहाट) : मैं मानता हूं कि देश की वर्तमान स्थिति के लिये जो लोग जिम्मेदार हैं उनमें मैं भी था । आज देश में अव्यवस्था का वातावरण बना हुआ है । स्वाधीनता के 19 वर्षों और आयोजन के 15 वर्षों के बाद हम ऐसी स्थिति में हैं कि हम पतन की ओर ही बढ़ रहे हैं ।

सब से पहले मैं खाद्य स्थिति का उल्लेख करना चाहता हूं । इस बारे में मैंने पिछले सत्र में सभा में अपने सुझाव विस्तारपूर्वक रखे थे । बड़े खेद की बात है कि आज लाखों की संख्या में लोगों को खाना नहीं मिलता । हमें खाद्यान्नों के विषय में विदेशों पर निर्भर करना पड़ रहा है । इनके आयात की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है । इससे सिद्ध होता है कि हम जिस नीति का अनुसरण करते रहे हैं वह देश के हित में नहीं है । हमें आत्मविश्लेषण करना चाहिये और देखना चाहिये कि हमें कौन कौन सी त्रुटियां दूर करनी हैं । कृषि सम्बन्धी आंकड़ों को ठीक प्रकार से निश्चित नहीं किया गया है । उन पर विश्वास कैसे किया जा सकता है ? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश के उत्पादन के आंकडे और कृषि मंत्रालय द्वारा तैयार किये गये आंकड़ों में बहुत अन्तर है ।

[श्री श्याम लाल सर्राफ पीठासीन हुए]

(Shri Sham Lal Saraf in the Chair)

मैं इस स्थिति को समझने में असमर्थ हूं । पश्चिमी बंगाल में खाद्यान्नों के लाने तथा ले जाने में बहुत प्रतिबन्ध लगे हुए हैं । एक स्थान से दूसरे स्थान पर इन्हें नहीं ले जा सकते । इससे लोगों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । साथ-साथ भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है । यह सब सरकार की ग़लत नीतियों का परिणाम है ।

आज देश में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति बहुत शोचनीय है । दिल्ली में स्त्रियों के अपहरण की घटनाएं हो रही हैं । माननीय गृह-कार्य मंत्री ने स्वयं कहा है कि पुलिस की संख्या दुगनी कर दी गई है । इससे हमें यह नहीं समझना चाहिये कि यह एक अच्छा काम है । यदि कोई सरकार ठीक तरह से कार्य नहीं करती तो वह लम्बे समय चल नहीं सकती । सरकार दमन द्वारा चल नहीं सकती । इसे तो ज्ञान तथा प्राधिकार से शासन चलाना चाहिये ।

खेद की बात है कि हमारे देश में सरकार के प्रति आदर की भावना समाप्त होती जा रही है । यह बात अच्छी नहीं है । आज सभी स्थानों पर अराजकता फैलती जा रही है । अल्पसंख्यकों की बहुत सी शिकायतें हैं । विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना समाप्त हो रही है । यह ठीक है कि आज विश्व में युवक एक नई करवट ले रहे हैं । परन्तु भारत में विद्यार्थियों की समस्याएं तथा कठिनाइयां विशेष प्रकार की हैं । इनकी ओर यदि ध्यान नहीं दिया गया और यदि देश में शासन के प्रति आदर समाप्त होता गया तो बड़ी गम्भीर स्थिति खड़ी हो सकती है । सरकार को आत्मालोचन करना चाहिये । आज यह स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई है ? आज समूचे देश में अशान्ति की भावना है । जनता शासक दल की बात सुनने को तैयार नहीं है । आज कांग्रेस वालों को स्वयं इसका विश्लेषण करना चाहिये । मेरा देश के सभी वर्गों से सम्पर्क है । आज सरकार के उच्चतम स्तर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है । बहुत से ऐसे व्यक्तियों को बड़े-बड़े पदों पर नियुक्त किया गया है कि जिनके विरुद्ध आरोप सिद्ध हो चुके हैं । ऐसी स्थिति में जनता सरकारका आदर कैसे कर सकती है । हम बातें तो बहुत करते हैं कि हमें उच्च स्तर स्थापित करने हैं । हमें मितव्ययता से काम करना चाहिये । परन्तु सरकार इन बातों के विपरीत कार्य कर रही है । जनता अन्धी नहीं । वह देख रही है कि कुछ गिने चुने लोग धन बटोर रहे हैं और जनसाधारण की हालत खराब होती जा रही है ।

देश में विद्यार्थियों में अनुशासन न होने का कारण नेताओं की असफलता है । जब बड़े लोगों को देश के युवकों की समस्याओं का ध्यान नहीं है तो युवक कैसे शांत रह सकते हैं ?

किशोर अवस्था में ये लोग पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते । जब वह देश में अशान्ति का वातावरण देखते हैं तो वह भी अशान्त हो जाते हैं । सरकार को समाज में सदप्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करना चाहिये ।

रुपये के अवमूल्यन से सरकार की असफलता का पता चलता है । हमें यह नहीं बताया गया कि इस निर्णय के कारण क्या थे । अन्य देशों में भी अवमूल्यन किये गये थे परन्तु उन देशों की अर्थ व्यवस्था बहुत विकसित है । इससे उनके निर्यात में वृद्धि हुई थी । परन्तु हमारी स्थिति ऐसी नहीं है । हमारे देश से तैयार माल का निर्यात नहीं होता । हमारे निर्यात की वस्तुओं की मांग अधिक नहीं है । अतः अवमूल्यन से हमें कोई लाभ नहीं हुआ । वास्तव में इससे हमारे निर्यात में कमी हो गई है ।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो रही है और अवमूल्यन के कारण तो यह और भी अधिक है । हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत खराब हो रही है । सरकार ने इस बारे में किसी प्रकार के उपाय नहीं किये हैं । यह भी बताया गया था कि अवमूल्यन विश्व बैंक की सलाह के कारण किया गया था । विश्व बैंक ने बहुत से देशों को इसकी सलाह दी है परन्तु उन देशों ने यह कदम नहीं उठाया । मैं समझ नहीं सका कि हमारी सरकार ने यह कार्य क्यों किया ? इससे हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल छिन्न-भिन्न हो गई है । सरकार को ऐसा निर्णय करने से पहले सभी पहलुओं पर अच्छी तरह विचार करना चाहिये था ।

भारत के लगभग तीसरे भाग का आर्थिक जीवन कलकत्ता पत्तन पर निर्भर करता है । वहां आवश्यक सुविधाएं हैं ही नहीं । लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । मुझे यह जान कर बहुत दुख हुआ है कि केन्द्रीय सरकार ने इस महानगर के लिये सहायता नहीं दी है । सरकार ने हुगली पर दूसरा पुल बनाये जाने के बारे में मजरी नहीं दी । इसका कारण यह बताया गया है कि धन का अभाव है । सरकार को इस बारे में आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध करनी चाहिये । सरकार को बड़े-बड़े नये कारखाने लगाने के स्थान पर वर्तमान कारखानों के क्षमता को बढ़ाना चाहिये । अब समय आ गया है जब देश की जनता को एक और परखने का अवसर मिलेगा । दो या तीन राज्यों में अवश्य ही इस दल को बहुमत प्राप्त नहीं होगा । कुछ ऐसे हथकन्डे भी अपनाये जायगे कि वे सरकारें ठीक प्रकार से कार्य न कर सकें । संविधान की धाराओं का अनुचित लाभ उठाया जायेगा । केन्द्रीय सरकार को इस बारे में आश्वासन देना चाहिये कि अन्य दलों की सरकारों को संवैधानिक ढंग से कार्य चलाने दिया जायेगा ।

Shri Yashpal Singh (Kairana): It is really very sad that the Congress has been a failure in every sphere of life. That spirit has not been created in the country whereby every child may become a soldier to defend the borders of our beloved motherland. On the other hand the defeatist mentality has been created amongst the country. It is a matter of shame that a large part of our land is still under the Chinese control. Our Government have not been able to create that sense of confidence among the people that they may take now to throw away the aggressor.

On the one hand we say that we shall defend the country and on the other hand proclaim that we shall not manufacture nuclear weapons. We must know that if we are really interested in defending our country the arms act will have to be repeated. Every major person in the country

should be allowed to have arms. Without that it is a dream that we shall be able to defend the country. The mistakes committed by our rulers should be rectified soon.

We should leave for the time being the slogan of corruption, instead we should have the slogan of production. Government should go in the production of atomic and nuclear weapons. We should put up all our efforts to increase production. With less production it will not be possible to root out corruption. We should understand that merely harping on corruption, it will not be possible to improve the situation.

We are face to face with the students unrest. It is due to the fact that we have not imparted a correct type of education amongst our students. They have not been given the lessons of discipline. If this present system of education stays, there is no possibility to have any improvement in the situation regarding the students' unrest. The education in this country has not been nationalized. The recruitment in Police Services is also done on the recommendary basis and not on merits. Therefore the inefficient people have come to the fore. I am of the opinion that the moral instructions should be imparted to students. Unless that is done this unrest will grow and indiscipline will continue. I may also urge that cow slaughter should be totally banned in the country. Indian and Hindus regard cow as their mother. We must respect the sentiments of the people.

I am of the opinion that if you want to save the country two things are to be done. We have to solve the food problem and reform the education. Western education has spoiled our entire system. The entire situation is an essay on this spoil system. This Western education has kept us in bondage for the last two centuries and we have been deprived of our glory, grace and gaity and have been reduced to miserable economic plight. We shall have to do away with English and English education. If English remains, our religion, culture and patriotism will be at stake.

How can we build a nation by giving Dalda to our younsters to eat. This Dalda is more dangerous that the atom bomb. Mahatma Gandhi was terribly against it. If we want to solve this food problem we shall have to modernise the agriculture. Eufficient number of tractors should be provided to make maximum advantage of the available cultivable land.

We must build our character as also the national character. It was on account of the strength of character that we were regarded as gurus of the entire human race, but today we are nowhere. Good man does not make the difference in his personal or social conduct. If the individual is good the entire nation will definitely be good. We must follow the foot steps of old sages to have the moral atmosphere and lead a life of high moral character.

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जलौर) : कुछ विरोधी दल के माननीय सदस्य इस अविश्वास प्रस्ताव की आड़ में अन्य विषयों को लेकर अपने विचार व्यक्त करते रहे हैं। मेरा कहना है कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि विरोधी दल अविश्वास प्रस्ताव की आड़ में कई अनुचित बातें कह रहे हैं। और मजे की बात यह है कि वे स्वयं भी इस प्रस्ताव को गम्भीरतापूर्वक नहीं ले रहे। इसे देखते ए यह कहना ही पड़ता है कि यह निराधार सा प्रस्ताव है। इस स्थिति में सरकार को बदल पाना विरोधी पक्ष के बस की बात नहीं। इसके बिना इस प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं। हमारे दोस्त उन बातों का उल्लेख कर रहे हैं जो आज से 20 वर्ष पहले हुई थीं। स्थिति ऐसी है कि इस अविश्वास प्रस्ताव को बहुत गम्भीरता से सोचना भी सम्भव नहीं।

वैसे कल अपना भाषण करते हुए श्री मसानी ने ठीक कहा कि वास्तव में अविश्वास प्रस्ताव का निर्णय तो अगले आम चुनाव में होगा। ठीक है कि उस समय तक ये लोग अपने काल्पनिक स्वर्ग में रह सकते हैं। यह निश्चित है कि लोगों के लिए कांग्रेस को मत देने के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। मैं इस बात को स्वीकार करता हू कि उसमें बहुत से दोष हैं और उसे इन दोषों को दूर करना होगा परन्तु फिर भी वह स्वयं में एक पूर्ण सस्था है और उसमें विनियमन करने की क्षमता है। गत सत्र में भी हमारे मित्रों ने बहुत सी बातें कीं। बहुत बातों पर चर्चा हुई। सरकार का सदैव ही यह प्रयास रहा कि इस प्रकार का वातावरण निर्माण हो कि मन्त्रियों पर सन्देह करने की गुंजाइश न रहे। हमारा प्रशासन स्वच्छ हो। इस दिशा में यह उल्लेखनीय है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने एक संस्था बनाने का सुझाव दिया है। इस संस्था द्वारा इस बात का प्रयास होगा कि हमारा प्रशासन स्वच्छ हो। मेरा यह भी निवेदन है कि मुख्य प्रश्न यह नहीं कि कांग्रेस को सत्ता उपलब्ध होती है अथवा उससे छीन ली जाती है। मुख्य बात तो यह है कि देश में एक मजबूत सरकार हो। जो देश में विधि और व्यवस्था को बनाये रखे। आज देश में कांग्रेस के अतिरिक्त और कोई ऐसा राजनैतिक दल नहीं है जो कि अराजकता को रोक सके। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि आज की स्थिति में कांग्रेस के अतिरिक्त कोई दल ऐसा नहीं जो सत्ता सम्भाल सके। कांग्रेस का विरोध करने का अर्थ यह है कि कम्युनिस्टों को तोड़ फोड़ और गड़बड़ करने की पूरी छूट्टी दे दी जाय। देश पर चीन ने आक्रमण किया और उन्होंने चीन की निन्दा करने में एक शब्द भी न कहा। आज यही लोग लोकतन्त्र के नाम पर सरकार की निन्दा कर रहे हैं।

अब मैं आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करूंगा। आज सारा देश इस सम्बन्ध में चिन्तित हैं। सारी स्थिति का यथार्थ विश्लेषण करने से कोई भी व्यक्ति इस परिणाम पर पहुंचता है कि हमारे आर्थिक कष्ट 1962 से आरम्भ होते हैं। यह वह समय था जब चीन ने हम पर आक्रमण किया था। हम अपनी प्रतिरक्षा पर 250 करोड़ रुपये खर्च कर रहेथे परन्तुचीनी हमले के कारण 1000 करोड़ खर्च करने पड़े। इससे पहले प्रतिरक्षा के बारे में हम अग्रेजों पर आश्रित थे और हमारी कोई आधुनिक तौर पर प्रशिक्षित सेना भी नहीं थी। अब हमको इस प्रकार का सारा खर्च करना पड़ा। देश के लिए यह खर्च बड़ा ही महत्वपूर्ण था। इसी से अर्थ व्यवस्था में भी काफी गड़बड़ हुई। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसी समय हमें निरन्तर तीन योजनाओं को पूरा करना था। अभी इससे कुछ सांस लिया था कि पाकिस्तान से जूझना पड़ा। उससे भी हमारी आर्थिक कठिनाइयां बढ़ गईं। हमें उन सब कठिनाइयों को हल करना था, अतः हमें अपनी आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नीति को बदलना पड़ा। रेरा निवेदन यह है कि यह काल ही ऐसा है कि समृद्ध देशों में भी मुद्रास्फीति हो रही है। अमरीका में इतना कुछ है परन्तु छोटा सा वियतनाम का युद्ध उनकी अर्थ व्यवस्था को प्रभावित करता है। आज वहां भी 6000 डालर के ट्रैक्टर की कीमत 9000 दालर हो गयी है। इसी तरह की ही स्थिति ब्रिटेन में है। वहां भी बेकारी बढ़ रही है और अव्यवस्था फैल रही है। सारे हालात पर विचार करने पर पता चलता है कि हमारी सरकार सचमुच बड़ी मजबूती से खड़ी रही है। पिछले दिनों श्री बैल ने कुछ सुझाव दिये थे, जिनका हमारे अधिकारियों ने मुंह तोड़ उत्तर दिया था। हम अर्थ व्यवस्था की दौड़ में ससार के किसी देश से पीछे नहीं हैं।

खाद्य के बारे में हमें बताया गया है कि हमें कोई सहायता प्राप्त नहीं हो रही। क्योंकि हम क्यूबा से व्यापार करते हैं। हमने क्यूबा से व्यापार न करने की शर्त को स्वीकार नहीं किया यह ऐसी बात है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। खाद्य स्थिति के बारे में हमें यह भी याद रखना होगा कि जनसंख्या तो

देश में बढ़ी ही है, पर यह भी तथ्य की बात है कि आज इस देश में हजारों लोग ऐसे हैं जो कि बड़ा निम्न स्तर का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारी खाद्यान्न की मांग निरन्तर बढ़ेगी और हमें इसके लिए व्यवस्था करनी होगी। इस स्थिति को पूरी तरह समझ लिया जाना चाहिए। आज चीन भारी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात कर रहा है। सूखे के बारे में आप जो भी चाहें कह सकते हैं, स्थिति वहां सचमुच खराब है। पर सरकार को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। लोग दुःखी हैं, इस समय हमारा ध्यान उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास होना चाहिए। वर्षा न हो तो इसके लिए तो सरकार को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। हां, यदि सरकार इस दिशा में कुछ नहीं करती तो वह अवश्य इसके लिए उत्तरदायी है।

हम हमेशा कहते रहे हैं कि हमारी कृषि नीति पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। मेरा खाद्य मन्त्री से यह निवेदन है कि उन्हें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे देश को खाद्य क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाय। सारे देश में खाद्यान्नों को लाने ले जाने की छूट होनी चाहिए। हो सकता है कि कुछ प्रशासनिक कठिनाइयां हो, पर किया ऐसा ही जाना चाहिए। खाद्यान्न समिति की रिपोर्ट में कुछ प्रशासनिक कठिनाइयों का उल्लेख किया है, परन्तु उन्होंने इस समस्या को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा। राजनीतिक दृष्टिकोण से इस बात की ही अपेक्षा है कि देश खाद्य क्षेत्रों में विभाजित न हो।

यदि अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतन्त्रता से लाने ले जाने की अनुमति दी जाती है तो बहुत सी कठिनाइयां कम हो सकती हैं। राजस्थान में भी जहां 5000 ग्रामों में अकाल की स्थिति है अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतन्त्रता से लाने ले जाने के कारण बाजरे का भाव 33 रुपये से कम होकर 25 रुपये हो गया है।

जहां तक त्रिदलीय सम्मेलन का सम्बन्ध है किसी ने भी यह दावा नहीं किया था कि इस सम्मेलन से सभी समस्यायें हल हो जायेंगी। इस सम्मेलन का उद्देश्य सीमित था और यह सीमित उद्देश्य प्राप्त हो गया है। वह सीमित उद्देश्य हमारे लिये आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने छः महीने पूर्व इस सभा में कहा था कि आर्थिक स्वतन्त्रता के बिना राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं हो सकती। इस त्रिदलीय सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया है। युगोस्लाविया के राष्ट्रपति इस सभा के बढ़ाई के पात्र हैं क्योंकि उन्होंने सदा बुरे दिनों में हमारी सरकार का साथ दिया है। चाहे काश्मीर का मामला हो अथवा कोई अन्य समस्या उन्होंने सदा हमारा समर्थन किया है।

जिस समय त्रिदलीय सम्मेलन हो रहा था। उसी समय मनीला तथा मास्को में भी बैठकें हो रही थीं। इसलिये शान्ति के लिये हमें भी कुछ प्रयत्न करने चाहिए।

भारत रक्षा नियमों के बारे में हम इस सभा में अपने विचार पहले ही व्यक्त कर चुके हैं। भारत रक्षा नियमों की आलोचना करने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि तीन सीमावर्ती राज्यों के अतिरिक्त शेष समस्त देश में यह न होने के बराबर है। जहां तक सीमावर्ती राज्यों का सम्बन्ध है सभी ने वहां की स्थिति के बारे में सरकार को चेतावनी दी थी और इसी लिये इन नियमों को वहां पर अभी लागू रखा गया है।

मुझे विभिन्न राज्यों में गठित होने वाले 'बन्दों' के बारे में चिन्ता है। आशा है कि गृह-कार्य मन्त्री इस बात का अध्ययन करेंगे कि इन 'बन्दों' के लिये वित्तीय सहायता कौन दे रहा है। कोई कह रहा था कि दिल्ली से जो 'बन्द तथा जलूस गठित किया गया था उस पर 75 लाख रुपये व्यय किये गये थे। सरकार को इस महत्वपूर्ण समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए कि इन 'बन्दों तथा जलूसों पर कौन व्यय कर रहा है।

विद्यार्थियों की समस्या के बारे में मैं अभी कोई बात नहीं कहना चाहता क्योंकि इसके लिये एक अन्य प्रस्ताव के लिये सूचना दे रखी है ।

मुझे खेद है कि विरोधी दलों के सदस्य इस समय सभा में उपस्थित नहीं हैं । मैं विरोधी दलों से पुनः अपील करता हूं कि वे सरकार को परेशान करने के लिये कुछ भी कर सकते हैं परन्तु उन्हें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे लोकतन्त्र तथा लोकतन्त्रात्मक संस्थाओं का स्थायित्व खतरे में पड़ जाये ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : सभापति महोदय यह दुर्भाग्य की बात है कि मुझे उस समय बोलना पड़ रहा है जबकि विरोधी दलों के सदस्य उपस्थित नहीं हैं । स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् इस समय हम एक बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे हैं । गत वर्ष अभूतपूर्व सूखा पड़ा था । ऐसा सूखा गत 60 अथवा 70 वर्ष में कभी नहीं पड़ा । उत्पादन 880 लाख टन से कम होकर 720 लाख टन हो गया था ।

मेरे माननीय मित्र श्री कबीर ने आंकड़ों को चुनौती दी है । मेरा कहना है कि आंकड़ों में चाहे कुछ त्रुटियां हों परन्तु फिर भी इससे उत्पादन की प्रवृत्ति का तो पता लगता ही है ।

कृषि नीति की आलोचना की गई है परन्तु वास्तव में वह आलोचना समस्त आयोजन तथा उसके आधार की है । परन्तु इसके अलावा वसूली तथा वितरण सम्बन्धी भी हमारी खाद्य नीति की तीव्र आलोचना की गई है । मेरा कहना है कि चाहे जो भी हो किसी भी नीति को उससे प्राप्त होने वाले परिणामों से ही आंका जा सकता है । मैं इस बात का दावा नहीं करता कि हमारी नीति बिल्कुल ठीक थी परन्तु फिर भी इससे कठिनाइयों को दूर करना सम्भव हो सका है ।

यद्यपि मैं अनाज के एक राज्य से दूसरे राज्य तथा एक राज्य के अन्दर ही एक जिले से दूसरे जिले तक वहन पर लगे प्रतिबन्धों से प्रसन्न नहीं हूं तथापि इस नीति से ही हम सबसे बुरे वर्ष में इस स्थिति पर काबू पा सके हैं ।

देश में सूखा पड़ने के बावजूद भी निराशा नहीं थी । जहां कहीं भी पानी उपलब्ध था लोगों ने उत्पादन किया है । 40 अथवा $40\frac{1}{2}$ लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि पर उत्पादन किया गया है । किसानों ने उत्पादन के लिये नये तरीके अपनाये हैं और जिस भूमि पर पहले एक ही फसल होती थी वहां इस बार दो बुवाई की गई है और इस बुवाई के अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं । यह हमारे लिये एक नया अनुभव था ।

न केवल इतना ही बल्कि सहायक खाद्यान्न जैसा कि सब्जी तथा आलू आदि उगाने के कार्यक्रम में भी लोगों ने उत्साहवर्धक सहयोग दिया है । यही कारण है कि सब्जी तथा अन्य सहायक खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं । दुर्भाग्य से हमारी खाने की आदतें ऐसी हैं कि हम यह महसूस नहीं करते कि परम्परागत खानों से सब्जी खाना कहीं अच्छा है ।

अनाज की कमी को आयात से ही पूरा किया जाना है । इस बारे में अमरीका से हमें उदारता पूर्वक सहायता प्राप्त हुई है । हर बात में अमरीका की निन्दा करना गलत है । यदि अमरीका एक करोड़ टन अनाज नहीं देता तो देश की स्थिति कुछ और ही होती ।

भारत में एक अत्यन्त दुखद घटना घट गई होती । परन्तु यह बड़े दुख की बात है कि अमरीका से जो सहायता प्राप्त हुई है उसको खाने के पश्चात भी हमने उसकी निन्दा करने का ढंग अपनाया है ।

खाद्यान्न के लिये सदा आयात पर निर्भर रहने से मैं प्रसन्न नहीं हूं। कोई भी व्यक्ति इससे प्रसन्न नहीं होगा। परन्तु इसके अतिरिक्त हमारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। विरोधी दल के सदस्य भी इस बात को महसूस करेंगे कि उस समय खाद्यान्न का आयात के अतिरिक्त हमारे पास कोई विकल्प नहीं था।

1966 में एक करोड़ अथवा एक करोड़ 20 लाख टन अनाज का आयात किया जाने वाला है। यह कोई आसान काम नहीं है। हमारे पत्तन अधिकारियों, मजदूरों तथा उन सभी लोगों ने, जिनका अनाज के आयात से सम्बन्ध रहा है अनाज को जहाजों से उतारने तथा देश के विभिन्न भागों में पहुंचाने का एक शानदार कार्य किया है। रेलवे प्रशासन ने भी शानदार सहायता की है और इसके लिये मैं रेलवे प्रशासन को बधाई देता हूं। हमने एक वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया जिससे अनाज को देश के विभिन्न भागों में पहुंचाया गया अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों को तुरन्त खाद्यान्न पहुंचाये गये। इसलिये आत्मसम्मान के साथ यह कह सकते हैं कि अत्यन्त सूखे की स्थिति के बावजूद हमारे देश में भुखमरी से कोई मत्यु नहीं हुई है।

भुखमरी से मरे लोगों के बारे में प्रश्न पूछे गये हैं। यदि तर्क के लिये यह स्वीकार कर भी लिया जाये कि कहीं एक दो मृत्यु भुखमरी से हुई तो मेरा कहना है कि ब्रिटिश शासन में ऐसी गम्भीर स्थिति में लाखों व्यक्ति भुखमरी से मरते थे। इसके बावजूद भी मैं यह मानने को तयार हूं कि कुपोषण तथा अनाज के न मिलने के कारण कुछ लोगों को कष्ट उठाना पड़ा है। परन्तु समस्या की गम्भीरता को देखते हुए मैं कहूंगा कि हमने देश एक गम्भीर संकट पर काबू पाया है। जिस ढंग से जनता ने कार्य किया तथा जो प्रतिक्रिया व्यक्त की इस के लिये उनको श्रेय मिलना चाहिए।

दुर्भाग्य से सितम्बर के प्रथम सप्ताह से लेकर अक्तूबर के अन्त तक वर्षा बिल्कुल नहीं हुई जब कि चने के लिये वर्षा का होना परम आवश्यक है। आशा थी कि इस वर्ष फसल अच्छी होगी परन्तु अनावृष्टि के कारण ऐसा नहीं हो सका है। अगस्त के अन्त तक स्थिति बहुत सन्तोषजनक थी। सितम्बर के प्रथम सप्ताह में उड़ीसा में मुझे बताया गया कि यदि दो सप्ताह के अन्दर अन्दर वर्षा नहीं हुई तो हमारी आशा के विपरीत फसल बिल्कुल नहीं होगी। परन्तु उड़ीसा तथा बंगाल में वर्षा के हो जाने से स्थिति में काफी सुधार हो गया है।

न केवल हमारा, बल्कि विश्व के सब से विकासशील देशों का भी प्रकृति के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। गत वर्ष आस्ट्रेलिया को भी प्रकृति के प्रकोप का सामना करना पड़ा था। इसलिये यदि आज हमें इस प्रकार के सकट का सामना करना पड़ रहा है तो यह हमारे नियंत्रण से बाहर की बात है। महत्व की बात तो यह है कि इस प्राकृतिक संकट का मुकाबला किस प्रकार किया जाये। यह संकट दो वर्षों में उत्तरोत्तर बढ़ा है।

इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि गत वर्ष हमें जो अनुभव हुआ उसके आधार पर सब स्थानों पर हम स्थिति को सुधारने का यत्न कर रहे हैं। जब 'हथिया' वर्षा भी नहीं हुई तो हमने तो हमने तुरन्त कृषि मंत्रालय, योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय को मौके पर स्थिति का अध्ययन करने तथा सिफारिशें करने के लिये भेजा था और हमने कुछ तुरन्त कार्यवाही की भी है।

1964–65 के 'बम्पर' फसल वाले वर्ष 1965–66 में 880 लाख टन अनाज का उत्पादन हुआ। इसके पश्चात् 1966–67 का सब से बुरा वर्ष आया। चूंकि इससे पहले वर्ष की कोई बचत नहीं थी इसलिये यह वर्ष भी खराब रहा।

गत वर्ष भारी अभाव का कोई विशिष्ट स्थान नहीं था जैसा कि इस वर्ष हुआ है। इस वर्ष बिहार के लगभग सभी ज़िलों में तथा मध्य उत्तर प्रदेश में सूखे का प्रभाव पड़ा है। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में भी इसका प्रभाव हुआ है। पश्चिमी बंगाल तथा महाराष्ट्र के मुख्य मंत्रियों ने भी कुछ जिलों में अभाव की स्थिति की सूचना हाल ही में दी है।

हमें विभिन्न कठिनाइयों को ध्यान में रख कर इस प्रकार से आयोज करना है जिससे कि जो कुछ उपलब्ध है उससे गुजारा किया जा सके। हम असीमित मात्रा में विदेशों से अनाज नहीं मंगवा सकते। हमारी आयात नीति के बारे में इस सम्पूर्ण प्रभत्व-सम्पन्न सभा को निर्णय करना है। आशा है कि सभा आयात न करने का रवैया नहीं अपनायेगी।

हमें यथासंभव देश में उत्पादन को बढ़ाना है। मुझे प्रसन्नता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में लोगों ने उत्पादन का व्यापक कार्यक्रम बनाया है। कृषि सचिव अभी अभी वापस आये हैं और उन्होंने अनुमान लगाया है 12 लाख से 15 लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि पर उत्पादन करना संभव होगा। इसके लिए पानी उपलब्ध है। तीन अथवा चार राज्यों से 120 से 125 पम्प प्राप्त हुए हैं अब इन पम्पों को उत्तर प्रदेश तथा बिहार में भेजा जा रहा है। उत्पादन कार्यक्रम को अधिक महत्व दिया जा रहा है क्योंकि इससे अनाज लाने-ले-जाने की समस्या भी हल होगी।

साग सब्जी के उत्पादन का कार्यक्रम भी बनाया जा रहा है। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश ने बड़ा अच्छा कार्य किया है। आशा है कि बिहार भी इसी प्रकार करेगा। इन क्षेत्रों को बीज, उर्वरक कीट-नाशक औषधियां भेजी जा रही हैं। जहां तक बिहार का सम्बन्ध है उनको बीज पहले ही भेजे जा चुके हैं।

जैसा गत वर्ष हुआ है बहुत से क्षेत्रों में पीने के पानी की व्यवस्था एक समस्या बन रही है। इसकी व्यवस्था ठीक ढंग से करनी होगी। पशुओं के लिये चारे की भी व्यवस्था करने का भी प्रश्न है। इन सब बातों के लिये एक कुशल तथा प्रभावशाली प्रशासन का होना आवश्यक है। यही कारण है कि हम प्रशासन को प्रभावशाली तथा कुशल बनाने पर जोर दे रहे हैं। आशा है कि राज्य सरकारें भी ऐसा करने के लिये प्रतिष्ठा का सहारा नहीं लेंगी।

जब तक हमारी प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होती तब तक धन तथा अनाज के होते हुए भी कोई दुखद घटना घट सकती है। बिहार में कुछ प्रशासनिक कमजोरियां हैं और इनको दूर करना होगा। यदि आवश्यक हुआ तो केन्द्र से अधिकारियों को राज्य सरकारों में नई जिम्मेदारियां सम्भालने के लिये जाना होगा ताकि जो कुछ उपलब्ध है उसका अधिकतम लाभ उठाया जा सके।

माननीय सदस्यों को भी जनता के प्रतिनिधि होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा ताकि सरकारी संगठन प्रभावशाली ढंग तथा कुशलता से अपना काम करे। गैर-सरकारी अभिकरणों के बच्चों, गर्भवती माताओं, विकलोग लीगों तथा बुढ़े लोगों की सहायता के लिये आगे आकर सरकारी अभिकरणों का हाथ बटाना होगा। मुझे प्रसन्नता है कि बिहार में श्री जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में एक ऐसा गैर-सरकारी अभिकरण बनाया गया है। आशा है कि जनता के प्रतिनिधि ऐसे सभी प्रयत्न करेंगे और ऐसा करना चुनाव को देखते हुए भी उनके लिये अच्छा होगा।

चालू वर्ष हमारे लिये एक बड़ा कठिन वर्ष होगा परन्तु गत वर्ष के अनुभाव अयातित माल से हम स्थिति पर काबू पा सकेंगे। अमरीका के अतिरिक्त हम अन्य देशों से भी अनाज मंगवाने का प्रयत्न कर रहे हैं। शायद इसके लिये हमें कुछ विदेशी मुद्रा भी व्यय करनी पड़े। अभूतपूर्व सूखे के गलत वर्षों में जो कुछ हुआ उस से कृषि प्रगति का अनुमान नहीं लगयाा जा सकता।

कुछ लोगों की धारणा है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने कृषि के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति की है। हाल ही में विशेज्ञों के अध्ययन किया है और पता लगाया है कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यद्यपि यह हमारे लिये कोई संतोष की बात नहीं है फिर भी कृषि के क्षेत्र में हमने जो कार्य किया है उस से लज्जित होने को कोई बात नहीं है। सिंचाई की सुविधायें प्रदान करने के लिये हमें उच्चतम प्राथमिकता देनी होगी। हम एक ऐसे कार्यक्रम पर विचार कर रहे हैं जिस से सब में बुरे वर्ष में भी, अच्छे वर्ष के दौरान थोड़ा सा फालतू उत्पादन करके, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा 'बफर' स्टाक बनाने योग्य हो सकें। वर्तमान जल संभरण विज्ञान और तकनीकी विकास से लाभ उठाकर हमें अधिकतम उत्पादन करना चाहिये। हमने अधिक उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत कम से कम 50 लाख एकड़ भूमि पर बुवाई करेंगे जिसमें पारम्भरिक किस्मों से 50 लाख टन अधिक उपज होगी। विदेशी विशेज्ञों ने हमारे वैज्ञानिकों की सराहना की है जो कि नये तरीके ढूंढ़ने के लिये शानदार कार्य कर रहे हैं।

चौथो योजना के अन्त तक 320 लाख एकड़ अतिरिक्त भमि पर खेती करने का कार्यक्रम है। किसानों ने जो उत्साह दिखाया है उस से ऐसा लगता है कि हम तीन वर्ष में ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगें यद्यपि इस वर्ष स्थिपि अच्छी नहीं है और हम एक कठिन समय से गुजर रहे हैं तथापि मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम ठीक मार्ग पर चल रहे हैं।

मैं लोगों तथा विरोधी दलों से अपील करूंगा कि वे बन्दरगाहों पर हड़तालें, 'बन्द' तथा ऐसा कोई कार्य न करें जिस से अनाज को एक स्थान से दूसरें स्थान पर लाने ले जाने में बाधा पड़े क्योकि इस से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है।

देश में हड़तालें करायी जा रही हैं। यह दावा किया जाता है कि यह गरीब जनता के लाभ के लिये किया जा रहा है। इनकों मालूम होना चाहिये कि इससे खाद्यान्नों के लाने-जाने में कठिनाई होती है और वास्तव में जनता को अनाज नहीं पहुंच पाता। इस लिये इस कमी के समय में हड़तालें तथा बन्द नही होने चाहिये। सभी दलों को इस बात का घ्यान रखना चाहिये कि खाद्यान्नों के लाने ले -जाने के कार्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़े। बिहार के लिये एक लाख टन खाद्यान्नों की सप्लाई का प्रबन्ध किया गया है। यह भारत के विभिन्न स्थानों से भेजे जा रहे हैं। केरल में स्थिति बहुत सन्तोषजनक है। आन्ध्र में इस्पात कारखाने सम्बन्धी आन्दोलन के कारण खाद्यान्नों के ले जाने में बाधा उत्पन्न हो रही है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि रुपये के अवमूल्यन के कारण वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हुई है। अवमूल्यन से देश के आन्तरिक मूल्य मैं किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा। हमारे देश में खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी हुई है। इस कारण से कुछ वृद्धि हुई है। इस वर्ष मूल्यों में कमी नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य तुलनात्मक आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि सप्लाई और मांग को देखते हुए मूल्यों में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई हैं। अवमूल्यन के कारण हमारी कृषि पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं हुआ है। आज चुनाव के समय पर प्रतिपक्ष वाले हमारी कठिनाइयों से अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। हमें खाद्यान्नों सम्बन्धी स्थिति का मुकाबला करना है।

हमें आशा है कि हम सफल होगें। और अगले वर्ष हम अच्छी स्थिति में होगें।

———

सदस्य की रिहाई
(RELEASE OF MEMBER)

सभापति महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि अध्यक्ष महोदय को केन्द्रीय जेल नई दिल्ली के अधीक्षक से दिनांक 3 नवम्बर, 1966 का एक सन्देश प्राप्त हुआ है जिसमें सूचना दी गई है कि लोक सभा के सदस्य श्री रामेश्वरानन्द को केन्द्रीय जेल, नई दिल्ली से 3 नवम्बर, 1966 को रिहा कर दिया गया है ।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 4 नवम्बर, 1966/कार्तिक 13, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Friday, the 4th November, 1966/Kartika 13, 1888 (Saka)

GMGIPND—LSIII—2083 (ai) LS—4-3-67—600